वार्षिक प्रतिवेदन

1994-95 ANNUAL REPORT

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF

FOOD PROCESSING INDUSTRIES

मैसर्स मार्डन फूड़ इन्डस्ट्रीज (इं) लि०, नई दिल्ली इकाई में माननीय प्राधानमंत्री का आगमन

Visit of Hon. Prime Minister to M/s Modern Food Industries (I) Ltd., New Delhi Unit

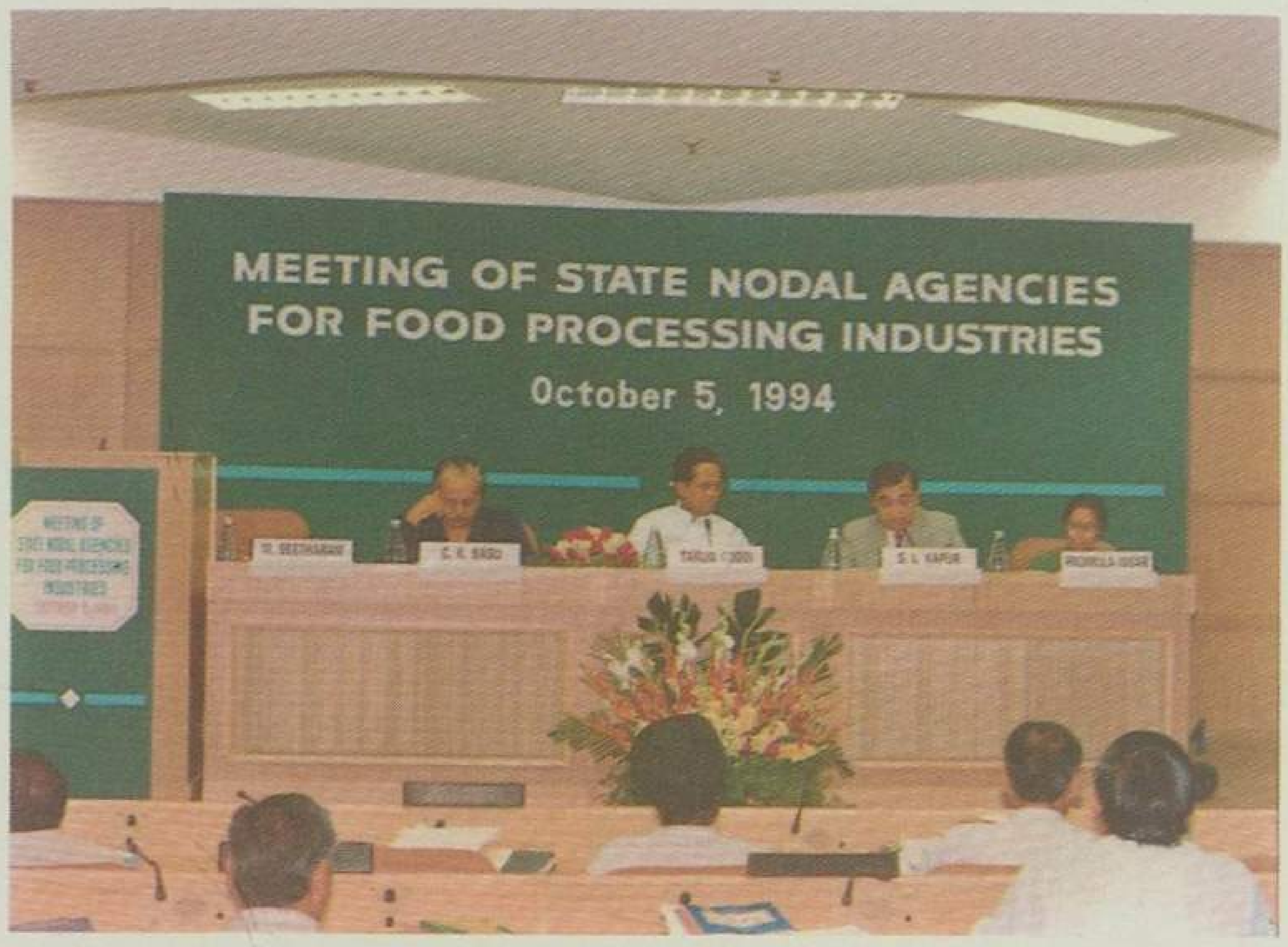

स्टेट नोडल एजेंसीस की विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बैठक

Meeting of the State Nodal Agencies at Vigyan Bhavan, New Delhi

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1994-95

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	अध्याय-1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी स्थापना और उपलब्धियां	1
2.	अध्याय-2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य	6
3.	अध्याय-3 खाद्यान्न मिलिंग उद्योग	8
4.	अध्याय-4 उपभोक्ता खाद्य उद्योग	12
5.	अध्याय-5 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	14
6.	अध्याय-6 दूध व दूध से बने उत्पाद	17
7.	अध्याय-7 मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण	18
8.	अध्याय-8 गहन समुद्री मात्स्यिकी	21
9.	अध्याय-9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	26

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govts Publications
Acc. No. RC 92307(2)
Date 05/7/95

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Chapter I Ministry of Food Processing Industries, Its Establishment And Achievements	1
2.	Chapter II Structure And Functions Of The Ministry of Food Processing Industries	6
3.	Chapter III Food Grain Milling Industries	8
4.	Chapter IV Consumer Food Industries	12
5.	Chapter V Fruits And Vegetable Processing Industries	14
6.	Chapter VI Milk & Milk Products	17
7.	Chapter VII Meat and Poultry Processing	18
8.	Chapter VIII Deep Sea Fishing	21
9.	Chapter IX Public Sector Undertakings	26

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्थापना और उपलब्धियां

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

अध्याय 1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना और उपलब्धियां

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर बल देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। एक सुदृढ़ और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधिकरण तथा वाणिज्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिससे कृषि उत्पाद में मूल्यवर्धन होता है तथा ग्रामीण रोजगार तथा आय और निर्यात के लिए कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन सहित रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैः—

1. फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रीजिंग और डी-हाइड्रेशन सहित)
2. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग।
3. दूध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, मोल्टेड मिल्क फूड, कन्डेंस्ड दूध, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद।
4. पाल्ट्री और अण्डों, मांस तथा मांस उत्पादों का प्रसंस्करण तथा रेफ्रीजेरेशन।
5. मछली का प्रसंस्करण (डिब्बा-बंदी और फ्रीजिंग सहित)।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था।
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श।
8. समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मात्स्यिकी।
9. ब्रेड, तिलहनों, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, कन्फ्रैक्शनरी (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट उत्पादन सहित) माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन फूड, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थों (अन्य तैयार खाद्य पदार्थों सहित) से संबंधित उद्योगों के लिए योजना तैयार करना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें सहायता प्रदान करना।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
11. गैर-एल्कोहलिक बीयर सहित बीयर।
12. गैर-शीरे के बेस से एल्कोहलिक पेय।
13. वातित जल/साफ्ट ड्रिंक्स तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य।

आर्थिक उदारीकरण के इस युग में, जहां निजी सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी उचित भूमिका अदा करनी होती है, मंत्रालय उचित दिशा, क्षेत्रों में इस उद्योग का मार्गदर्शन करके तथा सहायता करके इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने, निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए सामान्य वातावरण तैयार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहा है और उसने पूंजी निवेश और विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। अगस्त, 1991 से फरवरी 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 3046 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें 38409 करोड़ रुपये का निवेश करने तथा 5.26 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है। उदारीकरण के बाद की अवधि में प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 2592 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में 33255 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने तथा गैर-शहरी क्षेत्रों के लगभग 4.76 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें से लगभग 45% पूंजी निवेश पिछड़े क्षेत्रों में किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से लगभग 371 प्रस्तावों में 3462 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है तथा 56328 व्यक्तियों को सीधे रोजगार देने के लिए पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकार ने संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस/100% निर्यातोन्मुखी यूनिट जैसे विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है जिनमें 7679 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश करने तथा लगभग 1.3 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें से 2528 करोड़ रुपये तक का विदेशी पूंजी निवेश है जिसमें अब तक स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल विदेशी पूंजी निवेश का लगभग 11% होगा। इसमें से 6775 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश गैर-शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित

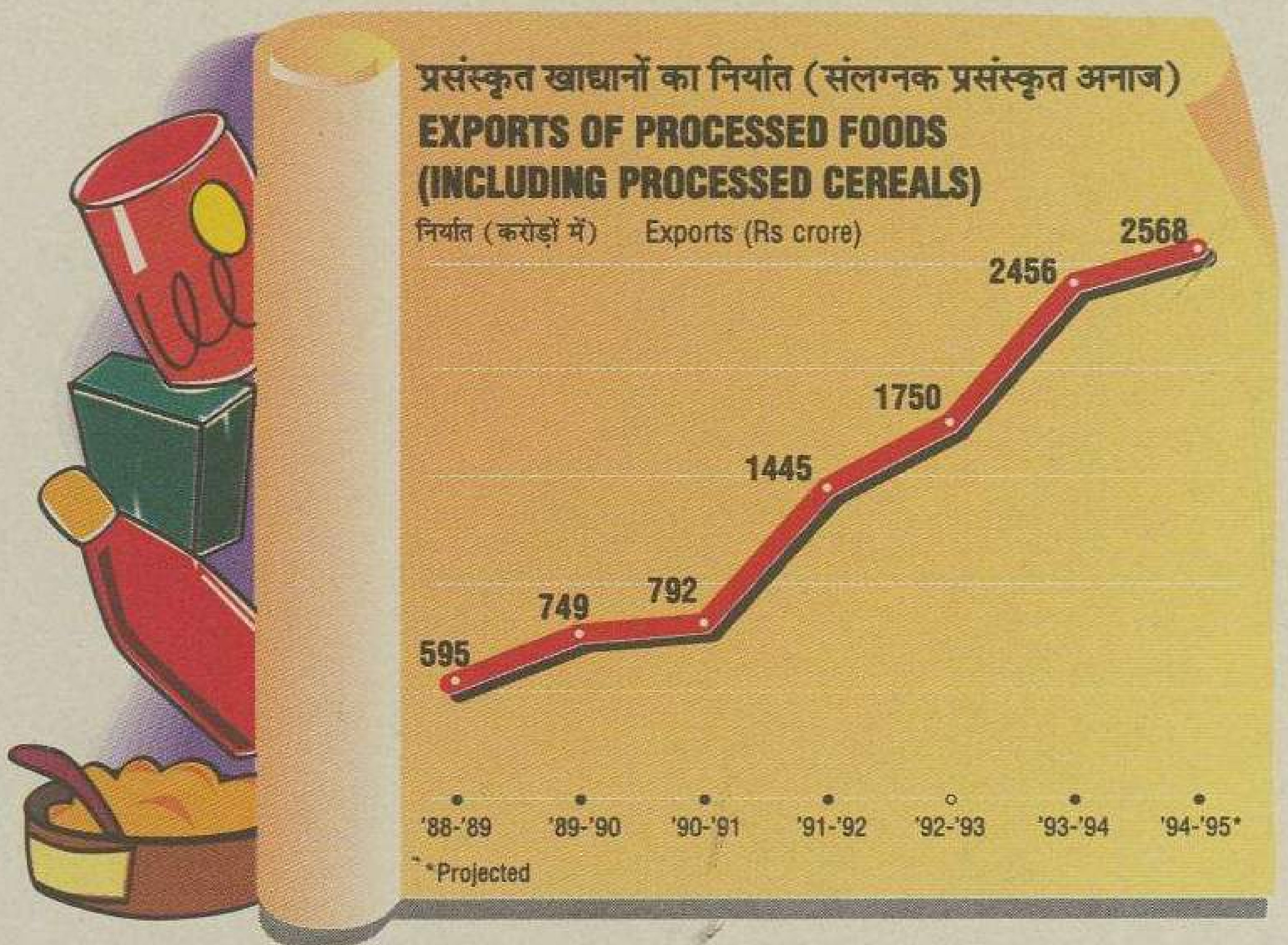
प्रसंस्कृत खाद्यानों का निर्यात (संलग्नक प्रसंस्कृत अनाज)
EXPORTS OF PROCESSED FOODS
(INCLUDING PROCESSED CEREALS)
निर्यात (करोड़ों में)
Exports (Rs crore)
595
749
792
1445
1750
2456
2568
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

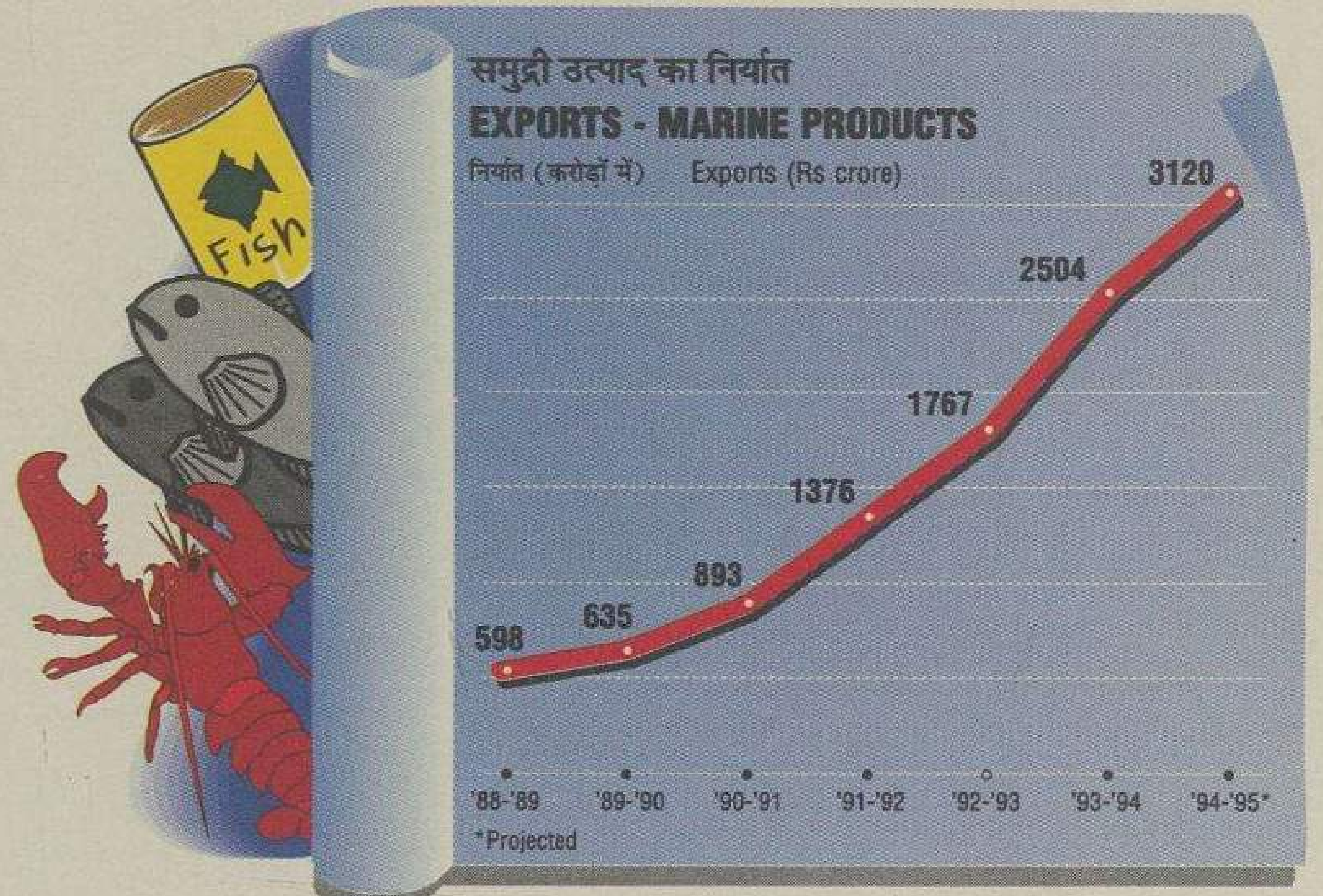
Fish
समुद्री उत्पाद का निर्यात
EXPORTS - MARINE PRODUCTS
निर्यात (करोड़ों में)
Exports (Rs crore)
598
635
893
1376
1767
2504
3120
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

The Ministry of Food Processing Industries was set up in July 1988 with a view to give a thrust to the development of food processing industries in the country. A strong and effective food processing sector plays a significant supportive role in diversification and commercialisation of agriculture, improving value addition in the agricultural produce, helps in generating employment including rural employment and income and production of agro food products for export. The subjects allocated to this Ministry are as under:

(i) Fruits & Vegetable processing Industry (including freezing and dehydration)

(ii) Foodgrain milling industry

(iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee etc.

(iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat & meat products.

(v) Processing of fish (including canning and freezing).

(vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.

(vii) Technical assistance and advice to food processing industry.

(viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.

(ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

(x) Specialised packaging for food processing industries.

(xi) Beer, including non-alcoholic beer.

(xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.

(xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed food.

In the era of economic liberalisation where the private, public and co-operative sectors are to play their rightful role in development of food processing industry, Ministry acts as a catalyst for bringing in greater investment into this sector, guiding and helping the industry in a proper direction, areas, encouraging exports and creating a general atmosphere for healthy growth of the food processing industries. Ministry is encouraging private & Co-operative sectors and has undetaken the role of facilitator for investment and growth. Since August 1991 till February, 1995, 3046 Industrial Entrepreneur Memoranda (IEM) envisaging an investment of Rs. 38409 crores and employment of 5.26 lakh persons have been received for various sectors of the food processing. Out of the IEMs, filed in the postliberalisation period, 2592 IEMs envisaging an investment of Rs. 33255 crores and employment of approx. 4.76 lakh persons are for non urban areas. About 45% of these investments are proposed to be made in the backward areas. Of these, 371 proposals having an investment of approx. Rs. 3462 crores and direct employment of 56328 persons have already been implemented.

During the period under review, Government have also approved various proposals like JV/FC/IL/

करने के लिए है, इनमें से 51 प्रस्तावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है जिससे लगभग 0.47 लाख व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलेगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने सकारात्मक चहुँमुखी वृद्धि को बनाए रखा। इस मंत्रालय द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे हलरों के आधुनिकीकरण की गति में थोड़ी तेजी आई है और 1 जनवरी, 1994 को 33557 आधुनिकीकृत चावल मिलों की तुलना में 1.1.1995 को इन चावल मिलों की कुल संख्या 34113 थी। इन आधुनिक तथा आधुनिकीकृत मिलों से अधिक चोकर प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुमान है कि 1970-71 में 1.87 लाख टन की तुलना में 1993-94 में 31 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया।

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को आवश्यक तकनीकी सहायता देना और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि आयोजित करना जारी रखा। उपस्करों की जांच, मशीनरी के चयन, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को 4 टैस्टिंग केन्द्रों से आवश्यक सहायता मिलती रही। तंजावुर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र में चावल प्रसंस्करण और सह उत्पादों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं जैसे सुखाना, भंडारण, सेलीकरण विधि, मिलिंग, चोकर स्थिरीकरण, तेल निकालने आदि पर मूल अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है (क) सेलीकृत धान को सुखाने के यांत्रिक ड्रायर के आकार तथा पैरामीटरों का मानकीकरण (ख) सतत ऊर्जा बचाने वाली सेलीकरण विधि का डिजाइन तथा मानकीकरण।

निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में स्थापना करने का कार्य प्रगति पर है:

(1) नये उत्पादों का विकास।

(2) प्रसंस्करण का विकास, उन्नयन और उसे अधिकतम बनाना।

(3) संयंत्र की खराबियों और समस्याओं को दूर करना।

(4) संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना और आंकड़े बनाना।

(5) विशेष प्रकार के संयंत्र के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(6) सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए टर्नकी आधार पर कार्य।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में चावल मिलिंग के लिए तीन नई 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई। इनमें 245 लाख रुपये का पूंजी निवेश करने तथा लगभग 115 व्यक्तियों को सीधे रोजगार देने का कार्यक्रम शामिल है। इस क्षेत्र में अब तक मंजूर किए गए कुल प्रस्ताव 36 हैं जिनमें 531 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा। इस समय देश में चावल मिलों की कुल संख्या 137638 है।

उपभोक्ता उद्योग में अधिक प्रोटीन के उत्पादन और एक्स्ट्रूडिड फूड ने अपनी वृद्धि को बनाए रखा। शराब तथा पेय पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि के रूख को बनाए रखा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपभोक्ता उद्योग में विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए तीन संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 3.65 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश किया जाएगा। उदारीकरण की अवधि के बाद उपभोक्ता उद्योग में अब तक कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इनमें 720 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश सहित 905 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। इनमें से 7 परियोजनाओं जिनमें लगभग 414 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की व्यवस्था है, को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

आमतौर पर भारत सरकार तथा विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रयास लाभदायक रहे हैं। फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित क्षमता जो पिछले वर्ष 12.6 लाख टन थी, 1 जनवरी को बढ़कर 14.02 लाख टन हो गई है। संदर्भाधीन वर्ष के दौरान लाइसेंसों की संख्या में 4132 से बढ़कर 4270 तथा उत्पादन में 5.59 लाख टन से बढ़कर 6.76 लाख टन की अनुरूप वृद्धि हो गई है।

इसके अलावा 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए 31 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिससे कुल अनुमोदित प्रस्ताव 165 हो गए हैं इनमें लगभग कुल 1240 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी तथा पूंजी निवेश लगभग 203 करोड़ रुपये किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं जिन्होंने पहले ही उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है, की संख्या 20 है। इस अवधि के दौरान प्रसंस्कृत फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हो गई है तथा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह 365 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

जुलाई, 1991 में दुग्ध उत्पाद उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणाम स्वरूप उद्यमियों द्वारा दुग्ध उत्पाद निर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए 900 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। किंतु इसके पश्चात सरकार ने जून 1992 में अनिवार्य वस्तु

100% EOU envisaging an investment of over Rs. 7679 crores and employment of approx. 1.3 lakh persons. Out of this, the foreign investment is to the tune of Rs. 2528 crores which constitute about 11% of the total foreign investments approved so far. Out of this, an investment of Rs. 6775 crores is for setting up of food processing industires in the non urban areas. 51 of these proposals have already been implemented generating a direct employment of approx. 0.47 lakh persons.

In the year under report, the food processing industries maintained an all round positive growth. In the grain processing sector due to sustained efforts of this Ministry, pace of modernisation of small hullers has increased slightly and the total number of modernised rice mills as on 1.1.95 was recorded to be 34113 as against 33557 as on 1.1.94. As a result of improved availability of bran from these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be around 31 lakh tonnes in 93-94 as against 1.87 lakh tonnes in 1970-71.

The Regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology, Kharagpur continues to provide requisite assistance to the milling industry and conducts short training courses etc. Four Testing Centres provided necessary assistance to the machinery manufacturers and millers for testing of equipments, selection and operation and maintenance of machinery. The basic research work on different applied prospects of rice processing and by-product like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out in Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the projects handled at the Centres are (a) mechanical drier for parboiled paddy drying—standardisation of sizes and parameters (b) design and standardisation of the continuous energy saving parboiling technique.

The Food Engineering Centre, being funded by the Ministry is in the process of being set up in CFTRI, Mysore, to meet the demand of the industry in the following areas :

(i) development of new products

(ii) development, scale up and optimization of processes.

(iii) solving in-plant problems and trouble shooting.

(iv) preparation of technical reports, design data for plant & machinery.

(v) specialised in-plant training programmes.

(vi) turn-key assignments for total projects.

During the year under report setting up of three new 100% E.O. Units for rice milling were approved in the grain processing sector. These involve an investment of Rs. 245 lakhs and additional direct employment of about 115 persons. The total proposals approved so far in this sector are 36, with a total investment of Rs. 531 crores. The total number of rice mills in the country so far are 137638.

In the Consumer Industries, production of high proteins and extruded foods maintained their growth. Production of wine and beverages also maintained the growth trend. In the consumer industries, three JV proposals for foreign equity participation were approved during the period under review involving foreign investment of approx. Rs. 3.65 crores. A total of 19 proposals in the consumer industries have been approved so far in the post liberalisation period involving an investment of Rs. 905 crores including foreign investment of Rs. 720 crores. Out of these 7 projects envisaging an investment of Rs. 414 crores approximately have already been implemented.

Efforts of Govt. of India in general and that of Ministry of Food Processing Industries, in particular, have been fruitful. In the fruits & vegetable processing sector, the installed capacity, has increased from 12.6 lakh tons last year to 14.02 lakh tons this year, as on 1st January. There has been a corresponding increase in the number of licences from 4132 to 4270 and production from 5.59 lakh tonnes to 6.76 lakh tonnes also, during the year under reference.

Besides this, 31 proposals for 100% EOUs have been approved thereby raising the total approved proposals to 165 involving a total investment of about Rs. 1240 crores. Foregin equity and investment in these projects works out to about Rs. 203 crores. The number of projects which have

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद आदेश की घोषणा की जिसके तहत प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को दुग्ध नियंत्रक के पास पंजीकरण कराना होता है। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। दुग्ध शेडों के पंजीकरण और आबंटन में देरी के कारण नये यूनिटों की स्थापना में कुछ बाधा हुई है। परन्तु, रिपोर्ट मिली है कि कुछ यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। दुग्ध छेना, मठ्ठा प्रोटीन और दुग्ध शर्करा के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग वाले तीन संयुक्त उद्यम यूनिटों का अनुमोदन किया गया है तथा इन्हें स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में अब तक अनुमोदित कुल प्रस्ताव 6 हैं इनमें लगभग 297 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा।

मांस, पाल्ट्री और मांस उत्पाद क्षेत्र में भैंस मांस प्रसंस्करण के लिए कुछ नये निर्यातोन्मुखी यूनिटों को मंजूरी दी गई है और इनका कार्यान्वियन किया जा रहा है। हाल ही में पंजाब में निजी क्षेत्र में एक समन्वित बूचड़खाने को चालू किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा सहायित तीन सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी, आइजोल और दीमापुर में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, असम आदि में अनेक छोटे पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। गत वर्ष अंडा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए दी गई पांच मंजूरियों के अलावा एक और ऐसी निर्यातोन्मुखी अंडा प्रसंस्करण यूनिट को चालू वित्त वर्ष में मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र में कुल अनुमोदित प्रस्ताव 30 हैं इनमें कुल 1085 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। मांस उत्पादों का निर्यात संतुलित रूप से बढ़ रहा है। 1993-94 में मांस उत्पादों का निर्यात करीब 345.7 करोड़ रुपये का हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 270 करोड़ रुपये का था। आशा है कि 1994-95 के अंत तक पशु उत्पादों का निर्यात करीब 450 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जी प्रसंस्करण और दूसरी तरह के खाद्य प्रसंस्करणों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता के सृजन के लिए मंत्रालय ने पिछले वर्ष 121 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है। अनेक ऐसे 47 केन्द्रों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है तथा लगभग 1500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। रिपोर्ट मिली है कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने छोटे/लघु क्षेत्र में अपनी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें पहले ही स्थापित कर ली है। चालू वित्तीय वर्ष में समूचे देश के विभिन्न भागों में 29 और ऐसे केन्द्रों के लिए इसी प्रकार की सहायता दी गई है और आशा है कि आगामी वर्ष में ये केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे। जैसाकि 8वीं योजना के शुरू के 3 वर्षों में व्यवस्था की गई थी इस प्रकार 150 प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर दी जाएगी।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अप्रैल-दिसम्बर 1994 के दौरान 177330 मी. टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया था जिनका मूल्य 2206.52 करोड़ रुपये था जबकि 1993 की इसी अवधि के दौरान 1,54,458 मी. टन का निर्यात किया गया था जिसका मूल्य 1,684 करोड़ रुपये था। आशा है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात 3120 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अच्छे प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के कारण यूनिट वैल्यू वसूली 1993-94 के 100.8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 1994-95 में 124.4 रुपये प्रति किलो हो गई।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए सरकार की नोडल एजेन्सी है। इसने मत्स्यन संसाधनों के प्रभावकारी दोहन के लिए तटवर्ती भारतीय राज्यों और मत्स्यन जलयानों को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करना जारी रखा है। इस संस्थान को राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली के अन्तर्गत देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए एक आंकड़ा केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अन्तरित करता है और "सिफनेट" कैडटों को कार्यात्मक प्रशिक्षण देता है तथा भारत में टूना अनुसंधान पर कोलोक्यूम की कार्रवाइयों सहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित करता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992-93 से आरम्भ हुई जिसमें मुख्य रूप से निवेश और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और उपक्रम की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है जिसमें सरकार की भूमिका मददगार के रूप में होगी। योजना में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश करने का कार्यक्रम है जहां निजी प्रयासों की कमी है। प्रेरक के रूप में अपेक्षित प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने का भी कार्यक्रम है। योजना आयोग ने वर्ष 1994-95 के लिए 45 करोड़ रु० की योजना परिव्यय को मंजूर किया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई सहायता का उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है।

मंत्रालय के अनुरोध पर केन्द्र सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों से राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु समन्वय के लिए राज्यों ने नोडल एजेन्सियां नामित कर दी हैं। अनेक नोडल एजेंसियों को उनके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने विशेषतया आंकड़े एकत्र करने, आंकड़ा प्रबन्ध आदि के लिए योजना सहायता भी दी गई है।

मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के बीच निश्चित पारम्परिक क्रिया सुनिश्चित की गई है। अक्तूबर, 1994 में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु राज्य नोडल एजेंसियों की नई दिल्ली में एक बैठक

already gone into production is 20. Export of processed Fruits and vegetable products during this period has also increased and it is estimated that by the end of the financial year it will reach Rs. 365 crores.

Consequent upon delicensing of milk products industry in July, 1991, over 900 IEMs have been filed by the entrepreneurs for establishment of milk & milk products manufacturing units. But, subsequently, in June, 1992, government promulgated the Milk and Milk Products Order under Section 3 of the Essential Commodities Act requiring traders and manufacturers using more than 10,000 Litres of milk per day to get themselves registered with the Milk Controller. This Order has since been modified. Delay in registration and allocation of milk sheds have caused certain setback in setting up the new units. However, a few units have reported to have started commerical production. Besides three joint venture unit with foreign collaboration for manufacture of milk casein, whey protein and lactose have been approvéd and are in the process of being set up. The total proposals approved in the sector so far are 6 with a total investment of approximately Rs. 297 crores.

In the meat, poultry and meat products sector, few export-oriented units for processing of buffalo meat have been approved and are under implementation. An Integrated abattoir in the private sector has recently been commissioned in Punjab. Three pork processing plant assisted by this Ministry are being set up at Guwahati, Aizwal and Dimapur. In addition, a number of small poultry processing plants are being established in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Assam etc. with the assistance provilded by this Ministry. In addition to the five approvals for setting up of egg processing plants in the previous years, one more such export-oriented unit for egg processing has been approved in the current financial year which is under implementation. The total proposals approved so far in the sector are 30 with a total investment of Rs. 1085 crores. Export of meat products has been steadily increasing. In 1993-94, export of meat and meat products was around Rs. 345.7 crores as against Rs. 270 crores in the corresponding period last year. It is expected that by the end of 1994-95 export of animal products would be around Rs. 450 crores.

In order to promote technology and create entrepreneurship in the fruits & vegetable processing and other types of food processing in rural areas, Ministry in the previous years had provided assistance for setting up of 121 Food Processing Training Centres. As many as 47 such training Centres have already been established and training imparted to almost 1500 persons. Some of the trainees are reported to have already established their own food processing units in tiny/small scale sector. In the current finanical year, similar assistance has been extended for 29 more such Centres in different places all over the country and it is expected that within the next year, these Training Centres will also be established. With this, assistance will be provided for setting up 150 training centres as was envisaged in the first three years of the 8th five year Plan.

Export of marine products continue to show an increasing trend. During April-December, 1994, 177330 metric tonnes of marine products were exported with a value of Rs. 2206.52 crores as against an export of 1,54,458 metric tonnes valued at Rs. 1,684 crores during the same period in 1993. It is expected that by the end of the financial year, the total export of marine products will touch a figure of Rs. 3120 crores. Due to better processing, packaging, etc. unit value realisation improved from Rs. 100.8 per Kg in 1993-94 to Rs. 124.4 per Kg in 1994-95.

The Fishery Survey of India is the nodal agency of the Govt. for survey and assessment of marine fishery resources. It continues to give valuable inputs to maritime Indian States and Fishing vessels for effective exploitation of fishing resources. This Institute has been recognised as one of the data centres for deep sea fisheries in the country under the National Oceanic Information System. It transfers modern technologies and on-the-job training of CIFNET cadets and publishes important information including proceedings of the colloqium on Tuna Research in India.

Eighth Five Year Plan began from the year 1992-93 with the basic thrust on stimulating and providing initiative for investment and national development with government acting as facilitator. The Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provides requisite stimulus by way of catalyst investment as well as helps development of infrastructure for the growth of this sector. The Planning Commission has approved a Plan outlay of Rs. 45 crores for the

आयोजित की ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के चहुँमुखी विकास करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों के संबंध में उनके विचारों का पता लगाया जा सके। इन स्कीमों, जिनके लिए पिछले कई वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है, पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उद्योग संबंधी सूचना एकत्र करने, फीडबैक मानीटरिंग और अत्यावश्यक सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के कम्प्यूटरीकरण के लिए पग उठा रहा है। योजना स्कीमों, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, औद्योगिकी अनुमोदनों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र कम्प्यूटरीकरण की विभिन्न अवस्थाओं में है तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्रीय कार्यालयों में एफ० पी० ओ० लाइसेंसिंग का कम्प्यूटरीकरण करने तथा मानीटरिंग की गतिविधियों संबंधी एक महत्वपूर्ण परियोजना भी आरम्भ की गई है। आशा है कि इन सबसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अच्छी तरह से विकास करने के लिए इस उदारीकृत वातावरण में फैसिलिएटर तथा उत्प्रेरक अभिकर्त्ता के रूप में हमारी भूमिका में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड तथा नेरामक लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर कार्य किया। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का अनुमान है कि वह अपने कारोबार में 35% से अधिक वृद्धि कर लेगा तथा आशा है कि इसे चालू वित्तीय वर्ष में अधिक लाभ होगा। नेरामक ने अनानास जूस के सांद्रण के उत्पादन तथा कृषि उत्पाद के वितरण में भरपूर वृद्धि की है तथा संभावना है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में अपनी हानियां 25% तक कम कर लेगा।

उपभोक्ताओं में प्रसंस्कृत खाद्य के बारे में सकारात्मक उपभोक्ता जानकारी पैदा करने, प्रसंस्कृत खाद्य के लिए मांग को प्रोत्साहित करने तथा उपभोक्ताओं में एफ० पी० ओ० चिन्ह का तात्पर्य तथा यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, की जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य के व्यापक विज्ञापन पर एक योजना स्कीम चला रहा है। 8वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए अभियानों की उपयोगिता महसूस करते समय उद्योग एसोसिएशनों की सकारात्मक अन्तर्ग्रस्तता से किसी अवधि से अधिक सतत उपाय के रूप में इस अभियान को जारी रखने के लिए एक निर्णय लिया था तथा 1994-95 में पुनः अस्थाई आधार पर इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन चलाया जा रहा है।

मंत्रालय ने आल इंडिया फूड प्रीजरवर्स एसोसिएशन, खाद्य व्यापार और उद्योग के परिसंघ, लघु तथा मध्यम उद्योग की विश्व सभा, युवा उद्यमियों की राष्ट्रीय एसोसिएशन, राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद व विभिन्न अन्य द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों की सहायता की तथा उनमें भाग लिया। मंत्रालय ने शिकागो फेयर, सायल फेयर फ्रांस आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जहां भारतीय उत्पादों की बिक्री करने के अलावा संभावित निवेशकों के साथ सेमिनार आयोजित की। मंत्रालय ने एग्रो-टेक चण्डीगढ़ तथा टेक-मार्ट दिल्ली में भी भाग लिया। ''आहार'' में भाग लेने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

आई०आई०पी० बम्बई तथा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य के पैकेजिंग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सोयाबीन का अनुसंधान तथा विकास, ताजे अंगूरों की पैकेजिंग प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की पैकेजिंग पर रिपोर्ट तथा पैकेजिंग उद्योग की रूपरेखा शामिल है।

मंत्रालय ने सुश्री मीरा सेठ, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय महत्व की योजना तैयार करने के लिए पैरामीटरों तथा एग्रो-खाद्य-उत्पादों का निर्यात करने की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने स्वास्थ्यकर-पैकेजिंग में सुधार करने की दृष्टि से परंपरागत खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने का तथा निर्यात बाजार की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्पादों की शैल्फ लाइफ के संबंध में एक समिति भी गठित की है। गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो मंत्रिमंडल के विचाराधीन है।

इजराइल के उद्योग तथा व्यापार मंत्री के नेतृत्व में मंत्री द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए एक इजराइली शिष्टमण्डल बुलाया गया। भारत से प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 मई—4 मई, 1994 तक शिकागो (अमरीका) में आयोजित इन्टरनेशनल सुपर मार्केट कन्वेंशन 1994 में सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में शिष्टमंडल तथा अध्यक्ष, अपेड़ा ने भाग लिया। इस मंत्रालय ने फ्रांस, अमरीका, आस्ट्रेलिया, हंगरी, वियतनाम, जापान, ईरान तथा मध्य एशियाई गणराज्यों उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किरगिजस्तान तथा तजाकिस्तान के विभिन्न संयुक्त मिशनों तथा शिष्टमंडलों की बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए भी भाग लिया। इस मंत्रालय ने बडेन बुरटैम्बर्ग के व्यापार शिष्टमण्डल के साथ एक राउंड टेबल बैठक भी बुलाई, उनमें से सबसे बड़े जर्मन देश ने फरवरी, 1995 में भारत का दौरा किया।

मंत्रालय ने रिपोर्टों की व्यवहार्यता के लिए तथा विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कदम उठाने हेतु विभिन्न सरकारी संगठनों, सहकारिताओं तथा अन्य संगठनों को सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से कार्यनिष्पादन पुरस्कार की भी स्थापना की है। ''फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया-इनवेस्टमेंट

year 1994-95. Schemes formulated for the development of different sectors are being implemented and assistance provided under the various schemes are indicated in subsequent chapters.

On the request of the Ministry, the States have nominated nodal agencies for coordinating with Central Government as well as the different Departments of the States for the purpose of development of food processing industries in the States. Plan assistance has also been provided to many nodal agencies for strengthening their infrastructure, particularly for data collection, data management, etc.

Regular interaction between the Ministry and the State Nodal Agencies is ensured. In October, 1994, a meeting of the State Nodal Agencies for food processing industries was organised at Delhi to review the progress of the various schemes being operated as also to ascertain their views in regard to the policies to be pursued for bringing about overall development of the Food Processing Industries. The impact of the schemes for which assistance has been provided by the Ministry during the last few years was also discussed.

To cater to the needs of information storage, feedback monitoring and wide dissemination of vital information to the industry, the Ministry has been taking steps to computerise different functional areas with the help of National Informatics Centre. Several areas, like Plan Schemes, Industrial Entrepreneurs Memoranda, Industrial Approvals etc, are at various stages of computerisation and an important project for computerising the FPO Licensing and monitoring activities in F&VP Regional Offices has also been taken up in cooperation with NIC. All this is expected to help significantly in our role as a facilitator and catalytic agent in the liberalised environment, for well directed growth of food processing industry.

Two Public Sector Undertakings viz., Modern Food Industries (India) Limited and North Eastern Regional Marketing Corporation Limited performed better in the current financial year. MFIL is estimated to increase its turnover by over 35% and is expected to make higher profits in the current financial year. NERAMAC has also increased its production of pineapple juice concentrate and marketing of agricultural produce substantially and is likely to reduce its losses by 25% in the current financial year.

With a view to creating a positive consumer awareness about processed foods, stimulating demand for processed foods and enhancing awareness amongst consumers about what FPO symbol means and stands for, the Ministry has been operating a Plan Scheme on Generic Advertising of processed foods. Realising the usefulness of the campaigns organised by the Ministry during the first two years of the 8th Plan, a decision to continue the campaign in a sustained manner over a period of time with positive involvement of the industry associations was taken again and in 1994-95, the advertising campaign is being carried on in newspaper, magazines and electronic media, with financial assistance being provided by the Ministry on a tapering basis.

Ministry also assisted and participated in various seminars organised by the All India Food Preservers' Association, Confederation of Food Trade and Industry, World Assembly of Small and Medium Scale Industries, National Association of Young Entrepreneurs, Association of Indian Food Scientists and Technologists and various others. The Ministry encouraged participation in international trade fairs like Chicago Fair, Sial Fair, France, etc. where besides selling Indian products seminars were also held with the potential investors. The Ministry also participated in Agro-Tech, Chandigarh and Tech-Mart Delhi. Participation in AHARA is also being arranged.

In collaboration with IIP, Bombay & CFTRI, Mysore, the Ministry has taken up various programmes for the development of packaging of processed foods. The prominent projects include; R&D of Soyabean products, Packaging of fresh grapes, Report on packaging of processed food industry and a profile of Packaging Industry.

Ministry has constituted an Expert Committee to recommend parameters for evolving a national perspective plan for food processing industries and export of agro-food products under the Chairmanship of Ms. Mira Seth, Member, Planning Commission. Ministry has also constituted a Committee to upgrade the technologies in the traditional food sector with a view to improve hygiene,

अपार्चुनिटीज'' शीर्षक का प्रकाशन जो विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, चैम्बर्स आफ कामर्स तथा इन्डस्ट्री को भेजा गया, बहुत लाभदायक पाया गया। इस पुस्तक को इस वर्ष के दौरान संशोधित किया गया तथा सभी संबंधितों को उपलब्ध कराई गई।

इस उद्योग के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से मंत्रालय ने कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत ढांचा, नीतियों-कार्यविधि सरकारी प्रोत्साहन आदि पर एक विस्तृत सूचना पैकेज एफ० पी० इंडिया, 94 तैयार किया है। यह राज्य नोडल एजेंसियों तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेज दिया गया है। इस उत्पाद की प्रचुर मात्रा में मांग हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के लिए चुनिंदा प्रोद्योगिकियों का सार भी प्रकाशित करा लिया गया है तथा वितरित कर दिया गया है। मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ०टी०आर०आई०) के निकट सहयोग से परियोजना रूपरेखा का एक खण्ड तैयार किया है और इनका राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य के जरिये प्रचार-प्रसार किया गया है।

दूरदर्शन ने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में प्राईवेट प्रोडूसर के माध्यम से एक फिल्म तैयार की है जिसका डी०डी० मैट्रो चैनल पर प्रसारण किया गया था। इसके बाद अनेक संगठनों से विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में योजना स्कीमों से संबंधित और ब्यौरे मांगे गए हैं। मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए फिल्में बनाने का भी निर्णय ले लिया है।

packaging and shelf life of products with a view to cater to the export markets. The Committee on Deep Sea Fishing has submitted its report which is under consideration of the Cabinet.

An Israeli Delegation led by Israel Minister of Industry and Trade called on the Minister to discuss a wide range of topics concerning Trade and Economic cooperation in areas of Agro-technology and Food Processing. A delegation headed by Secretary FPI, comprising, inter-alia, Chairman APEDA, participated in the International Super Market convention 1994 held at Chicago, USA from 1st to 4th May, 1994 in order to promote the export of processed foods from India. This Ministry also participated in various Joint Commissions with and meetings of delegations from, France, USA, Australia, Hungary, Vietnam, Japan, Iran and Central Asian Republics of Uzbekistan, Kazakhastan, Kyrghyzstan and Tajikistan to provide a fresh impetus to the growth on bilateral ties with each of these countries in the field of food processing. This Ministry also participated in the Round Table meeting held with a business delegation from Baden Wuerttemberg, one of the largest German states which visited India in February, 1995.

Ministry provided assistance, to various State organisations, Cooperatives and other organisations for feasibility reports and taking steps for establishment of various food processing industries. Ministry also established performance awards through the National Productivity Council for various sub-sectors of the food processing industries. Ministry's publication titled "Food Processing industries in India—Investment Opportunities" which was sent to Indian Missions abroad, Chambers of Commerce and Industry was found to be very useful. The book was revised during the year and copies made available to all concerned.

With a view to disseminate information on the performance of the industry, the Ministry prepared a detailed information package FP-India 94 on raw material availability, infrastructure, policies, procedures, State incentives etc. This has been sent to the State Nodal Agencies and Indian Missions abroad. There has been a great deal of demand for this product. A compendium of selected technologies for food processing in rural sector has also been got published and distributed. The Ministry in close association with Central Food Technological Research Institute (CFTRI) have brought out a volume of Project profiles and these have been disseminated through State Nodal Agencies and others.

Doordarshan has prepared a film through a pvt. producer on food processing training Centres which was telecast on DD Metro. A number of enquiries have been subsequently received from various organisations seeking more details about the Plan scheme for setting up of FPTCs in different states. The Ministry has also decided to make films for wider dissemination of technology in rural areas.

अध्याय 2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना समर्थ एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में की गयी थी। अतः कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने, कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, फसल पूर्व और फसलोत्तर बर्बादी को कम करने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपयुक्त प्राप्ति में सक्षम उद्योगों को अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अन्तर्गत इसे आबंटित विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार का एक अभिकरण है। अतः यह मंत्रालय उद्योग के स्वस्थ विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, राज्य सरकारों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी और क्वालिटी मानकों के उन्नयन, घरेलू बाजार को सक्रिय करने, निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने और जब कभी आवश्यक हो कर और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रेरक नीति का वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। वह विदेशी सहयोग और निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करता है और सामान्यतः अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। अतः मंत्रालय के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है।

1. विकासात्मक एवं उन्नायक
2. विनियमनकारी और
3. तकनीकी और परामर्शी

ये कार्य केन्द्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपादित किए जाते हैं जिनमें विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय के वर्तमान संगठन को दर्शाने वाला चार्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

स्टाफ की संख्या

मंत्रालय मुख्यालय की कुल स्वीकृत संख्या 170 है। 31-12-94 को पदों (ग्रुपवार) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित पदों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित पदों की संख्या अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰
ग्रुप क	36	5	—
ग्रुप ख	54	10	3
ग्रुप ग	57	9	3
ग्रुप घ	23	5	—
कुल	170	29	6

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मैसर्स माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहटी नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से संबद्ध हैं।

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries acts as a focal point for developing a sound and vibrant food processing industry. With this end in view, industries with adequate backward linkages are identified for improving productivity in agriculture and allied activities, generation of employment in rural areas, diversification and commercialisation of agriculture, reduction of pre and post harvest wastages and increasing export. This Ministry is one of the Central agencies of the Government for promotion of food processing industries in the country, which includes formulation and implementation of policies and plans in respect of specified industries within the national priorities and objectives. This Ministry endeavours to create a conducive policy environment for healthy growth of these industries, improve infrastructure, including upgradation of technology and enforcing quality standards, activating domestic market focus on export and rationalisation of taxes and duties whenever required in this effort the actual involvement of State Governments is also ensured. It processes applications for foreign collaborations and export oriented units and renders assistance to prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as:—

(i) Developmental and Promotional,

(ii) Regulatory and

(iii) Technical and Advisory.

These functions are carried out through the Central and field organisations which include subject specialists. A chart showing the present organisation of the Ministry is annexed.

STAFF STRENGTH

The total sanctioned strengtn of the Ministry (Hqrs) is 170. The details of the posts (Groupwise) and the posts held by SC/ST members as on 31.12.94 is given below:—

Group of Posts	No. of sanctioned posts	No. of posts held by SCs	STs
Group A	36	5	—
Group B	54	10	3
Group C	57	9	3
Group D	23	5	—
TOTAL	170	29	6

Two public sector undertakings, namely, M/s. Modern Food Industries (India) Ltd., and North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. Guwahati, which are associated with food processing and marketing, are under the administrative control of this Ministry.

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries [illegible] food [illegible] are [illegible] in a [illegible] waste [illegible] of the [illegible] implementation of policies and plans in respect of specified industries within the national priorities and objectives. This Ministry endeavours to create a conducive policy environment [illegible] of these industries, [illegible] infrastructure, including upgradation of technology and [illegible] standards, activating domestic market [illegible] on export [illegible] whenever required [illegible] the actual involvement of State Governments [illegible] processes applications for foreign collaborations and export oriented units and [illegible] prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as:

(i) Developmental and Promotional;

(ii) Regulatory and

(iii) Technical and Advisory

These functions are carried out through the Central and field organisations [illegible] [illegible] organisation of the Ministry is annexed.

STAFF STRENGTH

The total sanctioned strength of the Ministry [illegible] is [illegible]. The details of the posts [illegible] and the posts held by SC/ST [illegible] is given below:—

Group of Posts	No. of sanctioned posts	No. of posts held by SCs	No. of posts held by STs
Group A	48	[illegible]	[illegible]
Group B	[illegible]	10	[illegible]
Group C	57	[illegible]	[illegible]
Group D	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

The [illegible] undertakings namely M/s. [illegible] and Industries (India) Ltd. [illegible] Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. [illegible] processing and [illegible] are under the administrative control of the Ministry.

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND ATTACHED OFFICE AS ON 31-12-1994

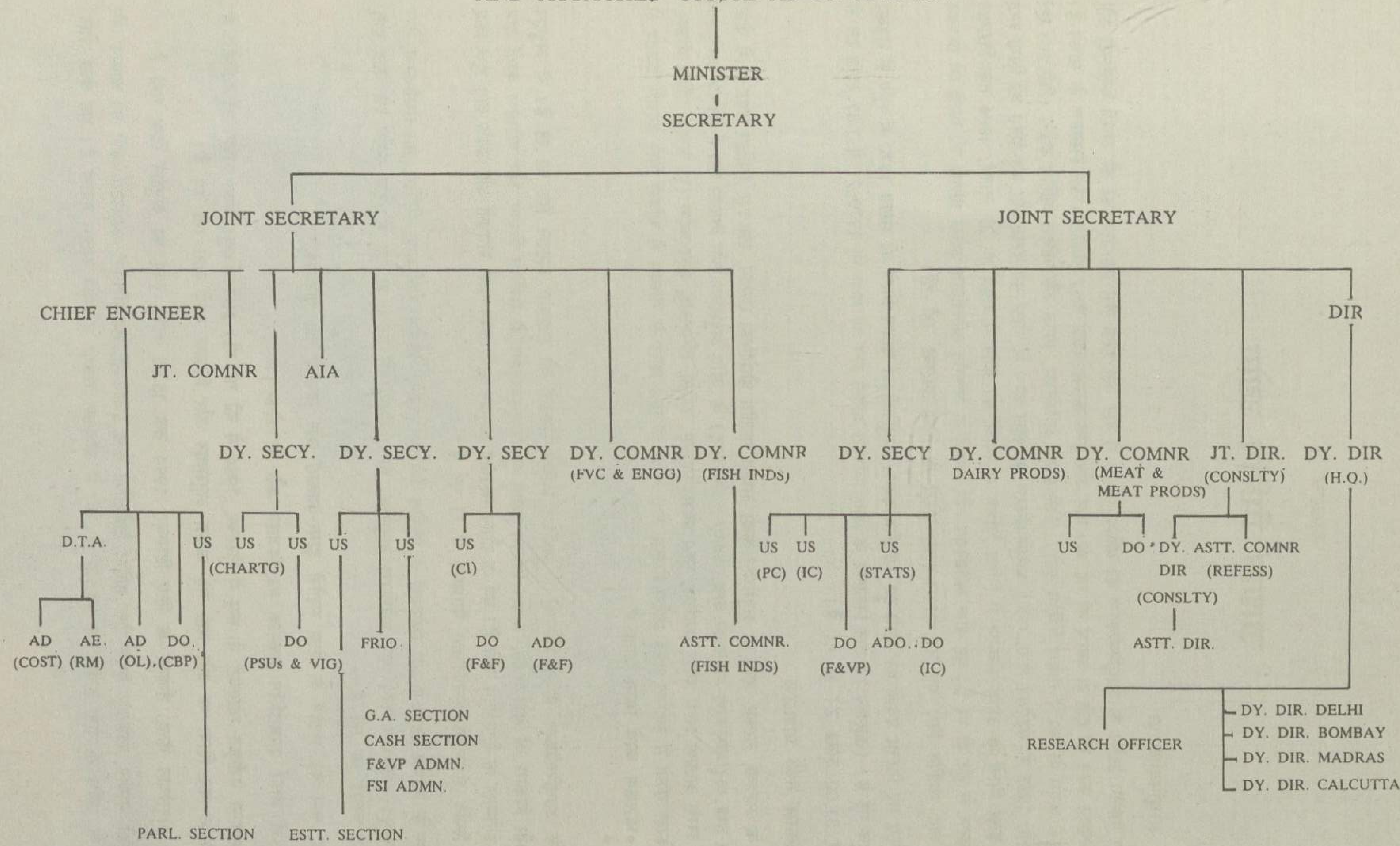

अध्याय 3

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

देश में चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 1970 में ब्रान और हस्क जैसे सह-उत्पादकों की अच्छी क्वालिटी और चावल का अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से आरंभ की गई थी। ब्रान और हस्क क्रमशः खाद्य तेल/औद्योगिक तेल निस्सारण के साधन हैं। आधुनिकीकरण के पहले कदम के रूप में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंसिंग) नियमावली, 1958 में संशोधन किया गया। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेलर एवं हलर और बहु-हलरों को लिया गया था। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में निहित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई, 1984 तक विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है। यह ढील अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत उल्लिखित कुछेक श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित किए गए नए सिंगल-हलर यूनिटों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयत्नों को देखते हुए आधुनिकीकरण/आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या 1970 में शून्य से बढ़कर 1995 में 34113 पहुंच गई है। (तालिका 1) तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत चावल ब्रान की मात्रा भी 1970-71 में 1.87 लाख टन से बढ़कर 1993-94 में 31.00 लाख टन हो गई है।

अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण

कानूनी उपायों के अलावा, सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर (तमिलनाडु) के जरिए अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न कार्यकलाप प्रायोजित कर रही है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और केरल राज्यों में स्थापित बारह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के बिछे जाल के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

महायता अनुदान

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं। ये अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिये जाते हैं। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

चावल प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भंडारण, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान-स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

(क) पारबाइल्ड धान को सुखाने के लिए मशीनी ड्रायर-आकारों और मापदंडों का मानकीकरण।

(ख) सतत ऊर्जा बचत पारबाइलिंग तकनीक का डिजाइन और मानकीकरण।

इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसायटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी। इसने तंजावुर स्थित अपनी नई बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था और वहां यह अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए है।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर के लिए दिसम्बर, 1994 तक 15.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि को चावल और अनाजों के प्रसंस्करण के संबंध में पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं सुलभ कराता है। यह केन्द्र पोस्ट

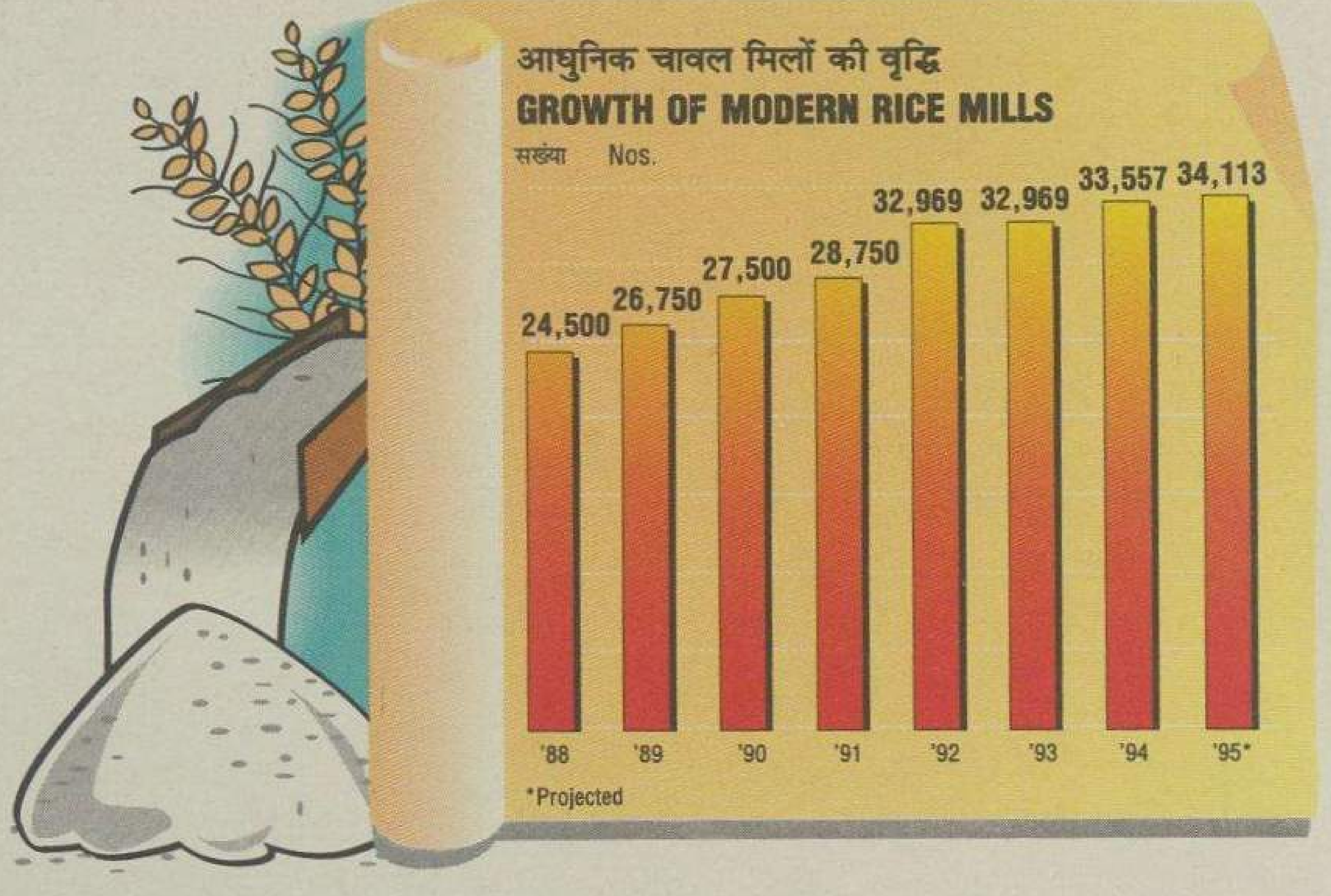
आधुनिक चावल मिलों की वृद्धि
GROWTH OF MODERN RICE MILLS
सख्या Nos.
24,500
26,750
27,500
28,750
32,969
32,969
33,557
34,113
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*
*Projected

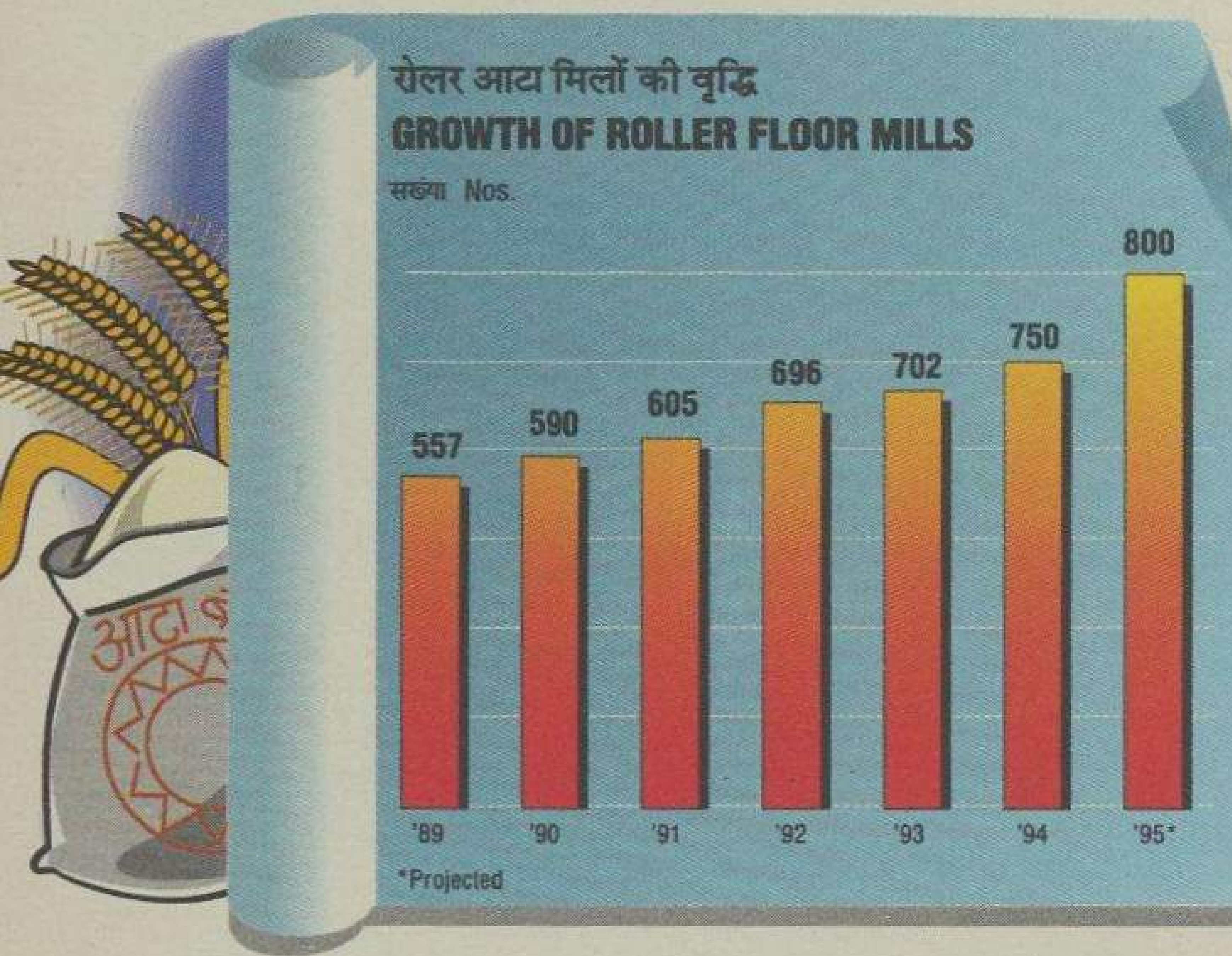
रोलर आटा मिलों की वृद्धि
GROWTH OF ROLLER FLOOR MILLS
सख्या Nos.
557
590
605
696
702
750
800
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*
*Projected

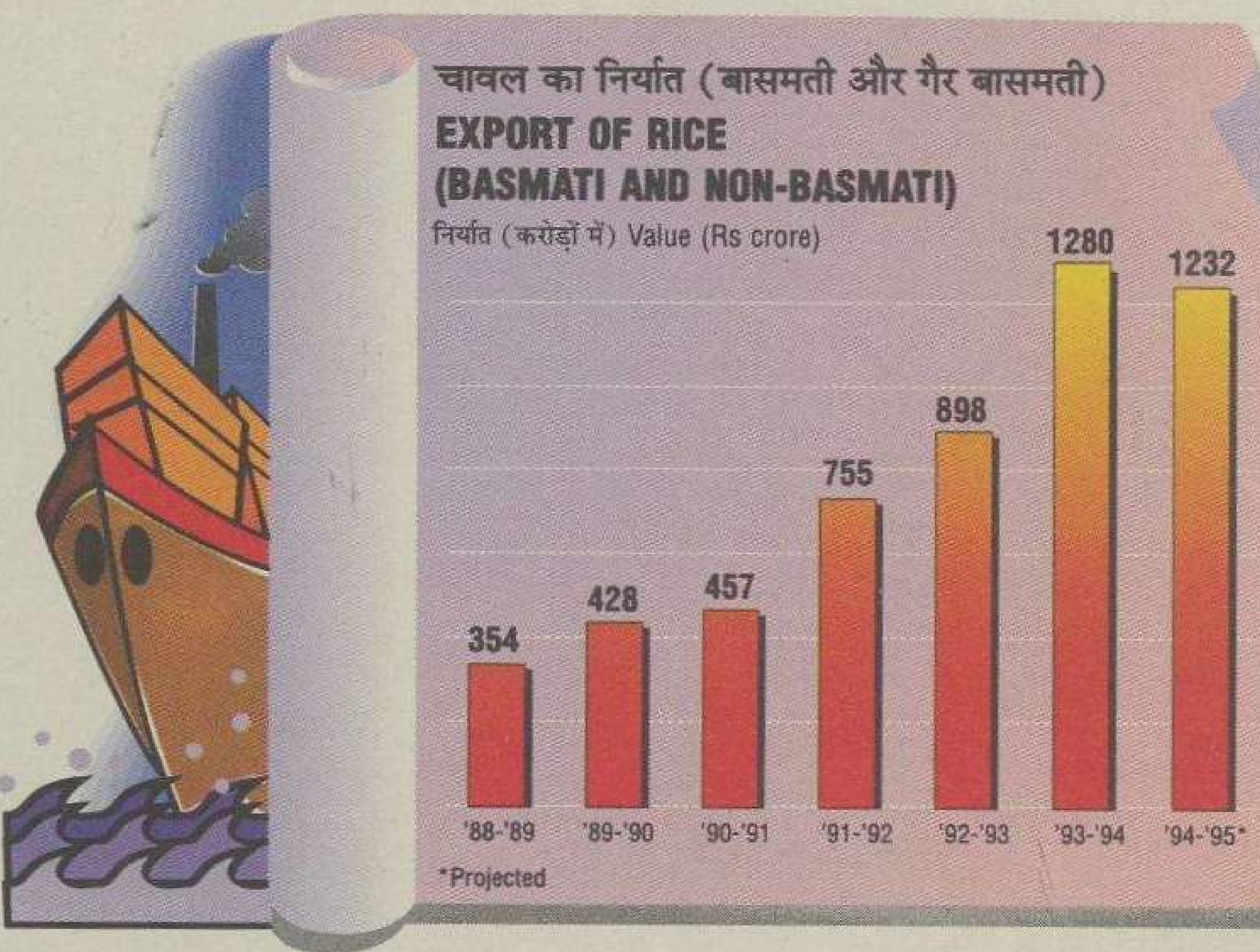
चावल का निर्यात (बासमती और गैर बासमती)
EXPORT OF RICE
(BASMATI AND NON-BASMATI)
निर्यात (करोड़ों में) Value (Rs crore)
354
428
457
755
898
1280
1232
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

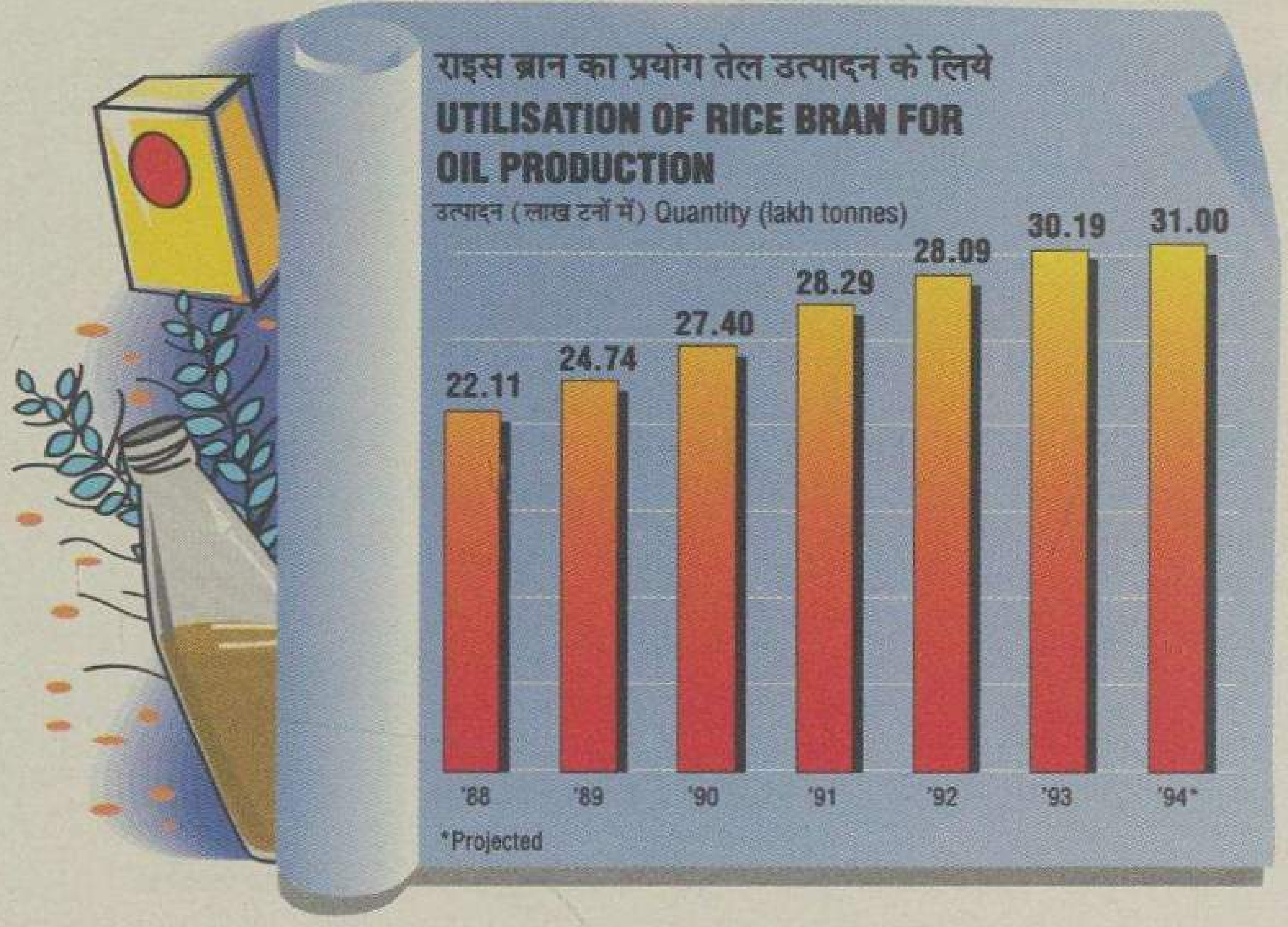
राइस ब्रान का प्रयोग तेल उत्पादन के लिये
UTILISATION OF RICE BRAN FOR
OIL PRODUCTION
उत्पादन (लाख टनों में) Quantity (lakh tonnes)
22.11
24.74
27.40
28.29
28.09
30.19
31.00
'88
'89
'90
'91
'92
'93
'94*
*Projected

CHAPTER III

FOOD GRAIN MILLING INDUSTRIES

MODERNISATION OF RICE MILLS

The process for modernisation of rice milling industry in the country was initiated in 1970 with a view to obtaining higher yields of rice and better quality of by-products such as bran and husk, suitable for edible oil/industrial oil extraction and as a source of fuel respectively. As a first step towards modernisation, the Rice Milling Industry (Regulation) Act 1958 and the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules 1959 were amended. In the initial phase of modernisation, shellers-cum-hullers and multiple hullers were brought under purview of modernisation. However, keeping in view various problems involved in the modernisation of single huller mills, units existing on 27.7.1984 have been exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after the date, except to certain categories enumerated under the Act and the rules made thereunder.

In view of the sustained efforts made by the Government, the number of modern/modernised rice mills have gone up from practically nil in 1970 to 34113 in 1995 (Table-1). Also the quantity of rice bran processed for oil extraction has increased from 1.87 lakh tonnes in 1970-71 to 31.0 lakh tonnes in 1993-94.

R & D EXTENSION & TRAINING

Apart from legislative measures, the Govt. has been sponsoring various research and development activities through its two research Centres, namely, Post Harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (West Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur (Tamil Nadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a net-work of Twelve Regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab and Kerala.

GRANTS IN AID

Grants-in-aid are being provided to various institutes in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development, extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisations which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs:—

The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the following projects are being handled at the Centre:—

(a) Mechanical dryer for parboiled paddy drying-standardisation of sizes and parameters.

(b) Design and Standardisation of a continuous energy-saving parboiling technique.

The Centre was formed as a registered society in December'84 and was shifted to its new building at Thanjavur in December'87 and is continuing its research and development work.

A grant of Rs. 15.00 lakhs has been released to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur upto Dec.'94 .

The Post Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, technicians, operators etc. in the post harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D and Post Doctoral courses in Post Harvest technology, and short term courses in rice-milling. Special courses under the Colombo Plan and Special Commenwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organised, for foreign nationals. At present 14 M. Tech., and 20 Ph.D. students are undergoing courses at the Centre. Besides teaching

हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी में एम॰टेक॰, पी॰एच॰डी॰ और डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम और चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (स्काप) के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 14 विद्यार्थी एम॰ टेक॰ और 20 विद्यार्थी पी॰एच॰डी॰ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापन कार्यों के अलावा, यह केन्द्र चावल प्रसंस्करण और सह-उत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है।

इस केन्द्र को दिसम्बर, 1994 तक 20.00 लाख रु॰ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में जब तक कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं आदि के अधीन 13 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इश्तिहारों आदि के जरिए प्रचार के माध्यम से चावल मिलों के आधुनिकीकरण और सह-उत्पादों के बेहतर उपयोग विषयक कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय प्रारम्भ के पांच वर्ष से आठ वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें, इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये तेरह केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, मणिपुर और केरल राज्यों में स्थापित किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थापित केन्द्रों को अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिए 8 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उनके कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिए संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिया गया।

इन केन्द्रों को दिसम्बर, 1994 तक 2.25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

12 राज्यों में अर्थात आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा और मणिपुर में हलरों के आधुनिकीकरण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ताकि हलर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक हलर मालिक को अपनी यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 15,000 रुपए की राजसहायता दी जाती है।

देश में बढ़िया किस्म की चावल मिलिंग मशीनरी और सहायक मशीनरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के दक्षिण, पूर्वी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये क्रमशः कोयम्बटूर, खड़गपुर, कानपुर और पुणे में स्थित हैं। ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल मशीनरी की जांच का कार्य करने, मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देने, निर्माताओं और मिल मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं इत्यादि प्रदान करने का काम करते हैं।

इन केन्द्रों को दिसम्बर, 1994 तक 5.25 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है।

बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए कुल 245 लाख रुपए के पूंजी निवेश वाली शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान चावल मिलिंग सैक्टर में 3 नई यूनिटों की स्थापना को मंजूरी दी गई है जिनसे लगभग 115 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

गेहूं रोलर आटा मिलिंग उद्योग

जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति आरम्भ करने के बाद निम्नलिखित मामलों को छोड़कर नई रोलर आटा मिलों की स्थापना अथवा यूनिटों की विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

(क) प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थापित न की गई हो।

गेहूं उत्पादों को तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस आवश्यकता नहीं होती। गेहूं उत्पादों के मूल्य और वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं से भी गेहूं प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे सरकार पर निर्भर न रहें। देश में प्रति वर्ष लगभग 800 रोलर आटा मिलों द्वारा करीब 100 लाख टन गेहूं से विभिन्न गेहूं उत्पाद तैयार किए जाते हैं। (तालिका-2)

दाल मिलिंग उद्योग

भारत में दाल मिलिंग उद्योग चावल और आटा मिलिंग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। अनुमान है कि 140 लाख टन उत्पादित दालों में से 75% दाल का प्रसंस्करण सम्पूर्ण देश में फैली लगभग दस हजार दाल मिलों द्वारा किया जाता है। इसके लिए दालों को विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। जैसे-सफाई, फटकना, ग्रेडिंग, दलाई, छिल्का उतारना और पालिश करना। घर, कुटीर या लघु स्तर पर दाल मिलिंग के लिए देश में विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing and by-product utilisation etc.

A grant of Rs. 20.00 lakhs has been sanctioned to the Centre upto December, 1994.

Thirteen Regional Extension Service Centres have been set up so far in different paddy growing states under the Agriculture Universities/Research Institutions etc. to propagate the advantages of rice mill modernisation and better by product utilisation through seminars, demonstration programmes, short-duration training courses, technicals guidance, publicity through films, leaflets etc. These Centres are financed by the Ministry for an initial period of five to eight years after which they are handed over to the host organisation. These Thirteen centres have been set up in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat, Punjab, Manipur and Kerala. The Centres at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two), West Bengal and Maharashtra have been handed over to the respective host organisations after the completion of the eight year period for further continuance of their activities.

A grant of Rs. 2.25 lakhs has been released to the Centres upto December, 1994.

A Scheme on "Modernisation of single hullers" is being implemented in twelve states viz., Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Haryana and Manipur to encourage huller modernisation. Under this scheme, huller-owners are provided subsidy of Rs. 15,000/- each for the modernisation of their units.

In order to encourage production of quality rice milling and allied machinery in the country, four testing centres have been set up in the Southern, Eastern, Northern and Western regions of the country. These are located at Coimbatore, Kharagpur, Kanpur and Pune respectively. These centres undertake testing of rice milling machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

A grant of Rs. 5.25 lakhs has been sanctioned to the centres upto December, 1994.

Setting up of 3 new units in Rice Milling Sector was approved during the year under 100% EOU scheme for export of Basmati & Non-Basmati rice with a total investment of Rs. 245 lakhs and providing employment to approx. 115 persons.

Wheat Roller Flour Milling Industry

After introduction of the New Industrial Policy in July, 1991, licensing is abolished for setting up of new roller flour mills or for expansion in the existing capacity of the units except in the following cases:—

(a) The proposed project is not located within 25 Kms of the periphery of the standard urban area limit of a city having a population of more than 10 lakhs according to 1991 census.

No licence is required for manufacture of wheat products. There are also no controls on price and distribution of wheat products either. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source, thereby avoiding their dependence on Government for the supply of raw materials. Nearly 10 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 800 roller flour mills in the country every year (Table II).

Pulse Milling Industry

Pulse milling industry is a major milling industry in India, next only to rice and flour milling. It has been estimated that out of the 14 million tonnes of pulses produced, 75% quantity is processed in about 10,000 dal mills scattered all over the country. Pulses are passed through several stages of precleaning, dehusking, grading, aspirating, spilitting and polishing. Various methods are practiced in the country to mill pulses at home, and at cottage or small scale level.

तालिका-1

1.1.1995 को चावल मिलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर्स सह-शेलर्स	अधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,609	1.776	2,364	12,995	21,744
2.	असम	431	14	2,133	242	2,820
3.	बिहार	4,749	63	9	51	4,872
4.	गुजरात	1,890	159	67	1,045	3,161
5.	हरियाणा	807	-	-	990	1,797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	3	222	1,116
7.	जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	-
8.	कर्नाटक	9,131	462	1,103	3,674	14,370
9.	केरल	13,664	-	13	2,533	16,210
10.	मणिपुर	71	-	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	8,199	273	541	1,759	10,772
12.	मध्य प्रदेश	3,918	201	262	1,661	6,042
13.	मेघालय	252	-	8	-	260
14.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	6,398	125	289	552	7,364
16.	पंजाब	4,416	442	-	1,965	6,823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	-	-	-	17
19.	तमिलनाडु	13,684	448	1324	3,922	19378
20.	त्रिपुरा	1030	6	8	1	1045
21.	उत्तर प्रदेश	5,707	562	150	1,215	7,634
22.	पश्चिम बंगाल	9,554	3	72	926	10,555
23.	चण्डीगढ़	16	-	-	11	27
24.	दिल्ली	2	-	-	27	29
25.	पांडिचेरी	130	-	8	88	234
26.	अंडमान-निकोबार	116	-	-	-	116
27.	अरूणाचल-प्रदेश	1	-	-	-	1
28.	दादर नागर हवेली	8	1	-	-	9
29.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
30.	गोवा	675	-	5	40	720
31.	मिजोरम	-	-	-	-	-
	योग	90525	4538	8462	34113	137638

Table-I Number of Rice Mills as on 1.1.1995

S.No.	Name of the State	Hullers	Shellers	Huller Cum Shellers	Modern/ Modernised Rice Mills	Total
1.	Andhra Pradesh	4609	1776	2364	12995	21744
2.	Assam	431	14	2133	242	2820
3.	Bihar	4749	63	9	51	4872
4.	Gujarat	1890	159	67	1045	3161
5.	Haryana	807	—	—	990	1797
6.	Himachal Pradesh	890	1	3	222	1116
7.	Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—
8.	Karnataka	9131	462	1103	3674	14370
9.	Kerala	13664	—	13	2533	16210
10.	Madhya Pradesh	3918	201	262	1661	6042
11.	Maharashtra	8199	273	541	1759	10772
12.	Manipur	71	—	97	1	169
13.	Meghalaya	252	—	8	—	260
14.	Nagaland	—	—	—	—	—
15.	Orissa	6398	125	289	552	7364
16.	Punjab	4416	442	—	1965	6823
17.	Rajasthan	152	2	6	193	353
18.	Sikkim	17	—	—	—	17
19.	Tamil Nadu	13684	448	1324	3922	19378
20.	Tripura	1030	6	8	1	1045
21.	Uttar Pradesh	5707	562	150	1215	7634
22.	West Bengal	9554	3	72	926	10555
23.	Andman Nicobar	116	—	—	—	116
24.	Arunachal Pradesh	1	—	—	—	1
25.	Chandigarh	16	—	—	11	27
26.	Dadar & Nagar Haveli	8	1	—	—	9
27.	Delhi	2	—	—	27	29
28.	Goa	675	—	5	40	720
29.	Mizoram	—	—	—	—	—
30.	Pondicherry	138	—	8	88	234
31.	Lakhadweep	—	—	—	—	—
	Total	90525	4538	8462	34113	137638

तालिका-2 : 1.1.1995 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	58
2.	असम	40
3.	बिहार	58
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	34
8.	हरियाणा	45
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू व कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	60
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	41
14.	महाराष्ट्र	61
15.	नागालैण्ड	4
16.	उड़ीसा	19
17.	पांडिचेरी	3
18.	पंजाब	44
19.	राजस्थान	10
20.	सिक्किम	3
21.	तमिलनाडु	65
22.	त्रिपुरा	2
23.	उत्तर प्रदेश	120
24.	पश्चिम बंगाल	49
25.	मणिपुर	1
26.	मेघालय	2
		800

Table-II Number of Roller Flour Mills in the Country As on 01-01-1995

S.No.	Name of the State	Number
1.	Andhra Pradesh	58
2.	Assam	40
3.	Bihar	58
4.	Chandigarh	5
5.	Delhi	18
6.	Goa	2
7.	Gujarat	34
8.	Haryana	45
9.	Himachal Pradesh	15
10.	Jammu & Kashmir	19
11.	Karnataka	60
12.	Kerala	27
13.	Madhya Pradesh	41
14.	Maharashtra	61
15.	Manipur	1
16.	Meghalaya	2
17.	Nagaland	4
18.	Orissa	19
19.	Pondicherry	3
20.	Punjab	44
21.	Rajasthan	10
22.	Sikkim	3
23.	Tamil Nadu	60
24.	Tripura	2
25.	Uttar Pradesh	120
26.	West Bengal	49
	Total	800

अध्याय 4

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उत्पाद समूह उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अन्तर्गत मुख्यतया पस्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद और बिस्कुट, बीयर, शराब तथा पेय अल्कोहल, मृदु पेय इत्यादि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं। इसके अलावा इस प्रभाग द्वारा स्टार्च, ग्लूकोज इत्यादि जैसे उत्पादों को भी देखा जा रहा है क्योंकि उत्पादों के लिए इनकी भी आवश्यकता होती है। उच्च पोषक तत्व वाले सोयाबीन के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उपभोक्ता उद्योग प्रभाग इस पहलू को भी देखता है। यह उलेखनीय है कि सरकार ने बीयर, पेय अल्कोहल और शराब को छोड़कर लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और लघु उद्योग सैक्टर, दुग्ध उत्पादों तथा माल्टयुक्त खाद्यों के उत्पादों हेतु पूर्णतः आरक्षित उद्योगों के सभी सैक्टरों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान कर दी है।

खाने के लिए तैयार खाद्य, सोया उत्पाद, कोको उत्पाद, उच्च प्रोटीन वाले मृदु पेय इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग हैं।

अनाज आधारित उत्पाद

अनाज आधारित उत्पादों में से प्रमुख मद डबलरोटी और बिस्कुट लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं और अनुमान है कि इस समय देश में ब्रेड और बिस्कुट का 10-10 लाख टन उत्पादन होता है। लगभग 20% ब्रेड का उत्पादन संगठित क्षेत्र में और शेष 80% ब्रेड का उत्पादन लघु क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में होता है। बिस्कुट के मामले में लगभग 3.6 लाख टन का उत्पादन संगठित क्षेत्र में और 6.4 लाख टन का उत्पादन लघु क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में किया जा रहा है। अनुमान है कि पिछले वर्ष ब्रेड की वृद्धि दर लगभग 5% और बिस्कुट की 7% थी। इस वृद्धि दर को इस वर्ष बनाए रखे जाने की संभावना है।

कार्नफ्लैक्स जैसे अनाज आधारित अन्य उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन लगभग 10 हजार टन प्रति वर्ष होता है और चालू वर्ष में इसमें 4% की वृद्धि होने की संभावना है।

सोयाबीन उत्पाद

अधिक प्रोटीन वाले सोया उत्पादों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इन उत्पादों को तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सोया आधारित उत्पादों को दिनांक 25.7.1991 की अधिसूचना संख्या 477(ई) के अनुलग्नक-3 में रखा गया है और यह उद्योग 51 प्रतिशत तक विदेशी सहयोग के स्वतः अनुमोदन की पात्रता रखते हैं। संगठित क्षेत्र में 7 यूनिट पहले ही विभिन्न सोयाबीन खाद्य उत्पादों का निर्माण कर रही हैं।

कोको उत्पाद

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर, कोको बटर स्थानापत्र और कोको फ्लेवर्ड माल्टेड दुग्ध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण के लिए 20 यूनिट कार्यरत हैं जिनका चालू वर्ष में उत्पादन लगभग 41,000 टन है।

100% निर्यातोन्मुखी यूनिट और विदेशी सहयोग के मामले

वाइन, बीयर और पेय अल्कोहल को छोड़कर उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती किन्तु 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान मृदु वातित जल और गुआर गम रिफाइंड स्पिलट के निर्माण के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उपभोक्ता क्षेत्र में अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारी के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कुल प्रस्तावित विदेशी निवेश करीब 3.65 करोड़ रुपये है।

पेय अल्कोहल उद्योग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने गैर-शीरा बेस से पेय अल्कोहल तैयार करने की नीति लागू की। गैर-शीरे से पेय अल्कोहल तैयार करने पर लगे प्रतिबन्ध पर 1988 में ढील दी गई थी। अभी तक सरकार ने गैर-शीरा कच्ची सामग्री पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए नई

Nutrela
High Protein Soya Food
100% vegetarian

शीतल पेय के उत्पादन में वृद्धि
GROWTH OF SOFT DRINKS PRODUCTION
उत्पादन (दस लाख बोतलों में)
Production (Million bottles)
1968
2070
2195
2490
2800
3000
3240
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

CHAPTER IV

CONSUMER FOOD INDUSTRIES

The product group consumer food industry mainly consists of ready-to-eat products or ready-to-cook products such as pasta products, cocoa based products, bakery products and biscuits, beer, wines and potable alcohol, soft drinks etc. Besides, products like starch glucose etc. which are also required for food products are also being looked after in this Division. The soyabean products which have a highly nutritional value are also being promoted and Consumer Products Division looks into this aspect also. It may be mentioned that Government have delicensed almost all food processing industries except for beer, potable alcohol and wines. Automatic approval for foreign investment upto 51% has been introduced practically in all sectors of food processing industries except for those which are reserved exclusively for production in small scale sector, milk products and malted foods.

Some of the important processed food industries are ready-to-eat foods, soya products, cocoa products, high protein foods, soft drinks etc.

Cereal Based Products

Of the cereal based products the major item bread and biscuits are reserved for small scale sector and the present production of bread and biscuits is estimated to be about 10 lakh tonnes each in the country. While about 20% of bread is produced in the organised sector, the remaining 80% is produced in the small scale and unorganised sector. In the case of biscuits, the production in the organised sector is approximately 3.6 lakh tonnes and 6.4 tonnes are being produced in the small scale and unorganised sector. The growth rate in the case of bread is estimated to be about 5% and that of biscuits is 7% in the last year which is likely to be maintained this year.

The production of other cereal based consumer products like corn flakes is approximately 10,000 tonnes per annum and is likely to grow by 4% in the current year.

Soyabean products

Considering the importance of protein-rich soya based products, the Government is trying to promote manufacture of these products. Soya based products have been placed in Annexure-III to the Notification No. 477(E) dated 25.7.1991 and the industry is eligible for automatic approval for foreign collaboration involving foreign equity participation upto 51%. There are seven units in the organised sector already manufacturing various soyabean food products.

Cocoa products

There are 20 units engaged in the manufacture of cocoa products, like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitute and cocoa flavoured malted milk foods with a production of approximately 41,000 tonnes.

100% Export Oriented Units & Foreign Collaborations

While no licence is required for setting up of consumer industries except beer and alcohol, proposals for setting up of 100% EOU require the approval of the Govt. During the period from April 1994 to December 1994 two proposals for setting up of 100% EOUs for the manufacture of Aerated Water and Guar Gum Refined Splits have been approved by the Govt. In Consumer Industries Sector, 3 proposals for foreign collaboration and foreign equity participation have been approved during the period April 1994 to Dec. 1994. The total foreign investment proposed is approximately Rs. 3.65 crores.

क्षमता के सृजन हेतु 72 यूनिटों को आशयपत्र जारी किए हैं। लगभग 2.7 लाख किलोमीटर सालाना कुल क्षमता को मंजूरी दी गई है। वर्ष के दौरान सरकार ने भारतीय संयुक्त उद्यम पार्टनर की मौजूदा लाइसेंस क्षमता का उपयोग करते हुए स्कॉच विहस्की और बलेंडिड स्कॉच विहस्की के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश करने के वास्ते 2 विदेशी कम्पनियों को अनुमति भी दी है। 8 करोड़ रुपये से अधिक कुल विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है।

बीयर

इस समय 33 यूनिटें बीयर तैयार कर रही हैं और अनुमान है कि उनके द्वारा 3.0 लाख किलो लीटर बीयर का उत्पादन किया जाता है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने 124 आशयपत्र जारी किए हैं। इस प्रकार लगभग 6 लाख लीटर की अतिरिक्त क्षमता के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पिछले साढ़े तीन वर्षों में लगभग 50 हजार किलोलीटर की कुल क्षमता वाले शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी 4 मामलों को भी मंजूर किया गया है। सरकार ने बीयर में विदेशी निवेश की भी मंजूरी दी है। बीयर यूनिटें स्थापित करने के लिए शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाले 6 अनिवासी भारतीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। बीयर उद्योग में लगभग 120 करोड़ रुपये के कुल विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है।

Potable Alcohol Industries

During the year under report, the Government implemented the policy of manufacture of potable alcohol from non-molasses base. The ban on manufacture of potable alcohol from non-molasses was relaxed in 1988. So far, the Government has issued Letters of Intent to 72 units for creation of fresh capacity for manufacture of potable alcohol from non-molasses raw materials. The total capacity approved is approximately 2.7 lakhs kilo litres per annum. During the year, the Government has also permitted 2 foreign companies to invest in joint venture projects for manufacture of scotch whisky and blended scotch whisky by utilising existing licenced capacity of the Indian joint venture partner. Total foreign investment approved is over Rs. 8 crores.

Beer

There are 33 units producing beer at present and estimated output is 3.0 lakh kilo litres. Government has granted 124 Letters of Intent in the last 3-1/2 years. An additional capacity of about 6 lakh litres has thus been approved. In addition, 4 cases of 100% EOU have been approved in the last 3-1/2 years with a total capacity of about 50,000 KLs. Government has also permitted foreign investment in beer. Six NRI proposals with 100% foreign equity have also been granted permission to set up beer units. Total foreign investment approved in the beer industry is about Rs. 120 crores.

अध्याय 5

फल और सब्जी प्रसंस्करण

भारत में कृषि जलवायु परिस्थितियों तथा किसानों के मेहनती स्वभाव ने भारत को विश्व में फल तथा सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना दिया है। भारी मात्रा में विभिन्न किस्म की सब्जियों के अलावा यह भारी मात्रा में शीतोष्ण तथा उष्ण-कटिबन्धी फलों का उत्पादन करता है। फल तथा सब्जी का कुल उत्पादन लगभग 102 मिलियन टन होने का अनुमान है। फल तथा सब्जी की बड़ी मात्रा को घरेलू उपभोग तथा अन्य वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए सुखाने या अचार बनाने की साधारण विधि के माध्यम से प्रसंस्कृत किया जाता है। बहरहाल वाणिज्यिक प्रयोजन तथा मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए संगठित फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में इस समय लगभग 1.3% फल और सब्जियों को प्रसंस्कृत किया जाता है। लेकिन इसमें धूप में सुखाये जाने वाले या तले उत्पाद शामिल नहीं है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की कम प्रतिशतता के सामान्य कारण पैकेजिंग की अधिक लागत, ढुलाई तथा अपर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता जैसे अन्य कारणों के अलावा ताजे उत्पाद की अधिक खपत तथा खान-पान की आदतें तथा परम्परा है। बहरहाल सामाजिक-आर्थिक घटकों में बदलाव आने के फलस्वरुप सुखाये गये और धूप में सुखाये गये उत्पादों के अलावा प्रसंस्करण फल और सब्जियों के लिए बाजार में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी की दर लगभग 20% सालाना है।

सरकार की उदारीकरण की नीति, इस उद्योग को उपलब्ध कराये गए प्रोत्साहनों के साथ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से फल व सब्जी, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिला है। संगठित क्षेत्र में अचार, परिरक्षक, चटनी आदि जैसी पारम्परिक मदों, जिन्हें पहले घरों में तैयार किया जाता था, का भारी मात्रा में उत्पादन यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अब सुविधाजनक खाद्य मदों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। इस तरह जैम, परोसने के लिए तैयार खाद्य, फल आधारित पेय, फ्रोजन सब्जियों आदि जैसी मदों की अधिक मात्रा में खपत के रवैये में परिवर्तन को दर्शाती है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उदारीकरण से फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के विकास में तेजी आई है। अब फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता में सन्तुलित रूप से वृद्धि हो रही है। अर्धस्वचालित या छोटी यूनिटों के मामले में स्वचालित/मशीनीकृत यूनिट की क्षमता का ठीक से मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के अंतिम उत्पादों का उत्पादन बहुत अधिक होता है।

फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की अनुमानित स्थापित क्षमता लगभग 14.2 लाख टन है जबकि पिछले वर्ष यह 12.60 लाख टन थी और इसी अवधि के दौरान लगभग 6.76 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 5.59 लाख टन उत्पादन हुआ था। विभिन्न फल उत्पादों में से फ्रोजन फल व सब्जियों जैसी मदों की वृद्धि दर 35% से अधिक थी जबकि फलों के गूदे, सुखाये गये फल व सब्जियां, टमाटर उत्पादों जैसी मदों की वृद्धि दर 25% से अधिक थी। कैंडी और क्रिस्टलाइज्ड फलों, परोसने के लिए तैयार पेयों में भी लगभग 20% वृद्धि हुई है। डिब्बाबंद और बोतलबंद फलों और सब्जियों के सिरके तथा सास, जैम स्क्वैश और सिरप में 10% से कम वृद्धि हुई जबकि अन्यों में वृद्धि की दर 10-15% के बीच रही।

विनियमन तथा नियंत्रण

अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी फल उत्पाद आदेश-1955 को लागू करने के लिए मंत्रालय के नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और लखनऊ में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय है। फल उत्पाद आदेश 1955 में विभिन्न फल उत्पादों के लिए अपेक्षित क्षेत्र, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, मशीनरी, उपकरणों और अन्य विनिर्दिष्टयों का उल्लेख है। इसलिए वाणिज्यिक उद्देश्य से फल उत्पाद तैयार करने के इच्छुक व्यक्तियों को फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जो इस बात का सुनिश्चय करने के बाद दिया जाता है कि यूनिट क्षेत्र स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, पेय जल, मशीनरी व उपकरणों आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उक्त आदेश के तहत लेबलों के लिए विनिर्दिष्टयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और निर्माताओं को मंजूरशुदा लेबलों के तहत ही उत्पादों की बिक्री करने की मंजूरी दी जाती है। वर्ष के दौरान 3214 सैम्पल यह देखने के लिये तैयार और विश्लेषित किये गये कि उत्पाद, फल उत्पाद आदेश विनिर्देशों के अनुरूप है। पिछले वर्ष 4132 की तुलना में इस वर्ष फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत 4270 लाइसेंस दिये गये हैं। इसके अलावा जहां जरूरत हो वहां फल और सब्जी परिरक्षण निदेशालय द्वारा निर्यात किये जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने

REX
FRESH FROZEN
DICED CARROTS
FRESH FROZEN

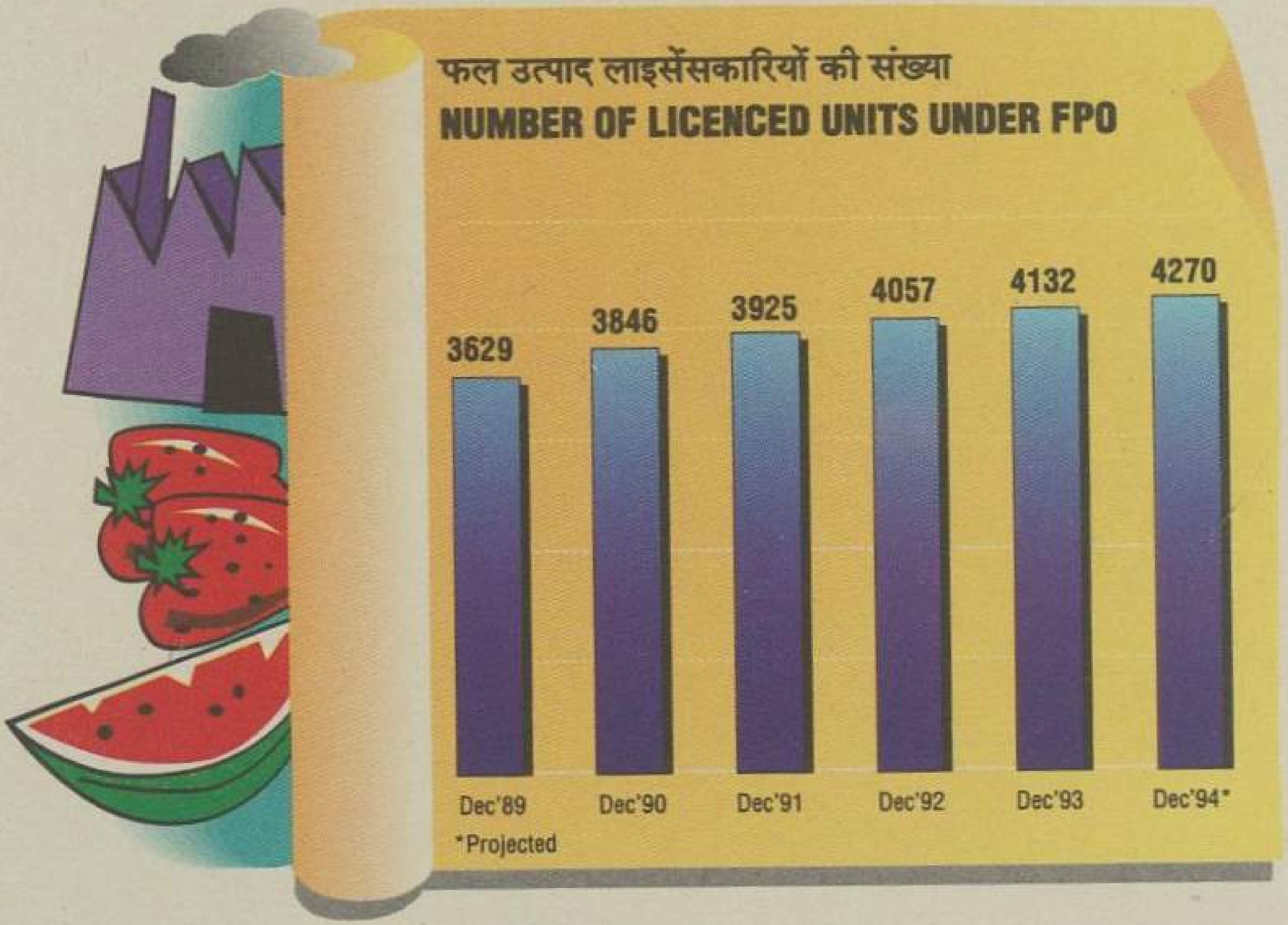

फल उत्पाद लाइसेंसकारियों की संख्या
NUMBER OF LICENCED UNITS UNDER FPO
3629
3846
3925
4057
4132
4270
Dec'89
Dec'90
Dec'91
Dec'92
Dec'93
Dec'94*
*Projected

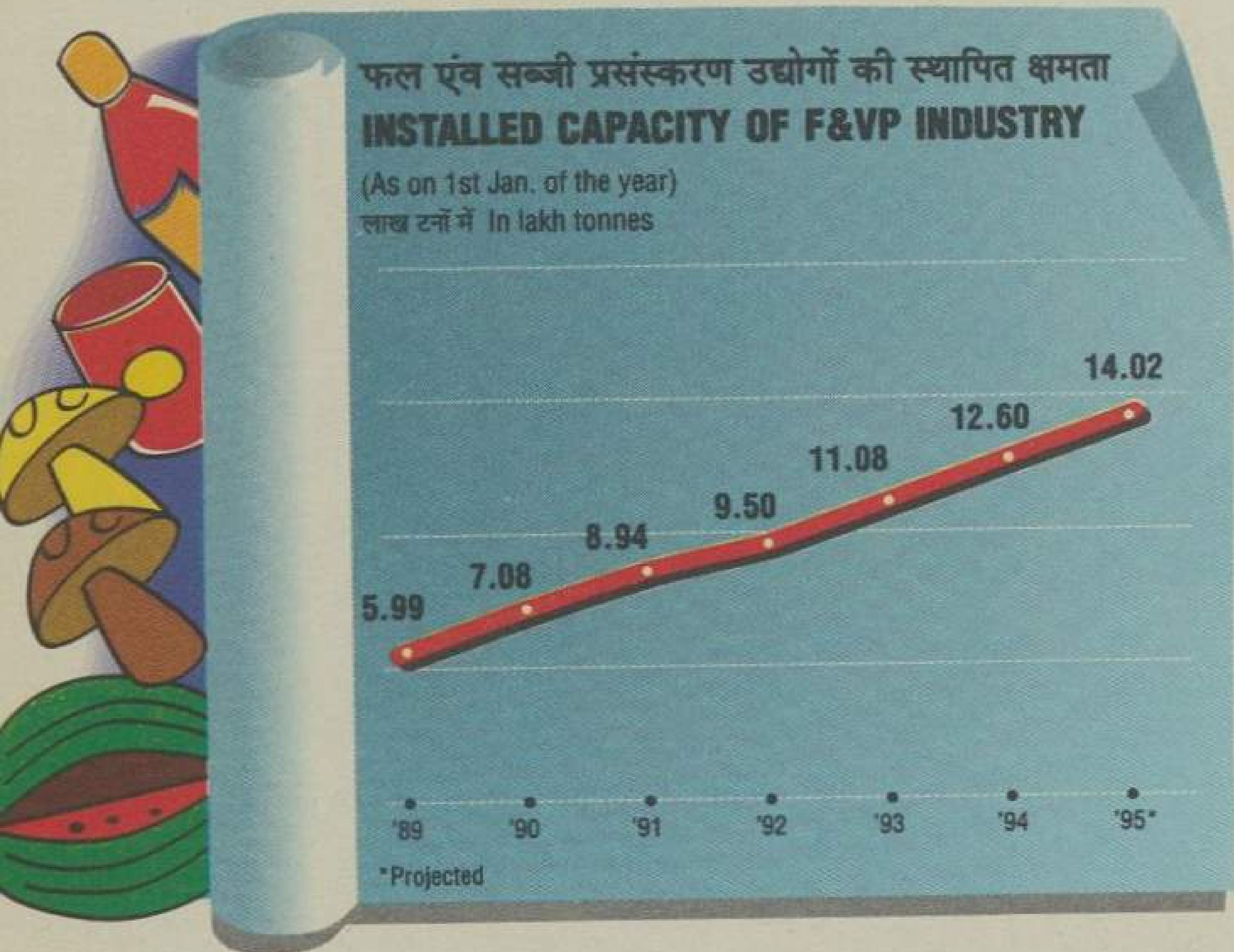

फल एंव सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापित क्षमता
INSTALLED CAPACITY OF F&VP INDUSTRY
(As on 1st Jan. of the year)
लाख टनों में In lakh tonnes
5.99
7.08
8.94
9.50
11.08
12.60
14.02
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*
*Projected

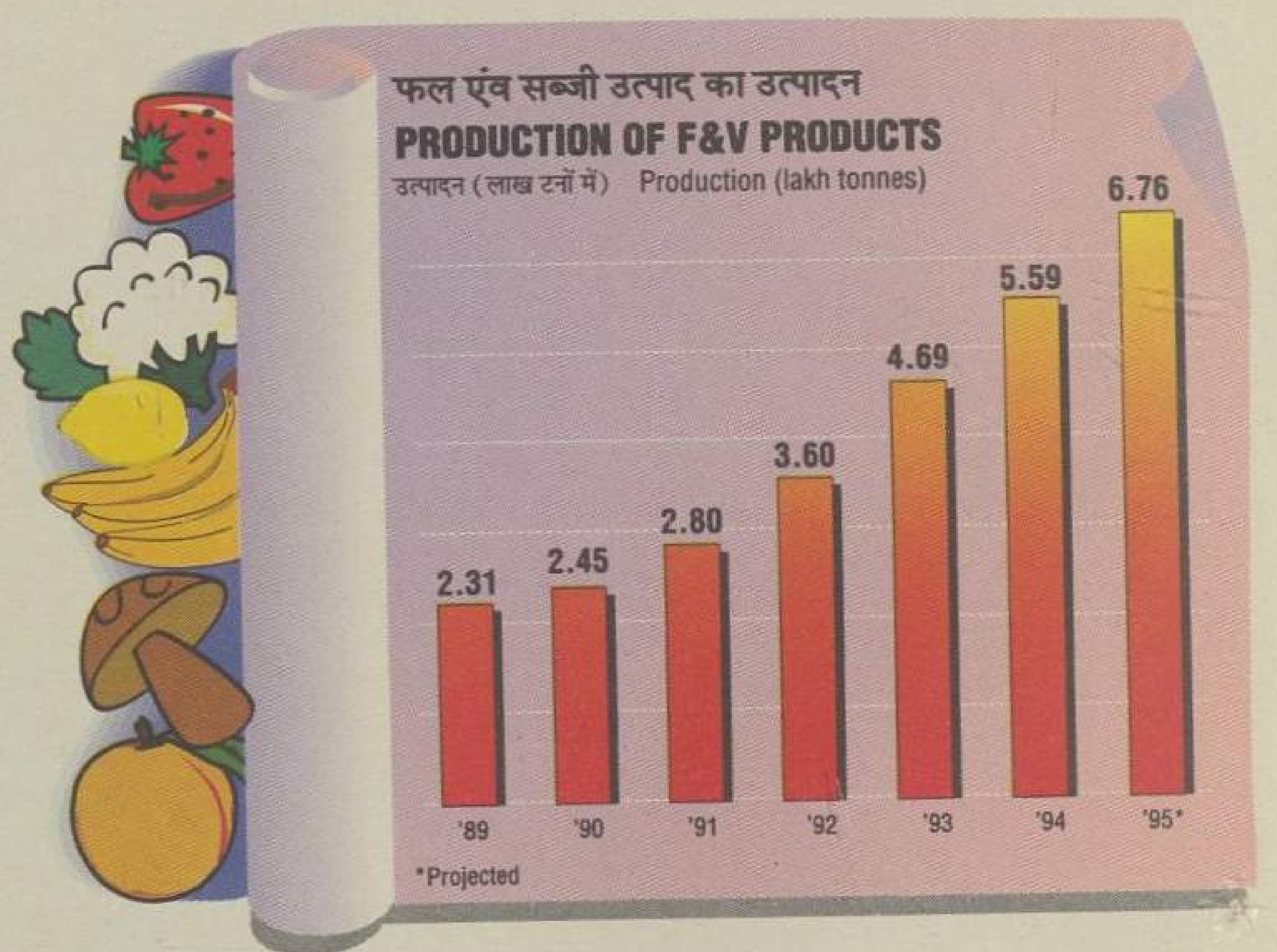

फल एंव सब्जी उत्पाद का उत्पादन
PRODUCTION OF F&V PRODUCTS
उत्पादन (लाख टनों में) Production (lakh tonnes)
2.31
2.45
2.80
3.60
4.69
5.59
6.76
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*
*Projected

फल एंव सब्जी उत्पाद का निर्यात (संलग्नक सूखे अखरोट)
EXPORT OF F&V PRODUCTS
(INCLUDING DRIED WALNUTS)
निर्यात (करोड़ों में) Exports (Rs crore)
78.77
92.29
122.53
193.91
263.00
318.16
365.00
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

CHAPTER V

FRUITS & VEGETABLE PROCESSING

Agro-climatic conditions and hardworking attitude of farmers in India has made India the second largest producer of fruits and vegetables in the world. It produces wide-range of fruits-temperate and tropical fruits besides a very vast range of vegetables. The total output of fruits and vegetables is estimated to be approximately 102 million tonnes. A large quantity of fruits and vegetables are processed through simple process of drying or pickle making for the home consumption and also for other commercial use. However, the percentage of fruits and vegetables that are processed in the organised fruits and vegetable processing industry for the commercial purposes and to make value added food products is approximately 1.3% of the total output at present. This ofcourse does not include sun-dried or fried products. The low percentage of processing of fruits and vegetables is generally attributed to their higher consumption as a fresh produce, food habits and traditions besides other factors like higher cost of packaging, transportation and inadequacy of capacities for processing. However, as the socio-economic factors are changing, oflate, there has been growing market for processed fruits and vegetables other than dried and sun-dried products and is raising at the rate of approximately 20% per annum.

The liberalised policies of the Government and the incentives provided for this industry coupled with changing socio-economic conditions have given a boost to the fruits and vegetable processing industry. A higher production of traditonal items like pickles, preserves, chuttneys, etc., in the organised sector which used to be prepared in the house-holds earlier indicate that the consumer is now depending more on convenient food items. Similarly, higher consumption of items like jams, ready-to-serve food, fruit based beverages, frozen vegetables, etc., are also indicative of change in consumption pattern.

As indicated above, with the liberalisation, there has been a spurt in the growth of fruits and vegetable processing industry. The total installed capacity of fruits and vegetable processing industry has been increasing steadily now. Whereas the capacity of an automatic/mechanised units can be assessed almost accurately, in the case of semi-automatic or smaller units, the precision in this regard is not possible because of higher use of different raw-materials and production of various end products.

The estimated installed capacity of fruits and vegetable processing industry is around 14.02 lakh tonnes as against 12.60 lakh tonnes last year and the production for the corresponding period is expected to be about 6.76 lakh tonnes as against 5.59 lakh tonnes lat year. Amongst various segments of fruit products, items like frozen fruits and vegetables registered over 35% growth, where as items like fruit pulps, dehydrated fruits and vegetables, tomato products, registered a growth of about 25%. Condied and crystalised fruits, RTS beverages also registered a growth of approximately 20%. Canned and bottled fruits and vegetables, venegar and sauces, jams, squashes and syrups registered growth of less than 10% whereas others between 10-15%.

REGULATION AND CONTROL

To administer the Fruit Product Order (FPO)-1955 issued under the Essential Commodities Act, the Ministry has one regional office each at New Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and a sub-office at Lucknow. The Fruit Product Order- 1955 lays down the requirements of area, sanitary and hygienic conditions, machinery, equipments and other specifications for various fruit products. Thus, those who wish to manufacture fruit products for commercial purposes have to obtain a licence under the Fruit Product order - 1955, which is granted after ascertaining that the unit meets the requirements in regard to areas, sanitary, and hygienic conditions, potable water, machinery and equipment, etc. With

के लिए अनिवार्य प्रीशिपमेंट निरीक्षण भी किया जाता है। अनुमान है कि वर्ष 1994-95 में लगभग 365 करोड़ रुपये मूल्य के फल उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष 318.16 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट

फल एंव सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवयकता नहीं होती परंतु 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों और लाइसेंस मुक्त मानदंडों के अंतर्गत न आने वाले अन्य प्रस्तावों के लिए इस मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकारी स्वीकृति लेना आवश्यक है। अप्रैल 94 से 20 जनवरी 95 की अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के ऐसे 31 प्रस्तावों और संयुक्त उद्यम परियोजना संबंधी 40 प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। जुलाई, 1991 से लेकर अब तक दी गई इन मंजूरियों की संख्या अब 165 हो गई है। इनमें से 94 प्रस्तावों में विदेशी पूंजी निवेश निहित है। अब तक इस क्षेत्र में कुल 1240 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर किया गया है। 20 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर को दी गई योजना सहायता

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को प्रभावित करने वाली कतिपय बड़ी अड़चनों को दूर करने और इस उद्योग के विकास को आवश्यक गति देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर संबंधी अनेक योजना स्कीमें हैं। इनके अन्तर्गत उद्यमियों के प्रशिक्षण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यून्टिों की स्थापना, ठेके पर खेती के माध्यम से बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, शीत-भंडारण, खुम्बी आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, विज्ञापन के माध्यम से बाजार संवर्धन, एफ पी ओ चिन्ह का प्रचार, सामान्य ब्राण्ड नामों से छोटे निर्माताओं के उत्पादों का विपणन, क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और पैकेजिंग सहित नई तकनीक और पद्धतियों का पता लगाने के लिए अनुसंधान एवं विकास स्कीमें शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्कन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत सहकारिताओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी संगठनों आदि को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए और बेरोजगार युवकों तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रशिक्षणार्थियो सहित उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना के वास्ते क्वालिटी टैस्टिंग उपकरण समेत संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों आदि के लिए 2 लाख रुपए तक और मूल पूंजी के रूप में 1 लाख रुपए तक सहायता दी जाती है। इन केन्द्रों में सभी संगत गतिविधियों जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन, विपणन, लेखा-जोखा रखना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र छोटे यूनिटों को चलाने और उनके प्रबंधन के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। प्रशिक्षणार्थी लेखा-जोखा रखने, निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण से होकर उत्पादों के विपणन तक में भाग लेंगे ताकि उन्हें वास्तविक स्थितियों की जानकारी और अनुभव प्राप्त हो सके जिससे उनमें वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने को चलाने के लिए विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शिक्षा से सहयोग की भावना उत्पन्न होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताओं के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के अंत तक एक मायने में सभी राज्यों में ऐसे 121 केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई। समीक्षाधीन अवधि (जनवरी 1995 तक) के दौरान असम, जम्मू तथा कश्मीर, केरल और हरियाणा राज्यों में ऐसे 29 केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई। 1992-93 और 1993-94 में जिन 121 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई थी प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से 47 ने काम करना शुरू कर दिया है और उनमें 500 से अधिक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा चुके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से कुछ ने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और बुनियादी ढांचे वाले यूनिटों की स्थापना संबंधी स्कीम के तहत फल. एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन तथा फसलोत्तर प्रसंस्करण और भण्डारण आदि के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों, स्वायत्त निकायों, संयुक्त क्षेत्र की यूनिटों, सहायता प्राप्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र की यूनिटों को सहायता दी जाती है। वर्ष 1993-94 में 13 फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन/विस्तार के लिए 433.08 लाख रू० की सहायता दी गई। आशा है कि असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम नागालैंड स्थित ये परियोजनाएं जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगी। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के लिए बुनियादी सुविधा के विकास संबंधी अन्य स्कीमों के तहत आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक स्थित 5 परियोजनाओं को 188.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 1994-95 (जनवरी 1995 तक) के दौरान बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को सहायता दी गई। इसी अवधि के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्री-कूलिंग, कोल्ड चेन और फसलोत्तर सुविधाओं की स्थापना संबंधी 8 परियोजनाओं को सहायता दी गई।

प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योगों को ठेके पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैकवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने की स्कीम के तहत कम से कम 25 किसानों के साथ ठेका करने पर खरीद मूल्य के 5% तक की सहायता दी जाती है परन्तु यह धनराशि प्रति यूनिट 10 लाख से अधिक नहीं होगी। 1994-95 (जनवरी 95 तक) के दौरान ऐसी 8 प्रसंस्करण यूनिटों को प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता दी गई है। ऐसे ही कुछ और प्रस्ताव विचाराधीन हैं। स्कीम

a view to protect the consumer the specifications for labels have also been provided under the said order and the manufacturers are allowed to sale products only under approved labels. During the year, 3214 samples were drawn and analysed to see the conformity of the products under FPO specifications. The number of licencees under Fruit Products Order 1955 stands increased to 4270 as against 4132 last year. Besides, a compulsory preshipment inspection to certify the quality of products being exported is also carried out by the Directorate of Fruits and vegetable Preservation wherever required. The export of fruit products for the year 1994-95 is estimated to be around Rs. 365 crores as against Rs.318.16 crores last year.

100% Export Oriented Units

While no industrial licence is required for setting up of fruit & vegetable processing industries, proposals for setting up of 100% EOUs and other such proposals which do not fall within the parameters of delicensing continue to require the approval of the Government based on the recommendations of this Ministry. During the period from April, 1994 to 20th January, 1995, 31 such proposals for setting up of 100% EOUs and 40 proposals for joint-venture projects have been approved by the Government. Number of such approvals since July, 1991 now stands at 165. Of these, 94 proposals involve foreign equity investment. The total investment approved in this sector so far is Rs. 1240 crores. Twenty 100% EOUs have already commenced commercial production.

Plan Assistance Provided to the Fruits & Vegetable Processing Sector.

In order to remove some of the major constraints affecting the fruit and vegetable processing industries and to provide the necessary impetus to its growth, Ministry of Food Processing Industries have several plan schemes in the fruits and vegetable processing sector. These include schemes for training of entrepreneurs, setting up of F&VP units, development of backward linkages through contract farming, development of infrastructure such as cold storages, infrastructure for mushrooms etc., market promotion through advertisement, promotion of FPO symbol and marketing of small manufacturers' products under common brand name, setting up of quality control labs and R&D in identifying new techniques and practices including those for packaging.

Under the scheme for setting up of Food Processing and Training Centres in rural areas, assistance is provided upto Rs. 2.00 lakhs for plant, machinery and equipments including quality testing equipments etc and Rs. 1.00 lakh towards seed capital for commercial production to co-operatives, non-governmental organisations, voluntary organisations, Govt. organisations etc. for setting up of such training Centres to provide training to entrepreneurs including unemployed youth and SC/ST trainees. Training in these Centres will be for all relevant activities such as technology, production, marketing, book keeping, quality control etc. These Food Processing and Training Centres will provide 'hands on' experience in operating and managing a small unit. The trainees will participate in each activity from book-keeping, manufacturing, quality testing to marketing of products so as to get an exposure and experience of real situations which will instill confidence in them to set up and run commercial ventures. This type of education is also to generate a spirit of co-operation and encourage formation of Food Processing Co-operatives in rural areas.

Till the end of the financial year, 1993-94, assistance was provided for setting up of 121 such Centres covering almost all the States. During the period under report (till January, 1995), assistance has been provided to setting up of 29 such Centres in the States of Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Tripura, U.P. and Haryana. Out of the 121 FPTCs assisted in 1992-93 and 1993-94, as many as 47 Centres are reported to have already become functional and more than 1500 trainees have already been trained in those Centres and some of them are reported to have already been engaged in the production.

Under the scheme of setting up of F&VP Units and infrastructure units, assistance is provided to the State Government Organisations, Co-operatives, Voluntary Organisations, Autonomous bodies Joint Sector Units, Assisted & Private Sector Units for setting up/upgrading/enlarging of F&VP Units and Food Processing Units as well as development of infrastructure for post-harvest processing and storage etc. In the year 1993-94, assistance to the tune of Rs. 433.08 lakhs was provided for setting

के तहत अब तक आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश स्थित प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार 2000 से अधिक किसान "ठेका खेती" में शामिल हो चुके हैं।

खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण से घरेलू और निर्यात बाजार में उसकी बिक्री की अच्छी संभावनाएं हैं। खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए यह मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी एक स्कीम लागू कर रहा है जिसके अन्र्तगत स्पान प्रयोगशाओं की स्थापना, कम्पोस्ट पास्चराइजेशन और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल स्थित संगठनों को सहायता दी गई है और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जिन कार्यों के लिए सहायता दी गई थी वे पूरे हो चुके हैं।

पंजाब में एक विशाल 100% निर्यातोन्मुखी एकीकृत खुम्बी की खेती तथा प्रंसस्करण यूनिट, जिसे पिछले 2 सालों में सहायता दी गई थी, ने सितम्बर 1994 से काम करना शुरू कर दिया है और प्राप्त सूचना के अनुसार यह डिब्बा बन्द खुम्बी का निर्यात शुरू कर चुका है।

बीयर तैयार करने के लिए हॉप्स एक अनिवार्य कच्चा माल है। बीयर उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से आने वाले वर्षों में हॉप्स की मांग काफी बढ़ने की संभावना है। इस समय हॉप्स की आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में हॉप्स के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई एक स्कीम के तहत हॉप्स का विकास और प्रसंस्करण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए 73 लाख रू० की धनराशि दी गई है। यह परियोजना जल्दी ही पूरी होने वाली है और आशा है कि वहां शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा।

अनुसंधान और विकास स्कीमें

मंत्रालय ने फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास परियोजनों के लिए भी निम्नलिखित को सहायता दी (1) प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर को विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 10 लाख रू० की राशि (2) अपेड़ा, नई दिल्ली को आम और अन्य फलों के निर्यात के लिए वैपर हीट ट्रीटमेंट फेसिलिटी की स्थापना हेतु 25 लाख रू० की राशि (3) मैसर्स फ्रेश मार्किटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि० को खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त सोलर रेफ्रिजैरेशन यूनिट की स्थापना के लिए 5 लाख रू० की राशि। मंत्रालय बायोटेक्नालोजी विभाग के सहयोग से सी०एफ०टी०आर०आई० मैसूर में 373.65 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक बायोटेक्नालोजी रिसर्च फार नेशनल फैसिलिटी फार फूड सेफ्टी की स्थापना कर रहा है। इसमें से लगभग 50% लागत मंत्रालय देगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख की राशि जारी की जा चुकी है।

up/upgrading/enlarging of 13 F&VP units. These projects in Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Mizoram, Nagaland are expected to go into operation soon. Under the other scheme for development of infrastructure for F&VP units, 5 projects from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Karnataka were provided assistance to the tune of Rs. 188.00 lakhs. These projects are reported to be at various stages of implementation. During 1994-95 (till 20.1.1995), 5 F&VP projects from Bihar, Himachal pradesh, Jammu & Kashmir and Uttar Pradesh have been assisted. Also, during the same period, 8 projects for setting up of pre-cooling, cold chain and post-harvest facilities in Karnataka and Maharashtra have been assisted.

In order to ensure regular supply of raw materials to the processing industries, this Ministry seeks to encourage contract farming by the processing industries. Under the scheme for strengthening of backward linkages, assistance is provided for contract with atleast 25 farmers upto 5% of purchase price subject to a ceiling of Rs. 10.00 lakhs per unit. During 1994-95, (till Jan. 95), 8 processing units in Andhra Pradesh, Assam, Karnataka, Maharashtra, Punjab and Uttar Pradesh have so far been provided assistance in the form of reimbursement and it is reported that more than 2000 farmers have been brought under umbrella of contract farming. A few similar proposals are under examination.

Growing and processing of mushrooms offer potential both for domestic and export markets. In order to remove major constraints in processing and cultivation of mushrooms, this Ministry is implementing a scheme for development of infrastructure for which assistance is provided for setting up of Spawn Laboratories, Compost Pasteurisation and processing facilities for mushrooms. Assistance under this scheme has also been provided to the organisations located in Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Orissa, Madhya pradesh, Nagaland, Mizoram and West Bengal and those in Bihar, Orissa, Madhya Pradesh have already been completed.

A large 100% Export Oriented Integrated Mushroom Cultivation and Processing Unit in Punjab which was assisted in the last two years has already gone into steam in Sept., 1994 and is reported to have started export of canned Mushrooms.

Hops is an esential raw material required for the manufacture of beer With the increase in production capacity in the beer industry, a considerable demand for hops is likely to be generated in the coming years. At present the domestic requirement of hops is being taken up under a scheme formulated for providing assistance for developing hops and its processing in hilly regions of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir etc. So far assistance to the tune of Rs. 73.00 lakhs has been provided for development of such facilities in Himachal Pradesh. The hops project in Himachal Pradesh is nearing completion and is expected to become operational soon.

RESEARCH AND DEVELOPMENT SCHEMES

Ministry also provided assistance for research and development project in fruits and vegetable processing sector to : (i) Centre for Technology Development, Bangalore for an amount of Rs. 10 lakhs for setting up an Analytical and Quality Control Lab; (ii) APEDA, New Delhi for an amount of Rs. 25 lakhs for Vapour Heat Treatment Facility for Mangoes and other fruits for export; and (iii) M/s. Fresh Marketing Cooperative Society Limited for an amount of Rs. 5 lakhs for installation of a Solar Refrigeration Unit received from FAO. Ministry in collaboration with Deptt. of Biotechnology is setting up Biotechnology Research Centre for national facility for Food Safety at CFTRI, Mysore, at an estimated cost of Rs. 373.65 lacs. Ministry is contributing about 50% of the cost. During the current financial year, an amount of Rs. 50 lacs has already been released.

अध्याय 6

दूध और दूध उत्पाद

विश्व भर में सबसे अधिक तादाद में पशु भारत में पाए जाते हैं। विश्व की 50% भैंसे और 20% गाय तथा बैल भारत में पाए जाते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पशु दुधारू गाएं और भैंसे हैं।

विश्व भारत में डेरी उद्योग को एक सफलतम विकास कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करता है। आज अमरीका के बाद भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु अतिरिक्त दूध का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। मुख्यतः इन्हीं राज्यों में दूध से बनने वाली वस्तुएं तैयार की जाती हैं। 1994-95 के दौरान 63 मिलियन टन वार्षिक दूध उत्पादन होने का अनुमान है यद्यपि आवर्ती दूध उत्पादन मंदी के कारण प्रतिशतता की वृद्धि प्रभावित हुई है। वर्ष के दौरान दूध बाजार में सहकारिताओं, सरकारी और निजी डेरियों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति रही जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान किसानों को दूध की अधिक कीमतें अदा की गई। वर्ष के दौरान घी के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त कारणों के बावजूद 1993 में 1,85,000 टन की तुलना में 1994 में शिशु आहार समेत दूध उत्पादों का उत्पादन बढ़कर 1,95,000 टन हो गया और माल्टेड दूध का अनुमानित उत्पादन भी, जोकि 1993 में 32,300 टन था, 1994 में बढ़कर 43,500 टन हो गया। अनुमान है कि पनीर (चीज स्प्रेड समेत) और संघनित दूध का भी क्रमशः 3100 टन और 8150 टन उत्पादन हुआ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रादेशिय (पी आई सी यू पी) निवेश निगम के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी से दुग्ध शर्करा/छेना के उत्पादन के लिए एक परियोजना को सहायता दी गई है। दुग्ध शर्करा तथा छेनों तथा विभिन्न किस्म का पनीर तैयार करने के लिए दो संयंत्रों, जिनमें एक महाराष्ट्र में तथा एक उ०प्र० में होगा, का निर्माण किया जा रहा है। संभावना है कि ये संयंत्र वर्ष 1995-96 में आरम्भ हो जाएंगे।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने चीज़/पनीर आदि की विभिन्न किस्में तैयार की हैं। स्वदेशी डेरी उत्पादों के निर्माण, पैकेजिंग और परिरक्षण की मौजूदा प्रौद्योगिकी को सुधारने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ाया गया है।

दूध उत्पादों के निर्यात को विसरणीबद्ध करने के फलस्वरूप अनुमान है कि देश 1994-95 के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के दूध उत्पादों का निर्यात कर सकेगा।

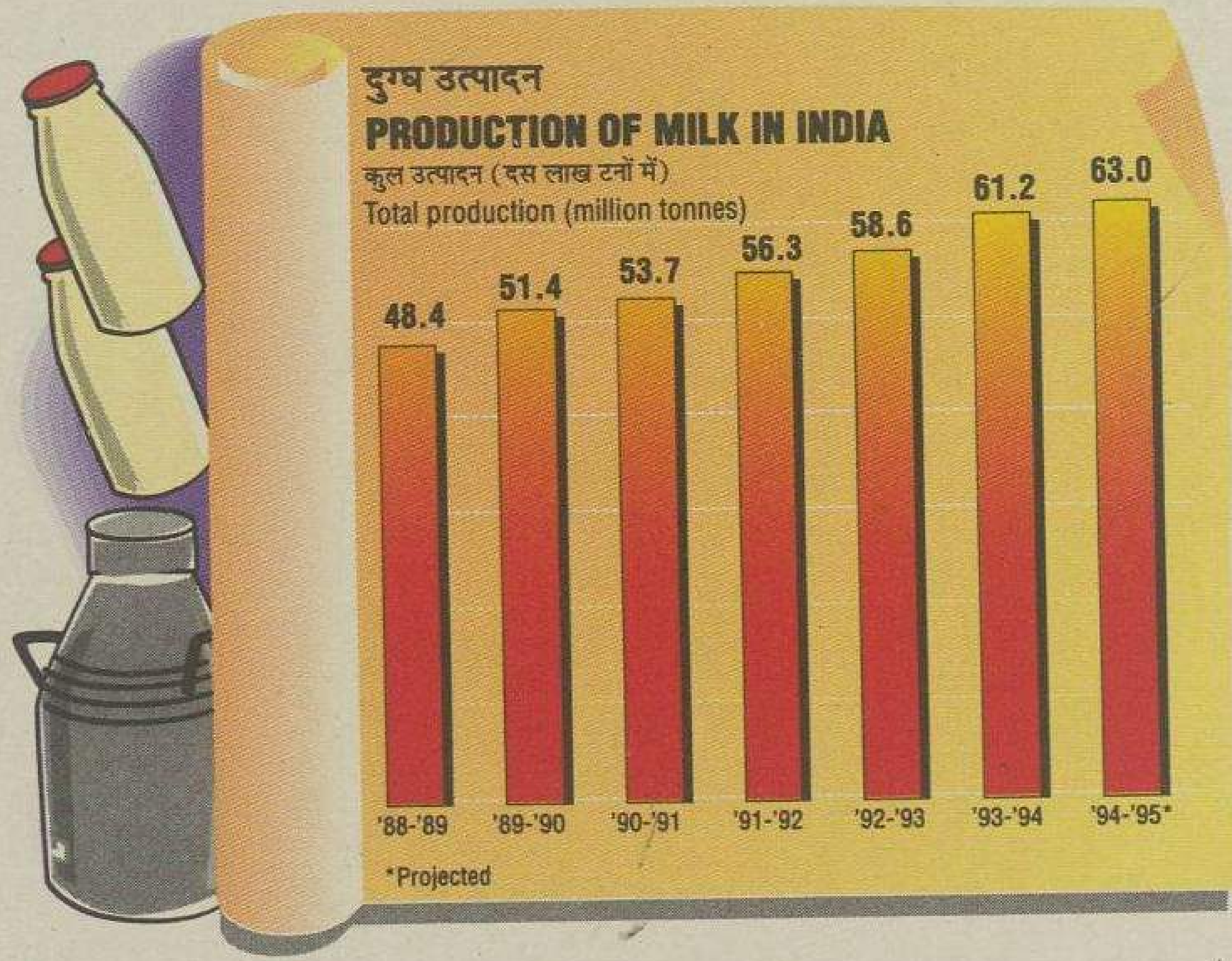

दुग्ध उत्पादन
PRODUCTION OF MILK IN INDIA
कुल उत्पादन (दस लाख टनों में)
Total production (million tonnes)
48.4
51.4
53.7
56.3
58.6
61.2
63.0
'88-'89
'89-'90
'90-'91
'91-'92
'92-'93
'93-'94
'94-'95*
*Projected

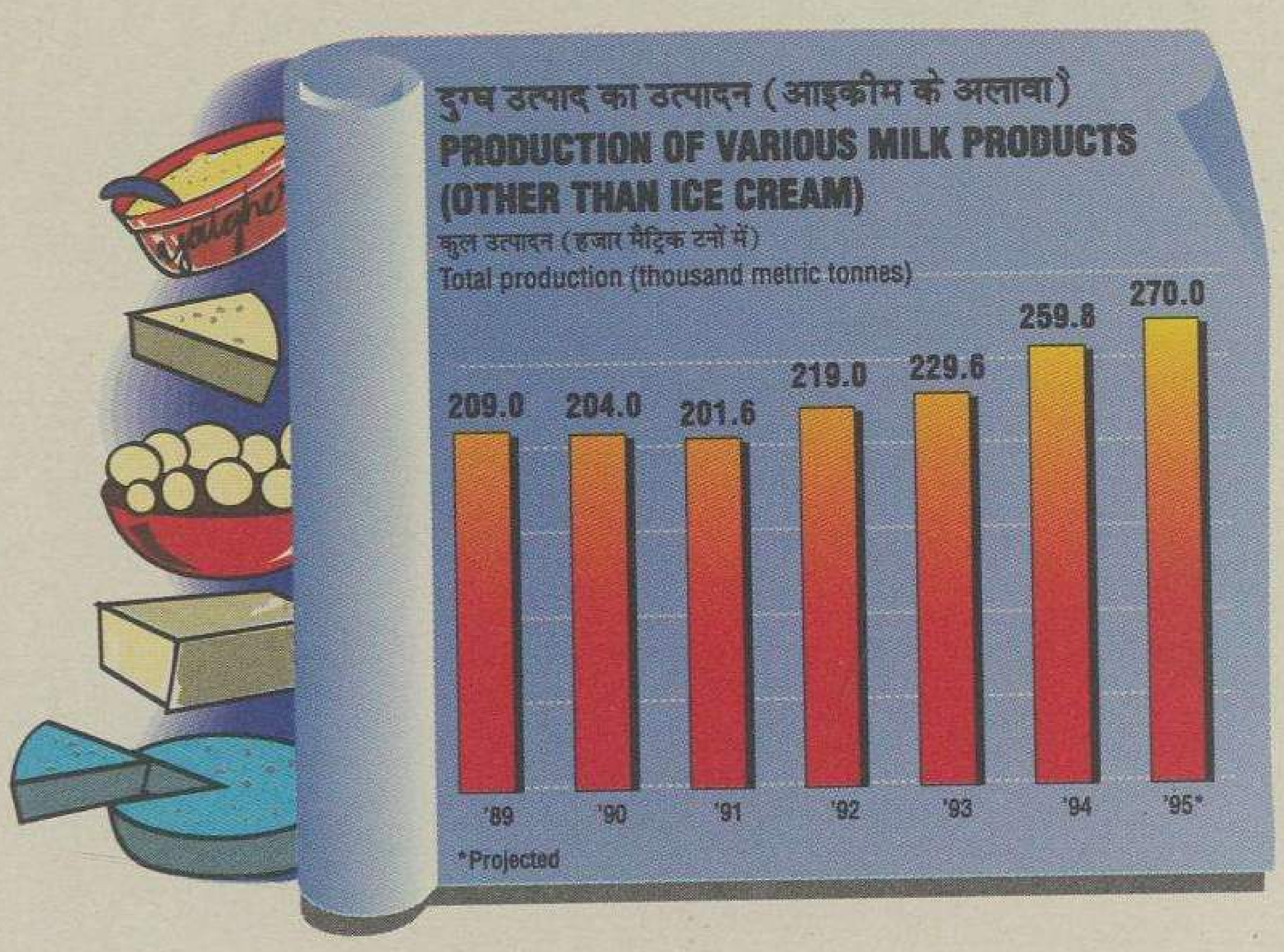

दुग्ध उत्पाद का उत्पादन (आइसक्रीम के अलावा)
PRODUCTION OF VARIOUS MILK PRODUCTS (OTHER THAN ICE CREAM)
कुल उत्पादन (हजार मैट्रिक टनों में)
Total production (thousand metric tonnes)
209.0
204.0
201.6
219.0
229.6
259.8
270.0
'89
'90
'91
'92
'93
'94
'95*
*Projected

CHAPTER VI

MILK & MILK PRODUCTS

India has one of the largest livestock population in the world. Fifty percent of the buffaloes and 20% of the cattle of the world are found in India. The most important constituent of livestock in our country are milch cows and milch buffaloes.

Dairy Development in India has been acknowledged the World over as one of the most successful development programme. India is today the second largest milk producing country in the world after United States. The milk surplus states in India are Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The manufacturing of milk products is concentrated in these milk surplus states. Annual milk production is expected to be 63 million tonnes during the year 1994-95 although cyclic milk production depression in the country has affected the percentage increase. During the year, there has been competition among Cooperative, Government and private dairies in milk market and as a result farmers were paid higher prices for their milk during the year 1994-95 in comparison to the previous years. Retail price of ghee has shown upward trend during the year.

Inspite of the afore mentioned factors, the estimated production of milk powders including infant milk food has increased from 1,85,000 tonnes in the year 1993 to 1,95,000 tonnes in the year 1994, and the estimated production of malted food has increased from 32,300 tonnes in the year 1993 to 43,500 tonnes in the year 1994. The production of cheese (including cheese spread) and Condensed milk is estimated at 3100 tonnes and 8150 tonnes respectively.

During the year under report a project for production of Lactose/Cassein with foreign technology tie-up has been assisted by this Ministry along with Pradeshiya Investment Corporation of Uttar Pradesh (PICUP). Two plants one in Maharashtra and one in U.P. for manufacture of lactose and cassein and various varieties of cheese are coming up. All these plants are likely to be commissioned in the year 1995-96.

NDRI, Karnal has developed technology for manufacture of varieties of cheese/paneer etc. Research efforts have been intensified to improve the existing technologies for manufacture, packaging and preservation of indigenous dairy products.

Due to decanalisation of export of milk products, it is expected that country will be in a position to export milk products of value more than US $ 10 million during the year 1994-95.

अध्याय 7

मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण

मांस उत्पादनः

मांस के लिए जिन जानवरों का सामान्यतया उपयोग किया जाता है वे भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, सुअर और पॉल्ट्री हैं। देश के कुछ भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर में जानवरों की अन्य प्रजातियों जैसे मिथुन का भी मांस उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। पॉल्ट्री को छोड़कर ऐसे जानवरों की कुल तादाद 444 मिलियन है। पॉल्ट्री की कुल तादाद करीब 275 मिलियन है। इसके अलावा मांस उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष 200 मिलियन से अधिक ब्रायलरों का उत्पादन किया जाता है और उनका वध किया जाता है। विभिन्न जानवरों की कुल तादाद नीचे तालिका में दी गई हैः—

(संख्या लाख में)

	1982	1987
गाय	192	
भैंस	70	77
भेड़	48	46
बकरी	95	110
सुअर	10.10	10.60
पॉल्ट्री	207.00	275.00

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में यह उल्लेख किया था कि विभिन्न प्रकार के जानवरों की तादाद के संबंध में वध दर बहुत कम है फिर भी राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुमान के अनुसार गाय की वध दर 1% से कम है। भेड़ और बकरी के लिए वध दर 32.5% और 35.5% थी। परन्तु खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुसार हाल के वर्षों में गाय की वध दर बढ़कर 6.43% और भैंस की 10.9% हो गई है। परन्तु भेड़ और बकरी की वध दर में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। सुअरों की वध दर में भी परिवर्तन आया है जो 99% है। भेड़, बकरी, सुअर और पॉल्ट्री के वध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु अधिकांश राज्यों में गायों के वध पर रोक या प्रतिबन्ध है। इसी प्रकार भैंसों के वध पर भी रोक है। अधिकांश राज्यों में केवल अनुत्पादक भैंसों के वध की अनुमति है। खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा अनुमानित मांस उत्पादन नीचे तालिका में दिया गया हैः—

(मिलियन टन में)

प्रजातियां	1979-81	1991	1992	1993	1992 की तुलना में 1993 में प्रतिशत वृद्धि
बीफ और वेल	0.845	1.185	1.216	1.276	4.93
भैंस मांस	0.824	1.176	1.182	1.182	0.00
सुअर मांस	0.327	0.364	0.360	0.367	0.27
मटन और लैम्ब	0.153	0.168	0.167	0.169	1.20
बकरी मांस	0.302	0.455	0.456	0.466	2.19
पॉल्ट्री मांस	0.111	0.362	0.382	0.406	6.28
योग	2.562	3.710	3.763	3.860	

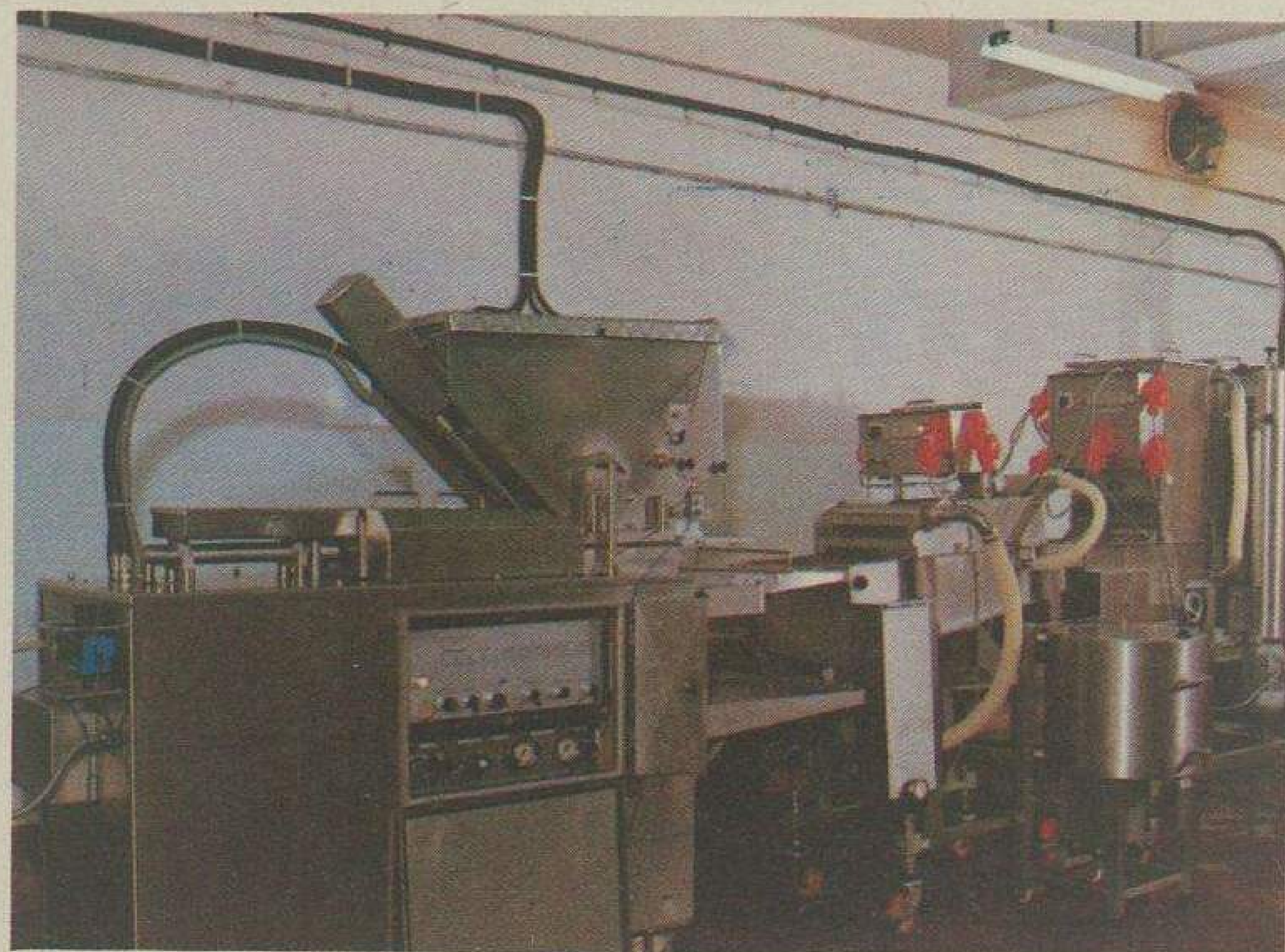

आधुनिक मांस प्रसंस्करण संयंत्र

Modern Meat Processing unit

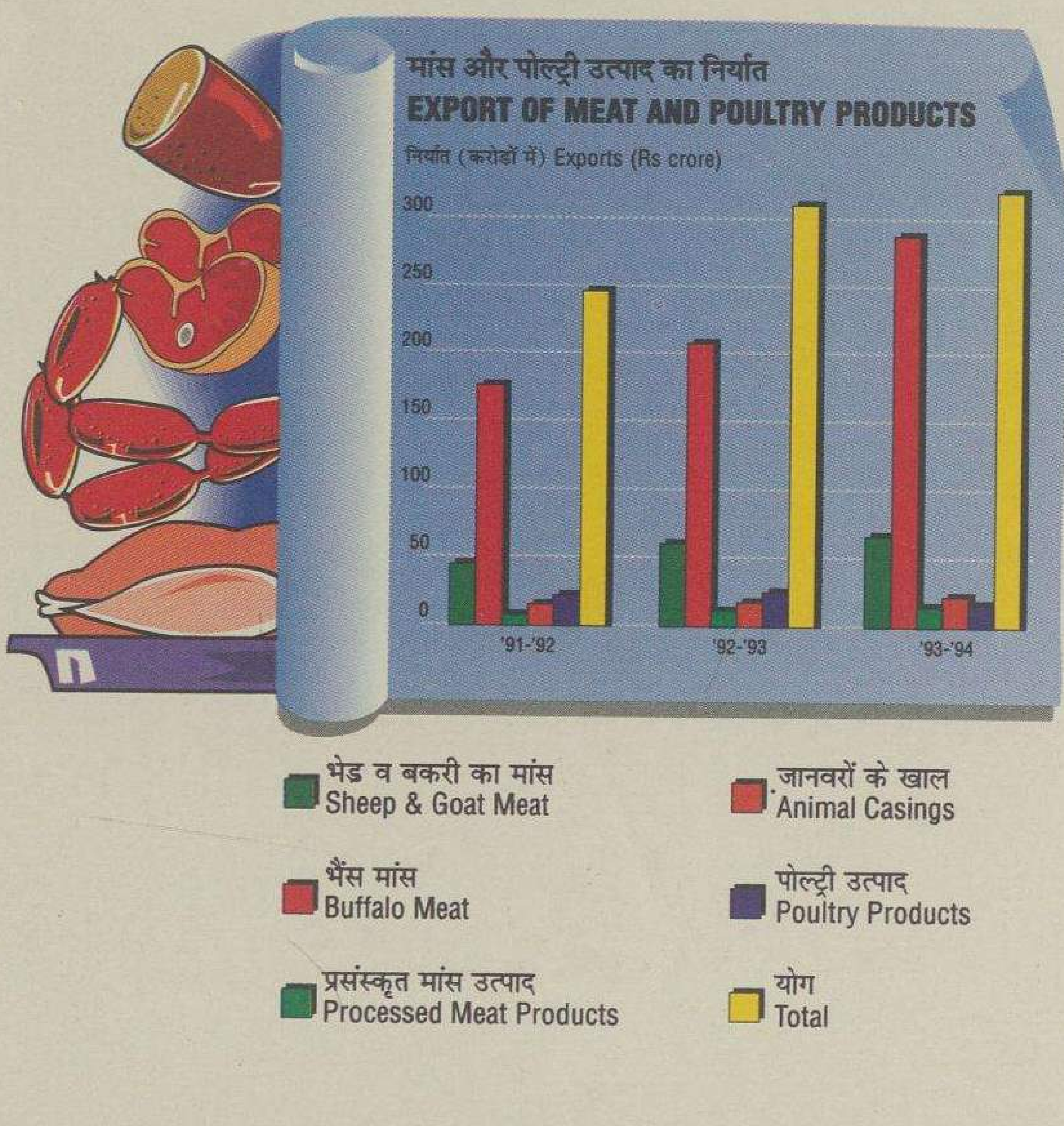

CHAPTER VII

MEAT AND POULTRY PROCESSING

MEAT PRODUCTION

Animals which are generally used for production and processing of meat are sheep and goat, cattle, buffaloes, pigs and poultry. In some parts of the country, particularly, in the Northeast, other species of animals like methun are also used for production of meat. The total population of such animals except poultry, is 444 million. The total poultry population is about 275 million. Besides this more than 200 million broilers per annum are also produced and slaughtered for production of meat. The population of different animals is seen in the following table:-

	1982 (number in millions)	1987
Cattle	192.00	200.00
Buffaloes	70.00	77.00
Sheep	48.00	46.00
Goats	95.00	110.00
Pigs	10.10	10.60
Poultry	207.00	275.00

The National Commission on Agriculture in 1976 has pointed out that the slaughtering rates in relation to their population of different type of animal is very low, the slaughter rate of cattle as estimated by the National Commission on Agriculture was below 1%. The slaughter rate for sheep and goat was 32.5% and 35.5%. However, according to FAO in recent years, the slaughter rate of the cattle has increased to 6.43% whereas that of buffalo is 10.9%. However, the slaughter rate of sheep and goat has not changed much. The slaughter rate of pigs has also changed is to the tune of 99%. The slaughtering of sheep, goat, pigs and poultry have no restrictions where as slaughtering of cows in most of the States is either banned or restricted. Similarly the slaughter of buffaloes is also restricted. Buffaloes which are unproductive are only allowed for slaughter in most of the States. The meat production as estimated by FAO is given in the following table:-

(in million tonnes)

Species	1979-81	1991	1992	1993	% increase from 1992-93
Beef & Veel	0.845	1.185	1.216	1.276	4.93
Buffalo Meat	0.824	1.176	1.182	1.182	0.00
Pig Meat	0.327	0.364	0.360	0.367	0.27
Mutton & Lamb	0.153	0.168	0.167	0.169	1.20
Goat Meat	0.302	0.455	0.456	0.466	2.19
Poultry Meat	0.111	0.362	0.382	0.406	6.28
TOTAL	2.562	3.710	3.763	3.860	

ABATTOIRS & MEAT PROCESSING PLANTS:

There are about 3600 abattoirs in the country. Except a few, these abattoirs are managed by local bodies like municipal corporations, municipal committees etc. The privately managed slaughter

कसाईखाने और मांस प्रसंस्करण संयंत्र

देश में करीब 3600 कसाईखाने हैं। कुछ को छोड़कर इन कसाईखानों का प्रबन्ध नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि द्वारा किया जाता है। निजी प्रबन्ध वाले कसाईखानों की मुख्य रूप से स्थापना निर्यात क्षेत्र में की गई है। हाल के वर्षों में कुछ आधुनिक कसाईखानों की स्थापना की गई है और ये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्यकर मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ऐसे कसाईखाने रुद्रारम (आंध्र प्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), डेराबासी (पंजाब), नांदेड़ और गोरे गांव (महाराष्ट्र) और उसगांव (गोआ) में स्थित हैं। कुछ आधुनिक कसाईखाने और लगाये जाने हैं जिनमें से प्रमुख अलीगढ़ का कसाईखाना है। ये सभी कसाईखाने निर्यात आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

सुअर मांस तथा दूसरी तरह के मांस का प्रसंस्करण

देश में 126 मांस उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनमें चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित 7 बेकन फैक्ट्रियां भी शामिल हैं जो राज्य सरकार के उद्यमों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन बेकन फैक्ट्रियों में से तीन को मांस परिसरों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य घरेलू उपयोग के लिए प्रसंस्कृत मांस उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इन संयंत्रों द्वारा तैयार किए जाने वाले मुख्य उत्पाद सासेज, हैम, बेकन, सलामी फ्रैंक, फर्टर्स और डिब्बाबंद मांस उत्पाद जैसे चिकन करी, मटरकरी, मटन चंक आदि हैं। उच्च मूल्य-वर्धित मांस उत्पादों का अधिकतम परिवर्तन केवल सुअर मांस उत्पादों के मामले में किया जाता है। परन्तु मटन चंक और करी जैसे डिब्बाबंद उत्पादों को मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए तैयार किया जाता है। हाल के वर्षों में कुछ फैक्ट्रियों द्वारा उच्च-मूल्य वर्धित पाल्ट्री मांस उत्पादों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये उत्पाद चिकन, हैम, चिकन सासेज, चिकन समौसा, चिकन पैटी आदि हैं। इन उत्पादों को तैयार कर रहे प्रमुख संयंत्र निजी क्षेत्र के अंतर्गत पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित हैं।

पाल्ट्री प्रसंस्करण

पाल्ट्री उत्पादन एक उद्योग बन गया है। लेकिन पाल्ट्री ड्रेसिंग और प्रसंस्करण अभी भी अपने शुरुआती दौर में हैं। हाल के वर्षों में कुछ ही शहरों में कम संख्या में बड़े पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हुई है। जबकि छोटे पाल्ट्री ड्रेसिंग संयंत्र देश में बहुत से नगरों में हैं। बड़े पाल्ट्री ड्रेसिंग तथा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना पुणे, बंगलौर, अहमदाबाद और आगरा में की गई है। बड़े पाल्ट्री ड्रेसिंग संयंत्रों की संख्या कम है और वे आरंभिक अवस्था में हैं। इनमें से प्रमुख भोपाल, गुवाहाटी और हरियाणा में स्थित हैं। हाल के वर्षों में कुछ फैक्ट्रियों द्वारा उच्च मूल्यवर्धित पाल्ट्री मांस उत्पादों का भी उत्पादन किया जा रहा है। ये उत्पाद चिकन, हेम, चिकन, सासेज, चिकन समोसा, चिकन पैटी आदि है। इन उत्पादों को तैयार करने वाला प्रमुख संयंत्र निजी क्षेत्र के अधीन पुणे (महाराष्ट्र) में है।

निर्यात

भारत मांस और मांस उत्पाद श्रेणी के तहत मटन, भैंस-मांस प्रसंस्कृत मांस, पाल्ट्री उत्पाद और पशु-केसिंग का निर्यात कर रहा है ज्यादातर भैंस मांस का निर्यात किया जाता है। देश में भैंस मांस की बहुतायत है क्योंकि इसे कुछ समुदाय ही खाते है। जोर्डन, कुवैत, बहरीन, क्वातार, आबूधाबी आदि जैसे देश मध्य पूर्व के देशों में भैंस मांस की काफी मांग है। दूरवर्ती पूर्व में भी भारतीय भैंस-मांस प्रमुख स्थान लेता जा रहा है। भारत से भैंस-मांस का आयात करने वाला प्रमुख देश मलेशिया है। भेड़ और बकरी मांस की स्थानीय मांग को देखते हुए इसका सीमित निर्यात किया जाता है। लेकिन जहां तक निर्यात से प्राप्त होने वाले मूल्य का संबंध है इसका स्थान दूसरा है। मांस के निर्यात को बढ़ाने में आधुनिक तरीकों से मांस उत्पादन और प्रसंस्करण करने की अपर्याप्त क्षमता जैसी कुछ समस्याएं आड़े आती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए गए। हाल के वर्षों में मांस के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु आधुनिक क्षमता में वृद्धि हुई है। पशुपालन विभाग व राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से भी पशु प्लेग जैसे कतिपय रोगों को दूर करने में सहायता मिली है।

पिछले 4 वर्षों में मांस के कुल निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैः-

मात्रा-टन में

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. मटन और बकरी मांस	8682	31.23	9700	47.00	13700	78.00	12808	61.93
2. भैंस मांस	62608	108.43	85300	183.00	82200	214.00	102077	281.64
3. प्रसंस्कृत मांस उत्पाद	159	0.82	193	1.15	300	2.0	—	0.72

houses are mainly established in export sector. In recent years, few modern slaughter houses have come up and functioning on hygienic standards eqluivalent to international level. Such Slaughter Houses are situated in Rudraram (Andhra Pradesh), Aurangabad (Maharashtra), Derabasi (Punjab), Nanded and Goregaon (Maharshtra) and Usgaon (Goa). A few modern Abattoirs are in the offing. The prominant one is in Aligarh. All these Slaughter Houses are catering to the needs of export.

PORK AND OTHER MEAT PROCESSING:

There are 128 meat products processing plants in the country which includes 7 Bacon Factories set up in 4th Five Year Plan and are functioning as State Government enterprises. Out of these bacon factories, three have been converted as meat complexes and are catering to the needs of processed meat products for Defence, Para-military forces and other domestic use. The main products manufactured by these plants are sausages, ham, bacon, salami, frankfurters and canned meat products like chicken curries, mutton curries, mutton chunks etc. The maximum conversion of high value added meat products takes places only in case of pork products. However, canned products like mutton chunks and curries are produced mainly for Defence and Para-military Forces.

POULTRY PROCESSING

The poultry production has taken a shape of an industry. However, the poultry dressing and processing is still in its infancy. In recent years, few large poultry processing plants have come up in some cities in the country whereas small poultry dressing plants are functioning in many cities of the country. The large poultry dressing and processing plants are situated in Pune, Bangalore, Ahmednagar and Agra. There are few large poultry dressing plants in the offing, the prominent among them are located in Bhopal, Guwahati and Haryana. In recent years, high value added poultry meat products are also being manufactured by some of the factories. Such products are chicken ham, chicken sausages, chicken samosas, chicken patties etc. The prominent plant manufacturing these products is situated in Pune (Maharashtra) under private sector.

EXPORTS

India is exporting mutton, buffalo meat, processed meat, poultry products and animal casings under the category of meat and meat products. The major portion of export is buffalo meat. Buffalo meat is surplus in the country, as it is consumed by only few communities. There is a good demand of buffalo meat in the Middle East countries like Jordan, Kuwait, Beharin, Qatar, Abu Dhabi etc. In the far east also Indian buffalo meat has gained a prominent place. Malaysia is the major country which is importing Buffalo meat from India. considering the local demand of sheep and goat meat, the export of such meat is limited. However, it occupies second position in terms of value of export. There are certain problems faced to increase the export of meat like insufficient capacity for meat production and processing on modern lines. Efforts have been made to solve these problems. The modern capacity for production and processing of meat have been increased in recent years. Concerted action by Department of Animal Husbandry and State Governments have also helped eradication of certain diseases like Rinderpest. The total export of meat in the last four years is given in the following table:

Qty—Tons
Value—Rs. Crores.

Item	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
1. Mutton & Goat Meat	8682	31.23	9700	47.00	13700	78.0	12808	61.93
2. Buffalo Meat	62608	108.43	85300	183.00	82200	214.0	102077	281.64
3. Processed Meat Products	159	0.82	193	1.15	300	2.0	—	0.72
4. Animal Casings	—	7.19	—	6.90	—	9.0	—	—

मद	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
4. पशु केसिंग	—	7.19	—	6.90	—	9.0	—	0.87
5. पॉल्ट्री उत्पाद	—	2.28	—	10.15	—	15.0	87.0	0.26
6. सुअर-मांस उत्पाद	—	—	—	—	6.5	0.1	108.0	0.37
योग	—	149.95	—	248.20	—	314.00	—	345.79

योजना स्कीमें

मंत्रालय ने 1988 में अपने गठन के बाद मांस और मांस पाल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का काम शुरु किया। मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण संबंधी मंत्रालय की विकास योजनाएं निम्नलिखित हैः-

1. मांस उद्योग के कारीगरों और व्यावसायिकों का प्रशिक्षण।
2. सुअर-मांस, पाल्ट्री, भेड़ और बकरी, खरगोश-मांस और भैंस मांस प्रसंस्करण के विकास के लिए सहायता।
3. विपणन सुविधाओं और परिवहन के विकास के लिए सहायता।
4. तकनीकी जानकारी, अनुसंधान और विशेषीकृत पैकेजिंग संबंधी सहायता।

मंत्रालय ने उपर्युक्त योजना स्कीमों के लिए वर्ष 1990-91 से 1992-93 में सहायता दी। यह सहायता पाल्ट्री, सुअर मांस, भेड़ और बकरी तथा भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, असम मध्य-प्रदेश, पंजाब, मिजोरम राज्यों के उपक्रमों को दी गई। नागालैंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्थित सहकारी समितियों/समूहों को भी कुछ अनुदान सहायता दी गई। मंत्रालय स्वच्छ मांस और मांस उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए कारीगरों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के वास्ते विभिन्न संस्थाओं और राज्य उपक्रमों को सहायता दे रहा है। 1990-91 से 1992-93 तक लगभग 320 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। पालतू-पशु आहार उद्योग के विकास के लिए पश्चिम यूरोप और जापान द्वारा किए गए बाजार-सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट का उपयोग दो उद्यमियों द्वारा पालतू-पशु आहार यूनिट स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।

इसके बाद 1993-94 में पंजाब, असम और महाराष्ट्र में राज्य उपक्रमों सहकारिताओं को पॉल्ट्री, सुअर-मांस और भेड़, बकरी और भैंस-मांस प्रसंस्करण के विकास के लिए सहायता दी गई। ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पंजाब में इस समय एक परियोजना तैयार है और अनुमान है कि इसके द्वारा शीघ्र ही निर्यात शुरू कर दिया जाएगा। पी॰आई॰सी॰यू॰पी॰ के सहयोग से उ॰प्र॰ में एक विशाल एकीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए और पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में स्थित 1-1 अंडा पाउडर संयंत्रों को भी सहायता दी गई है। अनुमान है कि तमिलनाडु में इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त अंडा पाउडर परियोजना भी 1995-96 में काम करना शुरू कर देगी। इसी तरह असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सी एफ टी आर आई, मैसूर, बम्बई पशु चिकित्सा कालेज बम्बई को 1993-94 में स्वच्छ मांस उत्पादन और प्रसंस्करण में कारीगरों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के वास्ते सहायता दी गई। मंत्रालय ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने में सहकारी समितियों/संघों को भी सहायता दी।

Qty—Tons
Value—Rs. Crores.

Item	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
5. Poultry Products	—	2.28	—	10.15	—	15.0	87	0.26
6. Pork Products	—	—	—	—	6.5	0.1	108	0.37
TOTAL		149.95		248.20		314.0		345.79

PLAN SCHEMES

Development of meat and poultry processing sector has been taken up by the Ministry after its formation in 1988. The development plans of the Ministry for meat and poultry processing are as follows:—

(i) Training of the artisans and professional of the meat industry;

(ii) Assistance for development of pork, poultry, sheep and goat, rabbit meat and buffalo meat processing;

(iii) Assistance for development of marketing facilities and transport.

(iv) Assistance to technical know-how, research and specialised packaging.

The Ministry provided the assistance for the above plan schemes in the year 1990-91 to 1992-93. The assistance was given to the State undertakings of Andhra Pradesh, U.P., Assam, M.P., Pubjab, Mizoram for establishment of poultry, pork, sheep and goat and buffaloes meat processing plant. Some grant-in-aid was also provided to the Cooperatives Societies/Federation in Nagaland, Madhya Pradesh and Maharashtra. The Ministry is giving assistance to various Institutes and State Undertakings for training the artisans and Managers for production and processing of hygienic meat and meat products. About 320 candidates have been trainined from 1990-91 to 1992-93. The market survey conducted by Western Europe and Japan, the development of pet food industry is being utilised by two modern Integrated Meat Projects being set up recently.

Subsequently in 1993-94, assistance was provided for the development of poultry, pork and sheep and goat and buffalo meat processing to the State Undertakjngs and cooperatives in Pubjab, Assam and Maharashtra. These schemes are under implementation. One project in Punjab is now ready and export from this project is likely to take place soon. Assistance is also provided for establishing a large integrated meat processing plant in Uttar Pradesh in collaboration with PICUP, two egg powder plants, one in Punjab and one in A.P. The egg powder plant assisted by this Ministry earlier in the State of Tamil Nadu is likely to be implemented by 1995-96. Similarly, the assistance was also given for training the artisans and Managers in hygienic meat production and processing in 1993-94 to the State Undertakings of Assam, Manipur, Andhra Pradesh, CFTRI, Mysore, Bombay Veterinary College, Bombay. The Ministry has also provided assistance to Cooperative Societies/ Federations for production of the Techno Economic Feasibility Reports.

अध्याय 8

गहन समुद्री मत्स्यन

मार्च, 1991 में घोषित की गई समुद्री मत्स्यन नीति 1992-93 के दौरान पूरी तरह लागू हो गई थी। संयुक्त उद्यमों, टेस्ट फीशिंग और लीजिंग के तहत अनेक जलयानों को अनुमति दी गई तथा 34 जलयानों ने काम शुरू कर दिया। नई नीति शुरू करने के बाद से लेकर अब तक मंत्रालय में संयुक्त उद्यम, लीजिंग, टेस्ट फीशिंग और जलयानों के सीधे आयात/स्वदेशी निर्माण संबंधी 81 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 344 जलयान शामिल हैं। इसमें संयुक्त उद्यम के लिए 29 प्रस्ताव, टैस्ट फीशिंग के लिए 8, लीजिंग के लिए 33 तथा आयात/स्वदेशी निर्माण द्वारा गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से अधिग्रहण के लिए 11 प्रस्ताव शामिल हैं। उपर्युक्त प्रस्तावों में से मंत्रालय संयुक्त उद्यम संबंधी 22, लीजिंग संबंधी 19, टेस्ट फीशिंग संबंधी 8 और गहन मत्स्यन जलयानों के आयात/स्वदेशी निर्माण संबंधी 6 प्रस्तावों पर अनुमति दे चुका है। 14 जलयानों संबंधी 5 आवेदनपत्रों को रद्द कर दिया गया है और 21 आवेदन पत्र लंबित हैं। उपर्युक्त 3 स्कीमों के तहत मंजूर किए गए मामलों में जलयानों की संख्या 239 है। लेकिन इस समय 31 मामले वैध हैं और उनमें जलयानों की संख्या 188 है।

नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की एक उपलब्धि मत्स्यन जलयानों पर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और पैकजिंग के लिए फैक्ट्री जलयानों की शुरूआत करना है। तीन कंपनियों ने रूस और पुर्तगाल से प्राप्त जलयानों पर 6-6 महीने टेस्ट फीशिंग की। संयुक्त उद्यम/लीजिंग के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चला रही कंपनियों के नाम और जलयानों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) संयुक्त उद्यम		जलयानों की सं०/कहां से प्राप्त किया	किस्म
1.	फिशिंग फलकान लि०, हैदराबाद	3/दक्षिण कोरिया	टूना लाग लाइनर
2.	ओरिएंटल हाईसी फिशरिज़, विशाखापत्तनम	1/जापान	फैक्टरी ट्रालर
3.	का य-डी (आई) फिशरिज़ प्रा०लि०, नई दिल्ली	1/दक्षिण कोरिया	ट्रालर
4.	टिंग टाई इंडिया लि०, विशाखापत्तनम	2 ताइवान	ट्रालर
5.	फारच्यून ओसेनिक प्रोडक्ट लि०, नई दिल्ली	3/एसटोनिया	ट्रालर
6.	इंचिता फिशरिज (प्रा०) लि०, मद्रास	4/चीन	ट्रालर
7.	स्वान सी फूडस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	4/थाईलैंड	स्ट्रन ट्रालर
(ख) लीजिंग			
1.	ए०के० इंटरनेशनल, नई दिल्ली	1/स्पेन	ट्रालर
2.	बालाजी सी फूडस लि०, विशाखापत्तनम	2/थाईलैंड	ट्रालर
3.	सोविन सी फूडस प्रा०लि०, नई दिल्ली	2/रूस	ट्रालर

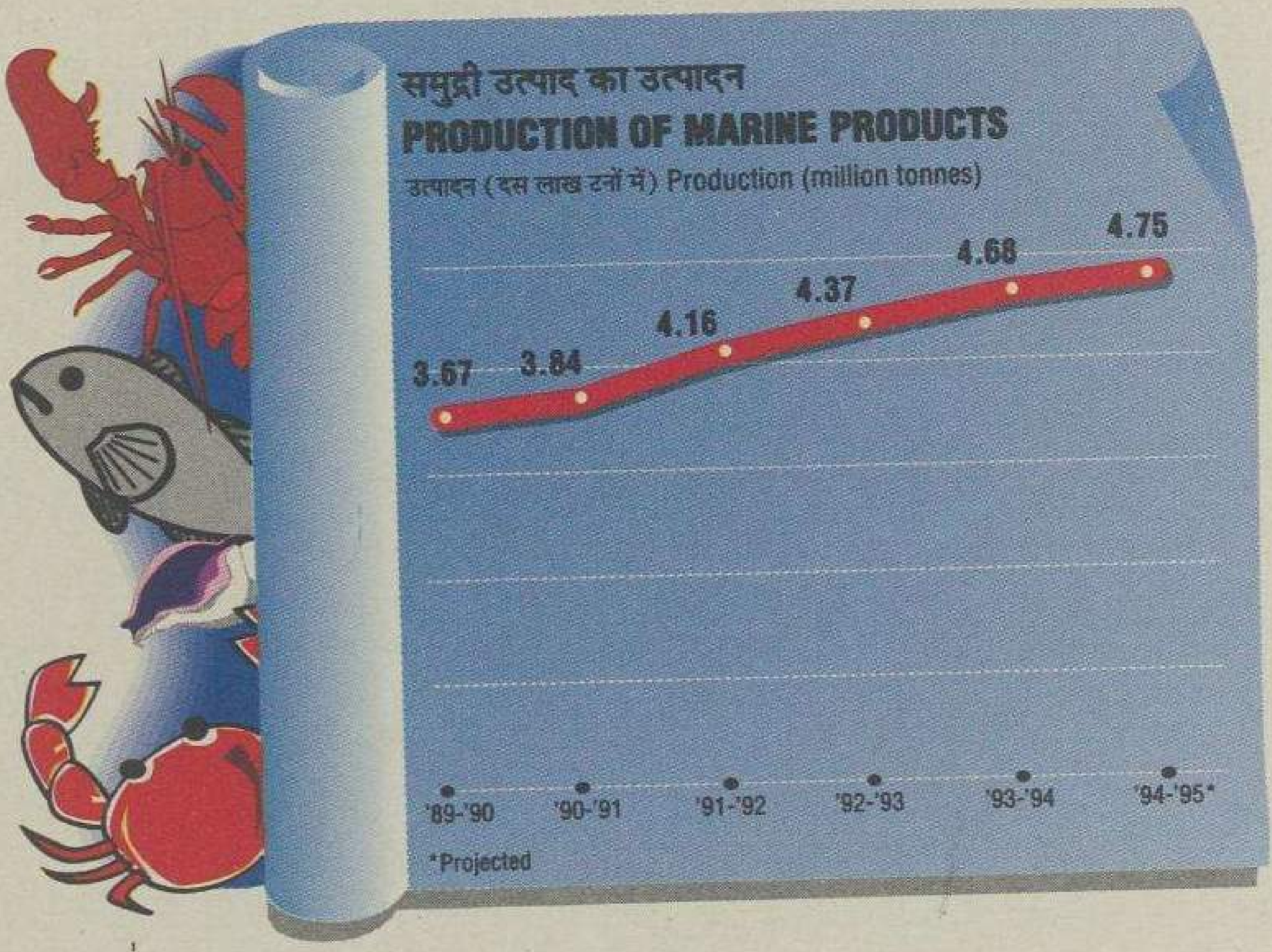

मत्स्यन जलयान ''मत्स्य मोहिनी''

Fishing vessel "Matsya Mohini".

CHAPTER VIII

DEEP SEA FISHING

New Deep Sea Fishing Policy announced in March, 1991 became fully effective during the year 1992-93. A number of vessels under Joint Ventures, Test Fishing and leasing were permitted and operation of 29 vessels started. Since the inception of new policy, 81 applications involving 344 vessels for Joint Ventures, Leasing, Test Fishing and direct import/indigenoũs construction of vessels were received in the Ministry. This consists of 29 proposals for Joint Ventures, 8 for Test Fishing, 33 for lealsing and 11 proposals for acquisition of deep sea fishing vessels, through import/indegenous construction. Out of above proposals, permission has already been accorded by the Ministry to 22 Joint Venture proposals, 19 for Leasing, 8 proposals for Test Fishing and 6 proposals for import/ indigenous construction of deep sea fishing vessels. Five applications for 14 vessels have beén rejected. 21 applications are pending. The number of vessels involved in the cases cleared under the above three scheme are 239. However, 31 cases are valid now involving 188 vessels.

One of the achievements of the new Deep Sea Fishing Policy is the introduction of factory vessels for harvesting, processing & packaging on board the fishing vessels.Three companies have conducted Test Fishing by operations of vessels from Russia and Portgual for a period of 6 months each. The names of the companies who are operating deep sea fishing vessels under Joint Venture/ Leasing with the particulars of the vessels are given below:—

		No. of Vessel/Source	Type
(a) Joint Ventures			
1.	Fishing Falcons Ltd. Hyderabad.	3/South Korea	Tuna Long LIners
2.	Oriental High Sea Fisheries, Vishakhapatnam.	1/Japan	Factory Trawlers
3.	Buoy-Dae (I) Fishing Pvt. Ltd., New Delhi.	1/South Korea	Stern Trawlers
4.	Ting Tai India Ltd., Vishakhapatnam	2/Taiwan	Stern Trawlers
5.	Fortune Oceanic Products Ltd., New Delhi	3/Estonia	Stern Trawlers
6.	Inchita Fisheries (P) Ltd., Madras	4/China	Stern Trawlers
7.	Swan Sea Foods (P) Ltd., New Delhi.	4/Thailand	Stern Trawlers
(b) LEASING			
1.	A. K. International, New Delhi.	1/Spain	Stern Trawlers
2.	Balaji Sea Food Ltd., Vishakhapatnam	2/Thailand	Stern Trawlers
3.	Sovin Sea Foods Pvt.Ltd., New Delhi.	2/Russia	Stern Trawlers

4.	अद्चया मैरिन प्रा॰ लि॰, विशाखापत्तनम	2/थाईलैंड	स्ट्रन ट्रालर
5.	मनीष-ए-ट्रेडिंग कंपनी, पोर्ट ब्लेयर	1/थाईलैंड	लांग लाइनर
6.	अंडमान फिशरिज़ लि॰, नई दिल्ली	1/थाईलैंड	लांग लाइनर
7.	अंडमान मैरिन प्रोडक्ट डवलपमेंट कंपनी, पोर्ट ब्लेयर	2/थाईलैंड	हुक एंड लाइन वैसल

लीजिंग के लिए 13 कंपनियों को अनुमति दी गई हैं पर केवल 7 ही कार्यान्वित कर रही हैं। पहले से यह निर्णय लिया जा चुका है कि लीजिंग कंपनियों द्वारा एक साल के लीज किराए के बराबर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया जाए। इन परियोजनाओं में कुल 32.98 करोड़ रू॰ विदेशी निवेश किया जाएगा।

मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद के विकास के लिए मछली प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना और ब्रकिश वाटर फिश/श्रिंप फार्मिंग की स्थापना सरकार की स्थापित नीति है। अब तक मछली प्रसंस्करण और ब्रेकिश वाटर फिश/श्रिंप फार्मिंग के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना संबंधी 83 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली 21 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 536 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश किया जाएगा।

गहन समुद्री मात्स्यिकी विकास संबंधी स्कीमें

गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के समन्वित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कीं:—

(i) संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु तटरक्षक बल को धनराशि उपलब्ध कराके भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के प्रभावकारी कार्यान्वयन की स्कीम:

चूंकि तटरक्षक बल को भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है अतः मात्स्यिकी जलयान के साथ जलयान से तट तक सीधी रेडियो संचार व्यवस्था लगाने हेतु धन-राशि उपलब्ध कराके तट रक्षक बल की संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा, इस सुविधा से तट रक्षक बल को समुद्र में मछली पकड़ रहे भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपेक्षित सहायता देने में भी मदद मिलेगी। इस स्कीम के लिए 1994-95 के दौरान 40 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस धनराशि को पहले ही वितरित किया जा चुका है।

(ii) गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम:

एस॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ द्वारा गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों को जलयान प्राप्त करने के लिए रियायती दरों पर ऋण दिए जाने के बारे में यह महसूस किया गया कि एस॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ को ब्याज के अंतर की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाए। वर्ष 1994-95 के दौरान इस स्कीम के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस धनराशि को वितरित किया जा चुका है।

(iii) गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण उद्यमों में ''मपेड़ा'' के माध्यम से इक्विटी भागीदारी की स्कीम:

गहन समुद्री मात्स्यकी में पूंजी बहुत अधिक लगती है। ''मपेड़ा'' के पास पहले ही इस क्षेत्र में कंपनियों की इक्विटी में भागीदारी की एक स्कीम है ताकि उद्यमियों का वित्तीय भार कम किया जा सके और उनके कुशल प्रबन्ध में ''मपेड़ा'' की

		No. of Vessel/Source	Type
4.	Atchya Marina Pvt. Ltd., Vishakhapatnam	2/Thailand	Stern Trawlers
5.	Manish-A-Trading Company, Port Blair	1/Thailand	long Liner
6.	Andamans Fisheries Ltd., New Delhi.	1/Thailand	Hook & Line vessel
7.	Andaman Marine Products Development Co., Port Blair	2/Thailand	Hook & Line vessel

Although, permission have been given to 13 companies for Leasing, only 7 of them are being implemented. It was earlier decided to waive the condition on furnishing of bank Guarantee equivalent to one year lease rent by the leasing companies. The total foreign investment involved in these projects is Rs. 32.98 crores.

Encouragement for fish processing to develop value added marine products and setting up fo brackish water fish/shrimp farming is the established policy fo the Government. Proposals to set up 100% export-oriented units for fish 83 processing and brackish water fish/shrimp farming have been cleared so far. Apart from this, 21 projects have also been cleared in this area involving foreign equity partcipation. The total foreign investment approved on this sector so far is Rs. 536 crores.

SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF DEEP SEA FISHING

With a view to achieving an integrated development of the Deep Sea Fishing Sector, the Ministry implemented the following Schemes relating to infrastructure development:

(i) SCHEME FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF MZI ACT, 1981 BY PROVIDING FUNDS TO COAST GUARD FOR INSTALLATION OF COMMUNICATIONS FACILITIES:

Since Coast Guard are authorised to monitor fishing by foreign vessels under the MZI Act, 1981, a need was felt to strengthen their communication facilities by providing funds for them to set up ship to shore and vice-versa direct voice (radio) communication link with fishing vessels. Apart from this, the link will also help the Coast Guard in ensuring safety of the Indian owned vessels fishing at sea and in rendering any assistance required. During 1994-95, an amount of Rs. 40 lakhs has been earmarked for this Scheme. This amount has already been disbursed.

(ii) SCHEME FOR PROVIDING INTEREST SUBSIDY ON LOANS FOR ACQUISITION OF DEEP SEA FISHING VESSEL:

In order to provide loans to deep sea fishing companies for acquistion of vessels at concessional rate of interest by SCICI Limited, it was felt that an interest differential subsidy be provided to SCICI Ltd. During the year 1994-95, an amount of Rs. 50 lakhs has been earmarked for this Scheme. This amount has already been disbursed.

(iii) SCHEME FOR EQUITY PARTICIPATION IN DEEP SEA FISHING AND PROCESSING VENTURES (THROUGH M.P.E.D.A.):

Deep Sea Fishing is a highly capital intensive field. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) have already got a scheme to participate in the equity of

अनुकूल भागीदारी की व्यवस्था हो सके। इस स्कीम के तहत धनराशि ''मपेड़ा'' को प्रदान की जाएगी जो इससे गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण उद्यमों की इक्विटी में भाग लेगा। वर्ष 1994-95 के दौरान इस स्कीम के लिए 100 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(iv) विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सहायता:

यह महसूस किया गया है कि श्रिम्प संसाधनों का दोहन अधिकतम स्तर तक हो चुका है और मौजूदा श्रिम्प ट्रालरों में से कुछ में विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अन्तर्गत धनराशी ''मपेड़ा'' को प्रदान की जाएगी जो इसे जलयनों/ट्रालरों में सुधार की लागत पर सब्सिडी रूप में सहायता देने पर खर्च करेगा। वर्ष 1994-95 के दौरान इस स्कीम कें लिए 100 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(v) राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड:

देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के समन्वित ढंग से समग्र विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी बोर्ड बनाना आवश्यक समझा गया। इस बोर्ड को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस बोर्ड के लिए 1994-95 के दौरान 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। बोर्ड की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

(vi) मछली परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के लिए आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने संबंधी स्कीम:

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान यह मंत्रालय मछली के परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में दो स्कीमें कार्यान्वित कर रहा था। ये स्कीमें (1) कोल्ड चेन स्थापित करने की स्कीम, और (2) टूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण के लिए स्कीम थीं। चूंकि मात्स्यिकी उत्पादों के लिए प्रसंस्करण और परिरक्षण उपकरण में एक सामान्य घटक प्रशीतन सुविधाएं हैं इसलिए इन

दोनों स्कीमों के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को सही अर्थ में अलग करना कठिन था। अतः इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने में लचीलापन रखने के लिए यह महसूस किया गया था कि इन दोनों स्कीमों का विलय कर दिया जाए। तद्नुसार वर्तमान स्कीम को वर्ष 1994-95 से लागू करने के लिए तैयार किया गया है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य मूल आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मछली के परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित है। इनमें आई॰क्यू॰एफ॰ संयंत्र, ब्लास्ट फ्रीजर्स, ब्लाक फ्रीजर्स आदि जैसी आईस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा रेफ्रिजरेटिड परिवहन सुविधाओं को शामिल किया जाए। इस स्कीम के तहत 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 360 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
बम्बई

भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। सर्वेक्षण के अलावा उक्त संस्थान गहन समुद्री मत्स्यन के लिए उपयुक्त क्राफ्ट और गियर का मूल्यांकन अध्ययन, मात्स्यिकी चार्ट तैयार करने, ''सिफनेट'' द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों को जलयान पर पाठ्यक्रमोपरान्त प्रशिक्षण देने और गहन समुद्री मत्स्यन के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने का काम करता है। जलयान आधारित सर्वेक्षण के मार्फत से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी गहन समुद्री मत्स्यन विकास कार्यों के लिए सूचना-आधार उपलब्ध कराता है और देश में गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।

संस्थान सात प्रचालन बेसों से चलने वाले 12 सर्वेक्षण जलयानों द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और निगरानी का काम करता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा प्लेज़िक/मिड-वाटर ट्रालिंग के अलावा बॉटम-ट्राल सर्वेक्षण, लांग-लाइनिंग, स्क्विड् जिगिंग कर सकता है।

Companies in this field in order to reduce the financial burden on the entrepreneurs and also to provide positive participation of M.P.E.D.A. in their efficient management. The funds under this Scheme will be released to M.P.E.D.A., who will, in turn, participate in the equity of deep sea fishing and processing ventures. An amount of Rs. 100 lakhs has been earmarked for this Scheme during 1994-95.

(iv) ASSISTANCE FOR DIVERSIFIED FISHING:

It is felt that exploitation of shrimp resources has reached a saturation point and there is a need for some of the existing shrimp trawlers to be modified to do diversifed fishing. The funds under this Scheme would be released to M.P.E.D.A., who will, in turn, provide assistance as subsidy on the cost of modification of the vessels/trawlers. An amount of Rs. 100 lakhs has been earmarked for this Scheme during 1994-95.

(v) NATIONAL MARINE FISHERIES DEVELOPMENT BOARD:

Considering the need to promote the overall development of the deep sea fishing sector in the country in a coordinated manner, it was felt necessary to form a National Marine Fisheries Development Board. This Board is proposed to be set up as a registered society. An amount of Rs. 50 lahks has been earmarked for this purpose during 1994-95. The procedural formalities for setting up of this Board are in progress.

(vi) SCHEME FOR SETTING UP OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR PRESERVATION AND PROCESSING OF FISH:

During 1992-93 and 1993-94, the Ministry was implementing two Schemes for infrastructural development in the field of preservation and processing of fish. These were (1) Scheme for Cold Chain; and (2) Scheme for Tuna and Other Fish Processing. Since a common factor in both processing and preservation equipment for fishery products is refrigeration facilities, treating proposals under these two Schemes as strictly separate, was found to be difficult. Therefore, in order to have greater flexibility in appraising these projects, it was felt that the two schemes be merged. Accordingly, the present Scheme has been formulated for implementation from the year 1994-95 onwards. The basic objective of the Scheme is to provide financial assistance to encourage setting up of basic infrastructural facilities which are required for preservation and processing of fish which may include Ice Plants, Cold Storage, processing facilities like IQF Plants, Blast Freezers, Block Freezers etc., and Rrefrigerated Transport facilities. An amount of Rs. 360 lakhs has been provided in RE 1994-95 under this Scheme. Proposals received are under consideration.

FISHERY SURVEY OF INDIA

BOMBAY

The Fishery Survey of India, Bombay, is the nodal agency under the Government of India for the survey and assessment of marine fishery resources of the Indian EEZ. Besides surveys, the Institute is undertaking assessment studies of suitable craft and gear for deep sea fishing, preparation of fishery charts, in vessel post-institutional training to CIFNET sponsored candidates and consultancy work on various aspects of deep sea fishing. The FSI, through vessel-based surveys, provide the information base for all deep sea fishing developmental activities and act as a catalyst for the development of deep sea fishing industry in the country.

Twelve survey vessels based at seven operational bases of the Institute are engaged in survey and monitoring of fishery resources in different regions of Indian EEZ. The survey fleet of the Institute are capable of undertaking bottom-trawl survey, long-lining, squid jigging besides pelagic/mid-water trawling.

किए गए संसाधन सर्वेक्षण

वर्ष 1994-95 के सर्वेक्षण कार्यक्रम में पूर्वी और पश्चिमी तट पर डिमर्सल ट्राल सर्वेक्षण के तहत 10 परियोजनाएं और जनवरी-मार्च, 1995 के दौरान अंडमान और निकोबार, द्वीप समूह के आस-पास डिमर्सल संसाधनों के आरंभिक सर्वेक्षण की व्यवस्था है। दक्षिण पश्चिम-तट पर्स-सिनिंग और आंध्र प्रदेश तट (मिडवाटर ट्रालिंग) पर दो प्लेज़िक संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाओं की योजना बनाई गई। महासागर सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत तीन परियोजनाएं अर्थात उत्तर पश्चिम तट, उत्तर पूर्वी तट और अंडमान तथा निकोबार समुद्र में लांग लाइन सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। लागू करने के लिए 5 परीक्षण योजनाएं भी बनाई गई हैं जिनमें राक कोड के लिए ट्रैप फिशिंग, स्क्विड जिगिंग और पर्च के लिए बाटम सेट लांग लाइनिंग शामिल हैं।

अप्रैल-दिसंबर, 1994 के दौरान सर्वेक्षण जलयान समुद्र में कुल 841 दिन रहे और 624 दिन वास्तविक मात्स्यिकी की।

सूचना का प्रसार

संस्थान अपने प्रकाशनों के मार्फत से अंतिम उपभोक्ताओं तक संसाधन सर्वेक्षण निष्कर्ष कारगर ढंग से प्रसारित करने में सफल रहा है। संस्थान द्वारा गहन समुद्री और महासागर क्षेत्रों में मात्स्यिकी संभावनाओं संबंधी गुणवत्ता और मात्रात्मक मूल्यांकन उद्योगों द्वारा टूना, अन्य फिन मछलियों, सेफालापोड्स आदि के लिए गहन समुद्री मत्स्यन करने का अनिवार्य आधार बने हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए/ प्रकाशनाधीन हैं-

1. ओकेज़न पेपर, 2 अंक (प्रकाशनाधीन)
2. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चार्टर्ड फिशिंग जलयानों का प्रचालन-एक अंक (प्रकाशनाधीन)
3. मीना न्यूज-एक अंक निकाला गया और एक प्रकाशनाधीन है।
4. संसाधन सूचनाश्रृंखला-2 अंक निकाले गए और एक प्रकाशनाधीन है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षणः

संस्थान ने "सिफनेट" कोचीन द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को जलयान पर पाठ्यक्रमोपरान्त प्रशिक्षण दिया जिससे वे मात्स्यिकी जलयानों में तैनाती संबंधी परीक्षा के लिए अपेक्षित समुद्र सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकें। वर्ष के दौरान दिए गए प्रशिक्षण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

1. वर्ष के आरम्भ में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 12
2. वर्ष के दौरान नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्याः 5
3. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्याः 3
4. वर्ष के अन्त में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 14

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों का टूना टेगिंग में प्रशिक्षण अप्रैल, 1994 के दौरान संस्थान के दो वैज्ञानिकों को आई॰पी॰टी॰पी॰ कार्यक्रम के तहत मालदीव में टूना टैगिंग कार्यक्रम के लिए नामित किया।

सीरफिश और लांग टेल टूना संबंधी आी॰पी॰टी॰पी॰ कार्यदलः

सेशल्स में आयोजित आई॰पी॰टी॰पी॰ विशेषज्ञ परामर्श की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, आई॰पी॰टी॰पी॰ अरब सागर में सीरफिश और लांगटेल टूना स्टाफ की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यदल का गठन करेगा। भारत में इन दो संसाधनों पर सूचना एकत्र करने के लिए आई॰पी॰टी॰पी॰ को एक एजेंसी के रूप में नामित किया है।

संस्थान के कार्य का कंप्यूटरीकरणः

वर्ष के दौरान के बंबई स्थित मुख्यालय में एक नई कम्प्यूटर प्रणाली लगाई गई। कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत संस्थान के मुख्यालयों और उसके प्रचालनों बेसों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और इस काम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पुणे संस्थान की सहायता कर रहा है।

मतस्य दर्शनी और मतस्य वर्षणी का पुनर्वास

डेनिशतकनीकी सहयोग के तहत भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने "मत्स्य दर्शिनी और मत्स्य वर्पिणी" नामक दो सर्वेक्षण जलयानों की पूरी क्षमता

Resources Survey undertaken

The survey programme for 1994-95 envisaged ten projects under demersal trawl survey along east and west coast and a preliminary survey of demersal resources around Andaman & Nicobar Islands upto 500m during Jan.-March '95. Two pelagic resources survey projects were planned along south west coast (purse-seining) and Andhra Pradesh coast (mid-water trawling). Under the oceanic survey programme three projects were planned, long line survey along north west coast, north east coast and Andaman & Nicobar seas. Five experimental projects were also being scheduled for execution which included trap fishing for rock cods, squid-jigging & bottom set long lining for perch.

During April-Dec. '94, the survey vessels spent a total of 841 days at sea and conducted actual fishing for 24 days.

Dissemination of Information

The Insitute has been able to effectively disseminate the resources survey findings to the end-users through its publicaitons. The qualitative and quantitative assessments of fishery potential in deep sea and oceanic regions made by the Institute essentially formed the basis for industry to diversify to deep sea/oceanic fishing for tunas, other fin fishes, cephalopods etc. The following are the publications released/under release during the year:

(i) Occasioinal paper, 2 issues (under release).

(ii) Chartered fishing vessels operation in the Indian EEZ-1 issue (under release).

(iii) Meena News-1 issue released and one under release.

(iv) Resources Information Series-2 issues released and one under release.

Training of operatives

The Institute imparted in-vessel post-institutional training to candidates sponsored by CIFNET, Cochin, enabling them to acquire requisite sea-service to appear for competency examination for manning fishing vessels. Details of the training imparted during the year are as follows:

1. No. of trainees at the beginning of the year	12
2. No. of trainees appointed during the year	5
3. No. of trainees who completed training during the year	3
4. No. of trainees available at the end of the year	14

OTHER IMPORTANT ACHIEVEMENTS

FSI scientists trained in tuna tagging

Two scientists of the Institute were deputed for tuna tagging studies under the IPTP programme in Maldives during April 1994.

IPTP working group on seerfishes and longtail tuna

As a follow-up of the IPTP expert consultation held in Seychells, IPTP would organise a regional working group to evaluate the present status of seerfish and longtail tuna stock of the Arabian Sea. IPTP has identified FSI as an agency for the collection of information on these two resources in India.

Computerisation of Institute function

A new computer system was installed at the Institute Head Quarters at Bombay during the year. Under the Computerisation project, the Institute headquarters and its operational bases are being computerised and the National Informatics Centre, Pune is assisting the Institute in the above task.

Rehabilitation of Matsya Darshini and Matsya Varshini

Under the Danish Technical Cooperation, a programme of refitting fish finding and navigational

का उपयोग करने के लिए उन्नयन के वास्ते फिश फाईडिंग और नौचालन उपकरणों की रिफिटिंग, रेफ्रिजरेशन और अन्य अनिवार्य उपकरणों की पूरी सर्विसिंग का कार्यक्रम शुरु किया है। उक्त काम कोचीन स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किए जाएंगे।

इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष के दौरान निम्नलिखित इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:—

1. मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण तथा स्टाक मूल्यांकन	23
2. रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ओरासल	20

स्टाफ की संख्या:

संस्थान में कर्मचारियों की स्वीकृत कुल संख्या 710 है जिसमें 69 वैज्ञानिक पद, 425 तकनीकी पद और शेष प्रशासनिक पद शामिल हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण:

आरक्षण के मानदंडों का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और वर्ष के दौरान भरे गए पदों की संख्या नीचे दी गई है:—

ब्यौरे	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
आरक्षित पदों की संख्या	10	4	14
भरे गए पदों की संख्या	5	—	5
भरे जाने वाले पदों की संख्या	5	4	9

रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

रोजगार/कर्मचारी चयन समिति को भेजे गए मांग पत्र 6

संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार किया जा रहा है 3

वित्तीय प्रगति:

वर्ष के दौरान संस्थान के बजट अनुदान और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(लाख रु० में)

ब्यौरे	योजना	गैर-योजना
बजट अनुदान	1200.00	170.00
संशोधित बजट अनुमान	1140.00	182.52
दिसम्बर, 94 तक किया गया वास्तविक व्यय	435.82	116.50
वर्ष 1994-95 के लिए प्रत्याशित व्यय	1000.00	165.00

equipments, refrigeration and complete servicing of other essential equipments on the two survey vessels Matsya Darshini and Matsya Varshini to upgrade the vessels to their full capacity utilisation have been undertaken by FSI. The works are being carried out at Cochin Shipyard Ltd., Cochin.

In-house training programme

The following in-house training programme were organised during the year:—

(i) Fishery resources survey and stock assessment	23
(ii) Relational Data Base Management System and Oracle	20

Staff strength

The total sanctional staff strength of the Institute is 710, which includes 69 Scientific posts 425 technical posts and the remaining administrative posts.

Reservation of posts for SC/ST candidates:

Following the norms of reservations, the number of posts reserved by the Institute for Schedule Caste/Schedule Tribe categories and the number of posts filled during the year are given below:—

Particulars	SC	ST	TOTAL
No. of posts reserved	10	4	14
No. of posts filled up	5	—	5
No. of posts to be filled	5	4	9

Action in progress to fill up the vacant posts as below:—

Requisition sent to Employment/Staff Selection Committee: 6

Under correspondence with the UPSC: 3

Financial progress

The details of the Budget grant and expenditure of the Institute for the year are given below:

(Rs. in lakhs)

Particulars	Plan	Non-Plan
Budget grant	1200.00	170.00
Revised budget estimate	1140.00	182.52
Actual expenditure upto Dec. '94	435.82	116.50
Anticipated expenditure for the year 94-95.	1000.00	165.00

अध्याय 9

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं०) लिमिटेड की स्थापना माडर्न बेकरीज (इं०) लि० के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कंपनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका मौजूदा नाम नवंबर, 1982 में अपनाया गया था।

पूंजीगत संरचना

31.12.94 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ रु० और प्रदत्त पूंजी (बकाया आबंटन सहित) 9.58 करोड़ रु० थी। 31.12.93 को लगभग 4.16 करोड़ रु० की तुलना में कंपनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.12.94 को 4.98 करोड़ रु० थी।

वास्तविक कार्यनिष्पादन

ब्रेड कंपनी ने सफेद सैंडविच ब्रेड, मीठी डबल रोटी, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, ब्राउन डबल रोटी, और पोषण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रकार की डबल रोटी का उत्पादन और विपणन अपनी 13 ब्रेड निर्माता यूनिटों के माध्यम से जारी रखा। ये ब्रेड निर्माता यूनिटें अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और रांची में स्थित हैं। अप्रैल 1994 से दिसंबर 1994 की अवधि के दौरान डबल रोटी की कुल बिक्री 13.56 करोड़ मानक डबल रोटी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 13.00 करोड़ मानक रोटी थी। अप्रैल 1994 से दिसम्बर, 94 के दौरान वाणिज्यिक बिक्री 12.02 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 11.90 करोड़ मानक डबल रोटी थी। इसी अवधि में पोषाहार के अंतर्गत बिक्री 1.54 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 1.10 करोड़ मानक डबल रोटी थी।

ब्रेड की बिक्री को बढ़ाने और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कंपनी के ब्रेड निर्माता संयंत्र स्थापित नहीं हैं ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने विभिन्न प्राइवेट ब्रेड निर्माताओं के साथ विशेष करार किया है जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पौष्टिक ब्रेड उपलब्ध कराई जा रही है। इससे रायल्टी के रूप में कंपनी की भी आमदनी होती है। अप्रैल से दिसंबर, 1994 के दौरान विशेष करार वाली यूनिटों ने 335 लाख मानक डबल रोटियां बेची और कंपनी ने लगभग 21.60 लाख रु० (अनुमानित) की रायल्टी प्राप्त की।

फल रस बाटलिंग संयंत्र, दिल्ली

संयंत्र, दिल्लीः संयंत्र ने चलती-फिरती गाड़ियों और बिक्री मशीनों के माध्यम से बोतलों में रसिका फल-रस पेय का उत्पादन और विपणन जारी रखा। अप्रैल, 1994 से दिसंबर, 1994 के दौरान 1.01 लाख क्रैट (प्रत्येक में 200 मि०लि० की 24 बोतलें) रसिका की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह बिक्री 0.99 लाख क्रेटों की थी। यूनिट ने फरवरी, 1994 से ऊर्जा खाद्य का उत्पादन भी आरंभ कर दिया है। अप्रैल, 94 से दिसम्बर, 94 के दौरान इस यूनिट ने उ०प्र० सरकार को उनके समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए सप्लाई किए जाने हेतु कानपुर यूनिट को 6817 मी० टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की है। इससे यूनिट को अपने घाटे कम करने में सहायता मिली है।

एक्सट्रूडेड खाद्य संयंत्र, जयपुर

यूनिट ने राजस्थान सरकार के विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 94 के दौरान 1015 मी० टन एक्सट्रूडेड खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1009.88 मी० टन की आपूर्ति की थी।

रोलर आटा मिल, फरीदाबाद

अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को उनके विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए यूनिट ने 12935 मी० टन ऊर्जादायक खाद्य की आपूर्ति की जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6938.13 मी० टन की आपूर्ति की गयी थी।

प्रसंस्करण यूनिट, भागलपुर

अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 के दौरान इस यूनिट ने बिहार राज्य को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1838 मी० टन ऊर्जादायक खाद्य आपूर्ति की जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 6435.83 मी० टन की आपूर्ति की गयी थी। बिहार सरकार से आर्डर न मिलने के कारण चालू वर्ष की सप्लाई प्रभावित हुई।

NERAMAC
NERAMAC
PINE-APPLE
modern
Tea-mate
Cake
modern
Ribbon Duet
Cake
EXTRUDED-FOOD
पोषाहार
MILK PLUS
modern
MILK PLUS
MILK BREAD
modern
Special
Rasika
FRUIT DRINK
modern
modern
fruity
फ्रूटी
मॉडर्न
modern
fruity
फ्रूटी
मॉडर्न
modern
SWEETBUNS
मॉडर्न
स्वीट बन
MODERN FOOD INDUSTRIES (I) LTD.

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का ब्रेड बनाने का संयंत्र

Bread making plant of M/s Modern Food Industries

'नेरामक' का अनानास प्रसंस्करण संयंत्र

Pineapple Processing Plant of NERAMAC

CHAPTER IX

PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

MODERN FOOD INDUSTRIES (I) LIMITED

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

Capital Structure:

The authorised share capital of the company is Rs. 15.00 crores and the paid up capital (including pending allotment) is Rs. 9.58 crores as on 31.12.94. The outstanding loans repayable by the Company to the Government of India stood at about Rs. 4.98 crores as on 31.12.94 against Rs. 4.16 crores on 31.12.93.

Physical Performance:

Bread

The Company continued to produce and market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity, brown bread and special bread for nutritional programmes at its 13 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras & Ranchi. The total sale of bread during the period April, 1994 to December, 1994 was 13.56 crores SL as compared to 13.00 crores SL during the corresponding period of last year. The commercial sales during April, 94 to December, 1994 were 12.02 crores SL as against 11.90 crores SL during the previous year, while the nutritional sales were 1.54 crores SL as against 1.10 crores SL for the corresponding period of previous year.

To further increase the sales of bread and to ensure its availability in the far-flung areas where the Company does not have its bread plants, the Company is having Franchise Agreements with various private manufacturers of bread whereby nutritious bread is being made available to the consumers in for off places. This also brings income to the Company in the shape of royalty. During April to December, 1994 the Franchised Units sold 335 lakhs SL and Company earned royalty amounting to Rs. 21.60 lakhs (Approximately).

Fruit Juice Bottling Plant, Delhi

The Plant continues to produce and market Rasika, Fruit Juices and drinks in bottles, through mobile vans and vending machines. The sale of Rasika during April, 1994 to December, 1994 was 1.01 lakhs crates (of 24 bottles of 200 ml. each) against 0.99 lakhs crates during the corresponding period of last year. The unit has also started production of Energy Food from February, 1994. During the period April, 94 - December, 94 the unit has supplied 6817 MT of Energy Food to the Kanpur Unit for supply to U.P. Government for their Social Welfare Programmes. This has helped the unit in reducing its losses.

Extruder Food Plant, Jaipur:

The unit supplied 1015 MT of Extruded Food during April, 1994 to December, 1994 as compared to supply of 1009.8 MT during the corresponding period of last year to the various Welfare Programmes of the Government of Rajasthan.

Roller Flour Mill, Faridabad:

During the period April, 1994 to December, 1994 the unit has supplied 12935 MT of Energy Food

to the State of U.P. and Bihar under their various nutritional Programmes as compared to 6938.13 MT supplied during the corresponding period of the last year.

Fruit Processing Unit, Bhagalpur:

During the period April, 1994 to December, 1994 the unit has supplied 1838 MT of Energy Food to Bihar State under their various Social Welfare Programmes as compared to 6435.83 MT supplied during the corresponding period of last year. The supplies for current year were affected due to non-receipt of orders from State Government of Bihar.

Research and Development:

Research and Development activities during the year under review encompassed several areas of importance and of these, stress was laid on development of new products and bringing about improvement in the quality attributes of the existing products. A bread improver system was developed in order to enhance the important quality characteristics of the various bread varieties being manufactured by the Company's Bakery Units. The R&D activities were aimed at diversifying the Company's product-mix, improving product quality and achieving cost economisation. In addition to the above, work pertaining to the project titled "Development of products for effective utilisation of millets", sponsored by the Ministry of Food Processing Industries, was initiated and considerable progress has been made in the same.

Benefits derived as a result of the R&D work

As a result of the R&D efforts the Company has been able to launch seven varieties of Cakes in the commercial market at selected units. The Company has also been able to bring in significant improvement in the quality of its products at different units and also has been able to launch improved Premium Quality Sandwich Bread in the Delhi market.

Future Plan of action for R&D:

R&D Centre's future plan of action includes:

- Development of extruded food products for commercial exploitation.
- Development of alternative formulation for energy food with suitable modification in ingredients and flavors.
- Development of products such as Extruded snack foods, Energy food and Malted beverages using millets as a part of work on the project 'Development of products for effective utilisation of millets'.
- To conduct studies aimed at improving the shelf-life of bread and screen the different packaging materials for developing a cost effective and functional package for bread with improved customer appeal.

Financial Performance :

Turnover

The Company's turnover during April, 1994 to December, 1994 is Rs. 9090 lakhs as compared to Rs. 5262.20 lakhs in the corresponding period of last year. In 1993-94 turn over was Rs. 8128.35 lakhs and Rs. 8225.29 lakhs for 1992-93. For the year 1994-95 it is estimated that the turn over of the Company would be Rs. 11195.00 lakhs.

Profit/Loss

The Company earned a profit of Rs. 0.65 crores during 1993-94 as against profit of Rs. 1.42 crores in 1992-93. For the period April, 1994 to December, 1994 the Company has

to the State of U.P. and Bihar under their various nutritional Programmes as compared to 6938.13 MT supplied during the corresponding period of the last year.

Fruit Processing Unit, Bhagalpur:

During the period April, 1994 to December, 1994 the unit has supplied 1838 MT of Energy Food to Bihar State under their various Social Welfare Programmes as compared to 6435.83 MT supplied during the corresponding period of last year. The supplies for current year were affected due to non-receipt of orders from State Government of Bihar.

Research and Development:

Research and Development activities during the year under review encompassed several areas of importance and of these, stress was laid on development of new products and bringing about improvement in the quality attributes of the existing products. A bread improver system was developed in order to enhance the important quality characteristics of the various bread varieties being manufactured by the Company's Bakery Units. The R&D activities were aimed at diversifying the Company's product-mix, improving product quality and achieving cost economisation. In addition to the above, work pertaining to the project titled "Development of products for effective utilisation of millets", sponsored by the Ministry of Food Processing Industries, was initiated and considerable progress has been made in the same.

Benefits derived as a result of the R&D work

As a result of the R&D efforts the Company has been able to launch seven varieties of Cakes in the commercial market at selected units. The Company has also been able to bring in significant improvement in the quality of its products at different units and also has been able to launch improved Premium Quality Sandwich Bread in the Delhi market.

Future Plan of action for R&D:

R&D Centre's future plan of action includes:

—— Development of extruded food products for commercial exploitation.

—— Development of alternative formulation for energy food with suitable modification in ingredients and flavors.

—— Development of products such as Extruded snack foods, Energy food and Malted beverages using millets as a part of work on the project 'Development of products for effective utilisation of millets'.

—— To conduct studies aimed at improving the shelf-life of bread and screen the different packaging materials for developing a cost effective and functional package for bread with improved customer appeal.

Financial Performance :

Turnover

The Company's turnover during April, 1994 to December, 1994 is Rs. 9090 lakhs as compared to Rs. 5262.20 lakhs in the corresponding period of last year. In 1993-94 turn over was Rs. 8128.35 lakhs and Rs. 8225.29 lakhs for 1992-93. For the year 1994-95 it is estimated that the turn over of the Company would be Rs. 11195.00 lakhs.

Profit/Loss

The Company earned a profit of Rs. 0.65 crores during 1993-94 as against profit of Rs. 1.42 crores in 1992-93. For the period April, 1994 to December, 1994 the Company has

क्र॰ संख्या	विवरण	अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 94	अप्रैल, 93 से दिसंबर, 93	बजट अनुमान 1994-95	वास्तविक 1993-94
2.	(क) फलरस और मृदु पेय (लाख क्रेटों में) (क्रेट 200 मी॰लि॰ की 24 बोतलें)	1.01	0.99	1.00	1.12
3.	एसटूडर खाद्य (मी॰टन में)	1015.00	1009.80	1500.00	1428.14
4.	उर्जा खाद्य/केयर खाद्य (मी॰टन में)	21590.00	6435.83	21000.00	10761.19

नोटः- अलाभकर होने की वजह से 1993-94 के दौरान उज्जैन स्थित तेल संयंत्र नहीं चलाया गया। यूनिट को अब 1.4.94 से बन्द कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰ (नेरामक) गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी कृषि विपणन निगम लि॰ (नेरामक) की स्थापना मार्च 1982 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फल और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण कर उस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 लाख रु॰ और प्रदत्त पूंजी 269 लाख रु॰ है।

निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात त्रिपुरा राज्य के नलकटा में स्थापित अन्नानास रस सांद्रण संयंत्र को जून 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र ने वर्ष 1994-95 के दौरान (दिसंबर 1994 तक) 73.67 मी॰ टन अनानास रस सांद्रण तैयार किया।

कंपनी ने वर्ष 1993-94 के दौरान विपणन और प्रसंस्करण के क्षेत्रों में गतिविधियों को फिर से चालू करने तथा उसके नवीकरण के लिए प्रयास किए। वर्ष 1994-95 के शुरू के 6 महीनों के दौरान कंपनी ने दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। कंपनी ने 1994-95 के शुरू के 6 महीनों के दौरान पारंपारिक कृषि-उत्पादों से विपणन गतिविधियों का विविधिकरण करके अगरबत्ती स्टिक, आइसक्रीम स्टिक आदि जैसे छोटे वन्य उत्पाद पर आधारित उत्पादों की शुरूआत की। निगम ने वर्ष 1994-95 के पूर्वार्द्ध के दौरान अगरतला में एक काजू प्रसंस्करण यूनिट भी चालू किया। इस यूनिट में 2.5 मी॰ टन प्रसंस्कृत काजू तैयार किया गया जिसका मूल्य 4.20 लाख रु॰ है।

1994-95 के दौरान निगम का कुल कारोबार (दिसंबर, 1994 तक) 52.13 लाख रु॰ (अलेखापरीक्षित) है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 15.30 लाख रु॰ (अलेखापरीक्षित) था।

1994-95 के दौरान निगम के प्रचालनों से 105 लाख रु॰ (अलेखापरीक्षित) होने का अनुमान है जो कि 1993-94 के दौरान 137.05 लाख रु॰ (अलेखापरीक्षित) था।

31.12.94 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संख्या 72 थी जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 160 है। इस तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 6 और 10 थी।

earned a profit of Rs. 2.50 crores (Approximate.) This does not take into account provision of payment of Wage Arrears and Publicity.

Staff Strength

The Staff Strength in position as on 31.12.1994 was 2315 against sanctioned strength of 2494. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Ex-Servicemen on the date were 473, 71 and 56 respectively.

Sl. No.	Particulars	Apr.-Dec. 1994	Apr.-Dec. 1993	Budget Estimates 1994-95	Actuals 1993-94
	Physical Sales				
1.	Bread (In Crore S.L)				
	Commercial	12.02	11.90	18.00	15.80
	Nutritional	1.54	1.10	2.00	1.88
	Total	13.56	13.00	20.00	17.68
2.	(a) Fruit Juices & Soft Drinks (In Lakh Crates) (Crate - 24 Bottles of 200 ML Each)	1.01	0.99	1.00	1.12
3.	Extruded Food (in M.T.)	1015.00	1009.80	1500.00	1428.14
4.	Energy Food/Care Food (in M.T.)	21590.00	6435.83	21000.00	10761.19

Note:—The oil plant at Ujjain was not operated during 1993-94 due to its uneconomical viability. The unit has since been closed w.e.f. 01.04.1994.

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED (NERAMAC), GUWAHATI

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North-Eastern region. The authorised share capital of the Company is Rs. 500 lakhs and paid up capital is Rs. 269 lakhs.

The Corporation's first major project viz. Pineapple Juice Concentrate Plant set up at Nalkata in the Sate of Tripura, was commissioned in June, 1988. The Plan produced about 73.67 MTs of pineapple juice concentrate during the year 1994-95 (upto December, 1994).

The Company made efforts to revive and rejuvenate activities in areas of marketing and processing during the year 1993-94. During the first half of the year 1994-95 the Company made a significant improvement in both the areas. The Company diversified its marketing activities during the first half of 1994-95 from traditional agro-products to products based on minor forest produce like agarbati sticks, ice-cream sticks, etc. The Corporation also commissioned a Cashewnut Processing Unit at Agartala during the first half of the year 1994-95. At this unit, 2.5 MTs of processed cashewnut valued at Rs. 4.20 lakhs was produced.

The total turn over of the Corporation during 1994-95 (upto December, 1994) is Rs. 52.13 lakhs (un-audited) as against Rs. 15.30 lakhs (un-audited) during the corresponding period last year.

The operations of the Corporation during 1994-95 are anticipated to result in a loss of Rs. 105 lakhs (un-audited) as against a loss of Rs. 137.05 lakhs (un-audited) during 1993-94.

The staff strength in position as on 31.12.94 was 72 as against the sanctioned strength of 160 posts. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees on this date was 6 and 10 respectively.

अखिल भारतीय फल परिरक्षक संघ का स्वर्ण जयंती समारोह

Golden Jublee function of 'AIFPA'

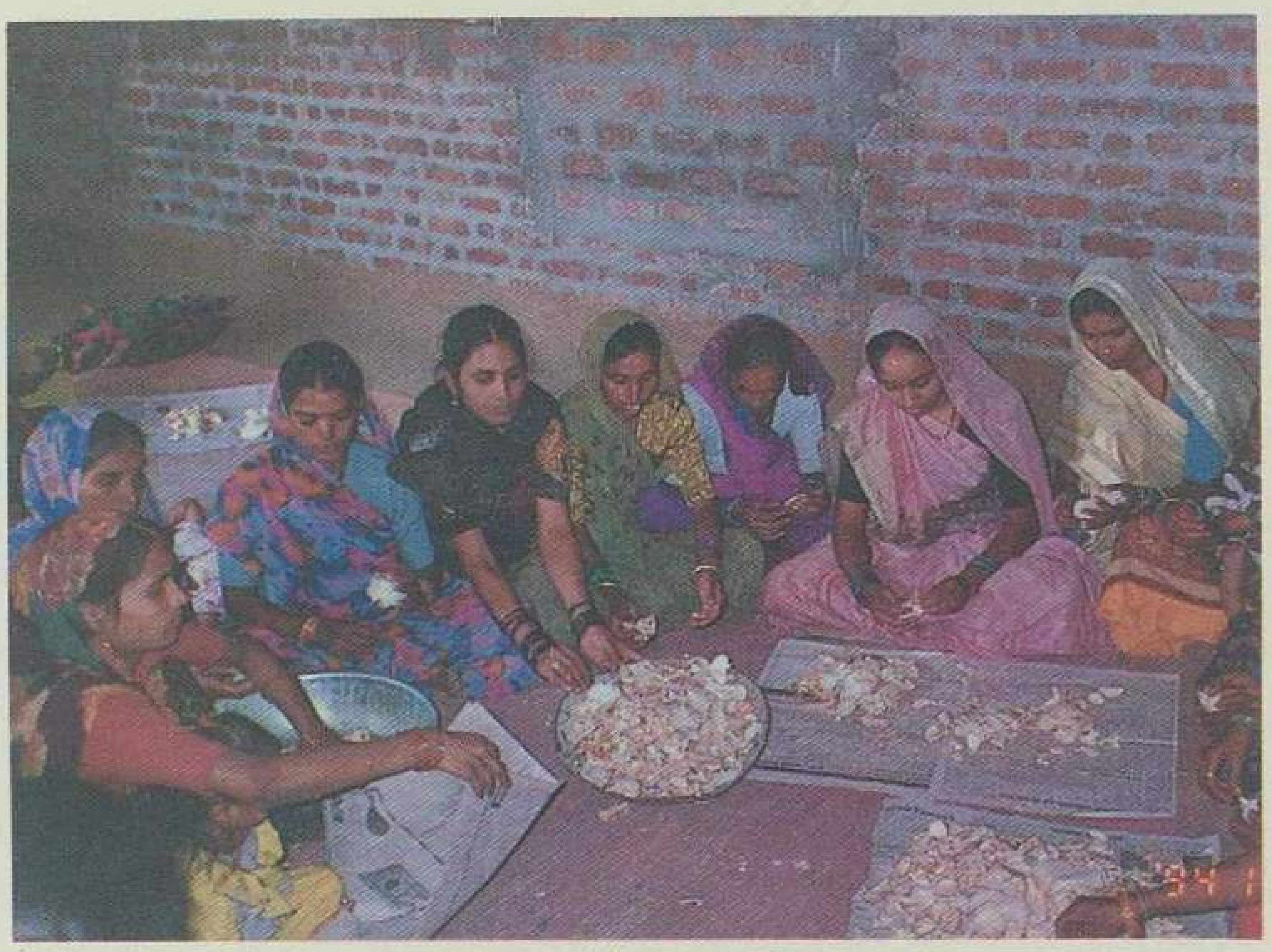

ग्रामीण क्षैत्र में खाघ प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र में खुम्बी की छंटाई

Sorting of mushrooms in a FPTC in rural India

FPO